लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

18-6-92
4.1.84

[खंड 50 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. L contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 6—मंगलवार, 22 फरवरी, 1966/3 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 6—Tuesday, February 22, 1966/ Phalguna 3, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता. प्र. संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
120	दक्षिणी अमरीका के देशों से अनाज का आयात	Import of Foodgrains from South American Countries . .	3197-99
121	चावल का आयात	Import of Rice . . .	3199-02
122	एकाधिकार जांच आयोग	Monopolies Enquiry Commission	3202-07
123	रक्सौल-मुजफ्फरपुर विमान सेवा	Raxaul-Muzaffarpur Air Service	3207-09
124	चीनी पर से नियंत्रण का हटाया जाना	Decontrol of Sugar . . .	3209-12
125	गेहूं तथा अन्य अनाजों का उत्पादन	Production of Whaqt and other Cereals	3212-13
126	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये इल्यूशिन-18	Ilyushin-18 for I.A.C. . .	3213-14

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
127	मरुस्थल विकास प्राधिकार	Desert Development Authority .	3214
128	राज्यों की अनाज वसूली योजनायें	Procurement Levy Scheme of States	3214-15
129	दिल्ली परिवहन उपक्रम को हुई हानि	Loss Suffered by Delhi Transport Undertaking. . . .	3215
130	वनस्पति में रंग मिलाना	Colourisation of Vanaspati. .	3215-16
131	राज्य सभा में केरल का प्रतिनिधित्व	Representatior for Kerala in Rajya Sabha	3216
132	उपचुनाव तथा आमचुनाव	Bye-elections and General Elections	3216
133	अमरीका से सहायता	Aid from U.S.A. . . .	3217
134	गोआ में चुनाव	Elections in Goa . . .	3217
135	दक्षिण के राज्यों में खाद्य स्थिति	Food situation in Southern States .	3217-18
136	बूचड़खानों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Slaughter Houses	3218
137	भारत का खाद्य निगम	Food Corporation of India .	3218-19
138	विमान यात्रा बीमा	Air Insurance	3219
139	जम्मू तथा काश्मीर को अनाज का सम्भरण	Supply of Foodgrains to Jammu and Kashmir . . .	3220

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by the Member.

1—22 L. S./66

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
140	राज्यों में उत्पादकों पर फसल उगाही	Crop Levy on Producers in States .	3220-21
141	खाद्यान्न में आत्म निर्भरता	Self-sufficiency in Food . .	3221
142	खाद्यान्न का राज्यकीय व्यापार	State Trading in Food . .	3222
143	कच्छ की मरुभूमि को उपयोगी बनाना	Reclamation of Kutch Desert .	3222-23
144	पश्चिमी पाकिस्तान में चोरी छिपे चावल ले जाना	Smuggling of Rice to West Pakistan	3223
145	मद्रास में प्रोत्साहन बोनस योजन	Incentive Bonus Scheme in Madras	3224
146	केरल के खाद्य स्थिति	Food Situation in Kerala .	3224-25
147	राज्यों में खाद्य स्थिति	Food Situation in States .	3225
148	चिनी	Sugar	3225-26
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
539	केरल परिवहन निगम	Kerala Transport Corporation .	3226
540	केरल परिवहन निगम	Kerala Transport Corporation .	3226
541	मछली पकड़ने के जहाज़ों के निर्माण के लिये जर्मनी का प्रस्ताव	Germany's Offer for Building Fishing Ships . . .	3226-27
542	केरल में भूमि संरक्षण सर्वेक्षण एकक	Soil Conservation Unit in Kerala.	3227-28
543	केरल में तूफान के कारण तंबाकू की फसल की क्षति	Loss of Tobacco Cultivation due to Cyclone in Kerala . .	3228
544	पर्यटकों की दृष्टि से आकर्षक-स्थानों का सर्वेक्षण	Survey of Places of Tourist Interest	3228
545	पश्चिमी बंगाल के लिये आदर्श चावल मिल	Model Rice Mill for West Bengal	3229
546	अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों का उत्पादन	Production of High Protein Food	3229
547	मंगलौर बन्दरगाह परियोजना	Mangalore Harbour Project .	3229-30
548	एयर इंडिया के बोइंग विमान का सिडनी में उतरना	Landing of Air India Boeing at Sydney	3230
549	मिर्धा समिति का प्रतिवेदन	Report of Mirdha Committee .	3231
550	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers . . .	3231
551	लोक-सभा में उर्वसियम (नेफा) का प्रतिनिधित्व	Representation for Uversiam to Lok Sabha . . .	3231-32
552	मृत पशुओं की खाल तथा हड्डियों का प्रयोग	Use of Hides and Bones of Cattle	3232-33
553	पैसेफिक क्षेत्र पर्यटन संगठन (पाटा) सम्मेलन	PATA Conference . . .	3233-34
554	भारत खाद्य निगम के प्रधान द्वारा त्यागपत्र	Resignation of Chairman, Food Corporation of India . .	3234-35
555	मोटर परिवहन कराधान	Motor Transport Taxation. .	3235-36

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
557	सीमावर्ती सड़कें	Border Roads	3236
558	भारत के खाद्य निगम द्वारा कृषकों को धन उधार देना	Credit to Farmers by Food Corporation of India . . .	3236–37
559	एक किसान परिवार की औसत वार्षिक आय	Average Annual Income of a Farmer's Family . . .	3237
560	1965–66 में खाद्यान्नों का उत्पादन	Production of Foodgrains in 1965-66	3237
561	सरकारी कृषि, फार्मों के लिए निदेशालय	Directorate for State Agriculture Farms	3238
562	शुष्क क्षेत्र संस्था, जोधपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	Post Graduate Courses at Arid Zone Institute, Jodhpur . .	3238
563	बम्बई में विदेशी चावल की निलामी	Auction of Imported Rice in Bombay	3238–39
564	पंजाब को गेहूं की सप्लाई	Supply of Wheat to Punjab. .	3239
565	अधिक धन उगाओ योजनायें	Grow More Food Scheme . .	3239
566	मदनगीर में दुग्ध केन्द्र	Milk Booth in Madangir . .	3239–40
567	बहादुरगढ़ से केन्द्रीय सचिवालय तक "बस" सेवा	Bahadurgarh-Central Secretariat Bus Service	3240
568	त्रिपुरा में एक फार्म की स्थापना	Setting up of Farm in Tripura .	3240
569	राजस्थान नहर क्षेत्र में बस्ती बसाने सम्बन्धी नीति	Colonisation Policy for Rajasthan Canal Area	3241
570	दिल्ली में राशन की दुकानों पर उपलब्ध वस्तुएं	Commodities available in Ration Shops in Delhi . . .	3241
571	गाय और भैंस	Cows and Buffaloes . . .	3242
572	बम्बई की गोदियां (डाक्स)	Bombay Docks	3242–43
573	दिल्ली में दुर्घटनायें	Accidents in Delhi . . .	3243–44
574	मरमागोआ बन्दरगाह	Mormugao Port . . .	3245
575	युवक सहयोग सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar on Youth Co-operation .	3245
576	गेहूं बोर्ड	Wheat Board	3245–46
577	अगरतला हवाई अड्डा	Agartala Airport . . .	3246
578	गोंडा संसदीय निर्वाचन	Gonda Parliamentary Elections .	3246
579	मद्रास पत्तन	Madras Port . . .	3247
580	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents in Delhi . .	3247–48
581	पर्यटन का विकास	Development of Tourism .	3248
582	इन्नौर में मध्यवर्ती बन्दरगाह	Innore as Intermediate Port .	3248–49
583	फिरोजपुर जिले में हैलीकोप्टर दुर्घटना	Accident to Helicopter in Ferozepur Disrtict	3249
584	मद्रास बन्दरगाह में विस्फोट	Madras Harbour Explosion .	3249–50
585	डेनियल वाल्कोट का बच निकलना	Escape of Daniel Walcott . .	3250

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
586	उत्तर प्रदेश को चावल तथा गेहूं की सप्लाई	Supply of Rice and Wheat to U.P.	3250
587	मोहनबाड़ी हवाई अड्डा	Mohanbari Airport . . .	3250–51
588	पत्तन क्षेत्र में आयात किये गये गेहूं को पीसने लिये के आटा मिलें	Flour Mills in Port Area for Grinding Imported Wheat . .	3251
590	दिल्ली में राशन की मात्रा	Quantum of Ration in Delhi	3251
591	विशाखापटनम पत्तन	Visakhapatnam Port . . .	3251–52
592	पाकिस्तान में रोके गये स्टीमर	Steamers detained in Pakistan .	3252
593	राजकोट हवाई अड्डा	Rajkot Airport	3252–53
594	बंगलोर म अतर्राष्ट्रीय पर्यटक होटल	International Tourist Hotel at Bangalore	3253
595	उचित मूल्य की दुकानें	Fair Price Shops . . .	3253
596	उत्तर प्रदेश में आलू की फसल	Potato Crops in U.P. . .	3254
597	ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलपथ बनाना	Brahmaputra River as a National Waterway	3254
598	दिल्ली में टैक्सी और स्कूटर ड्राइवरों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Taxi and Scooter Drivers in Delhi . .	3254–55
599	चम्पारन (बिहार) से नेपाल को गन्ने का सम्भरण	Sugarcane Supply to Nepa from Champaran (Bihar) . .	3255
600	राशन की मात्रा	Ration Quota	3256
601	पंजाब में बीज फार्म	Seed Farms in Punjab	3256
602	दिल्ली दुग्ध योजना का मक्खन	Butter of Delhi Milk Scheme .	3256–57
603	पशुधन का बीमा	Cattle Insurance	3257
604	उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Orissa .	3257–58
605	उड़ीसा में भाण्डागार	Warehouses in Orissa . .	3258–59
606	उड़ीसा में कृषि गवेषणा परियोजनायें	Agricultural Research Projects in Orissa	3259
607	प्रबन्ध अधिकरण	Managing Agencies . . .	3259
608	राजस्थान में सामुदायिक विकास खण्ड	Community Development Blocks in Rajasthan	3260
609	राजस्थान में "अधिक अनाज उगाओ" अभियान	"Grow More Food" Campaign in Rajasthan	3260
610	राजस्थान में गेहूं तथा चीनी का आवंटन तथा सम्भरण	Allotment and Supply of Wheat and Sugar to Rajasthan . .	3260–61
611	आर्थिक अभाव क्षत्र (इकानामिक फमिन-एरियाज़) के लिये कृषि योजनायें	Agricultureal Schemes for Economic Famine Areas . . .	3261
612	राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी	Brahmaputra River as a National Waterway	3261–62
613	उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory in U.P. . .	3262

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
614	लेटरल रोड	Lateral Road . .	3262–63
615	रबी की फसलों के लिये पानी	Water for Rabi Crops . . .	3263
616	दिल्ली में खाली पड़ी हुई भूमि पर खती	Cultivation of Vacant Lands in Delhi	3263
617	भारतीय कृषि सांख्यिकीय समितियों का सम्मेलन	Conference of Indian Societies of Agricultural Statistics . .	3264
618	अकाल स्थिति	Famine Conditions . .	3264
619	"डी० एल० जेड० कारें"	DLZ Cars	3265
620	पशुपालन सम्बन्धी "क्रेश प्रोग्राम"	Crash Programme for Animal Husbandry	3265
621	अनाज के मूल्य	Prices of Foodgrains . . .	3266
622	त्रिपुरा में खण्ड विकास अधिकारी	Block Development Office in Tripura	3266
623	रक्षित धन	Reserve Forest. . . .	3266–67
624	छोटी सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Schemes . .	3267
625	अनाज के मूल्य	Prices of Foodgrains . . .	3267–68
626	चीनी कारखानों के लिये लाइसेंस	Licences for Sugar Factories .	3268
627	पर्यटक केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres .	3269
628	कृषि कार्यक्रम	Agricultural Programme . .	3269
629	एयर इंडिया के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Air India Staff . .	3269–70
630	भारत तथा पाकिस्तान के बीच उड़ानें	Overflight between India and Pakistan	3270
631	मोटर परिवहन उद्योग, मलाबार	Motor Transport Industry, Malabar	3270–71
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—	
	(1) भारत के प्रधान मंत्री और संयुक्त राज्य अमरीका के उपराष्ट्रपति के बीच हाल मे हुई बात-चीत	(i) Recent Talks between Prime Minister of India and Vice-President of USA . .	3271–72
	(2) डहाणू रोड रेलवे दुर्घटना	(ii) Railway Accident at Dahanu Road	3300–01
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	3272–75
	राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha— .	3275
	बीडी तथा सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तें) विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	Beedi and Cigar Workers (Condition of Employment) Bill—as passed by Rajya Sabha .	3275
	दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक—	Delhi High Court Bill—	
	प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Select Committee	3275–76
	रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Re : Statement on Railway Accident	3276
	आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक-पुर:स्थापित	Imports and Exports (Control) Amendment Bill—Introduced .	3276

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—	Motion on President's Address—	
श्री खाडिलकर	Shri Khadilkar . . .	3276–78
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	Shrimati Renu Chakravarty	3278–81
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur	3281–83
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh . .	3284–85
श्री सुब्रह्मण्यम	Shri T. Subramanyam .	3285–87
श्री बड़े	Shri Bade	3287–89
श्री अ० प्र० शर्मा	Shri A. P. Sharma . .	3289–90
श्री मनोहरन	Shri Manoharan . .	3290–91
श्री अ० कु० सेन	Shri A. K. Sen . . .	3291–93
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi . .	3293–95
श्री पी० रा० रामकृष्णन्	Shri P. R. Ramakrishnan .	3296–97
श्री करुथिरमण	Shri Karuthiruman . .	3297
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	3297–98
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	3298–3300
राज्यों में अकाल की स्थिति के बारे मे आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion re: Famine Conditions in States:—	
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi . .	3301–02
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	3302
श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam .	3302–04

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 22 फरवरी, 1966/3 फाल्गुन, 1887 (शक)
Tuesday, February 22, 1966/Phalguna, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दक्षिणी अमरीका के देशों से अनाज का आयात

120. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री म० लां० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी अमरीका के कुछ देशों ने भारत को गेहूं और चावल बेचने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पेशकश का लाभ उठाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) (ख) और (ग) : जी हां। अर्जुनटाइन ने गहूं और चावल बेचने का प्रस्ताव किया था। बाद में यह बताया गया कि उनके पास बिक्री के लिये चावल नहीं है। गेहूं खरीदने का प्रश्न विचाराधीन है।

ब्रिटिश गायना ने चावल बेचने का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह अपील—जिसके अनुसार कई देशों के गिरजाघरों में तथा कई में कूपनों द्वारा भारत के लिये सहायता एकत्र की जा रही है—यह आंकने के बाद की गई है कि देश में फालतू अनाज उपलब्ध है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : हमने केवल उन्हीं देशों से कहा है जो हमें सहायता देने की स्थिति में हैं।

श्री भागवत झा आजाद : अर्जनटीना और ब्रिटिश गियाना की पेशकश से लाभ क्यों नहीं उठाया गया ? पहले सरकार द्वारा प्रार्थना की गई थी परन्तु बाद में उनकी पेशकश की लाभ न उठाने के क्या कारण हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह अर्जनटीना तथा ब्रिटिश गियाना से वाणिज्यिक सौदा है। अर्जनटीना के मंत्री यहां आये थे। हमने उनसे उनकी फालतु गेहूं के क्रय करने के बारे में बातचीत की थी। उसी के आधार पर उन्होंने चावल और गेहूं की पेशकश की थी। बाद में उन्होंने कहा कि उनके पास चावल नहीं हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या हम उनसे गेहूं मंगा रहे हैं ? यदि उत्तर स्वीकारात्मक है तो उनसे कितना गेहूं किस दर पर मंगायेंगे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : दर पर अभी विचार हो रहा है। अर्जनटीना से 50,000 टन गेहूं मंगाया जायेगी।

Shri Madhu Limaye : I want to know the difference of rates of wheat imported from Argentine and Guine and the price given to our farmers?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सामान्यत: हम अपने देश के गेहूं के लिये आयात किये गये गेहूं की अपेक्षा अधिक मूल्य देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह मूल्य क्या है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सामान्यत: यह मूल्य बताया नहीं जाता। ऐसा जनहित में किया जाता है।

Shri Madhu Limaye : How is public interest involved in this?

अध्यक्ष महोदय : जब माननीय मंत्री ऐसा कहते तो मैं इसको मानता हूं।

Shri Kishen Pattnayak : A few days back the hon. Minister of Food met the representatives of more 35 countries and international organisations and appealed to them. I want to know whether it had received favourable response from those countries ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कोई विशेष अपील करने के लिये यह बैठक नहीं बुलाई गई थी। पहले ही अन्य देशों से सहायता प्राप्त हो रही है। यह बैठक इस सम्बन्ध में किये जा रहे कार्य में समन्वय लाने के लिये थी।

श्री प्र० चं० बरुआ : कठिनाइयों का सामना करने के लिये कुल कितना चावल और गेहूं आयात किया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जैसा मैंने कहा है अर्जनटाइना से 50,000 टन आयात किया जायेगा।

श्री दाजी : क्या वाणिज्यिक आधार पर गेहूं मंगाने के अलावा माननीय मंत्री को यह भी मालूम है कि पोप ने दर्द भरी अपील की है और बच्चों से अशोभनीय तरीके से भारत को सहायता देने के लिये पैसे एकत्र किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार की अशोभनीय बातों के प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वास्तव में ये अपीलें केरल और पश्चिमी बंगाल में हंगामें होने के कारण हुई हैं।

श्री दाजी : सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? क्या सरकार ने उन देशों को अपनी प्रतिक्रिया से सूचित कर दिया है? भारत में अकाल पीड़ीतों की सहायत बच्चों के जेब खर्च से धन एकत्र किये जाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पोप ने भारत की कठिन स्थिति के बारे में अपील की है कि कुछ स्वैच्छिक रूप से सहायत दी जाये और यदि इसके फलस्वरूप कुछ लोग सहायता करते है तो इसमें कोई खराब बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार यह नहीं समझती कि इससे विदेशों में भारत के बारे में खराब धारणायें फैलेंगी विशेष रूप से जब अकाल सहायता के लिये बच्चों के जेब खर्च से धन एकत्र किया जा रहा है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये और उन देशों हमारे राजदुतों इस बारे में कार्य करना चाहिये।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां। इसी लिये मैंने राजदूतों की बैठक में उल्लेख किया था।

Import of Rice

+

*१७१. **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bagri :
Shri Narayan Reddy :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Himatsingka :
Shri Onkar Lal Berva :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bhanu Prakash Singh:
Shri Yashpal Singh :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri P. C. Borooah :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Basumatari :
Shri Lahtan Chaudhry :
Shri Dharmalingam :
Dr. P. Srinivasan :
Shri Bade :
Shri Shree Narayan Das :
Shri D. N. Tiwary :
Shri Kapur Singh :
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether more rice is expected from U.A.R., Burma and Thailand during the current year ;

(b) if so, the broad outlines of the agreements entered into with these countries; and

(c) whether the payment for this will be made in hard currency or it will be a barter arrangement?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) & (b). Arrangements to import rice from U.A.R., Burma and Thailand during the current year are likely to be finalised shortly. Purchase agreements with the three countries have not yet been signed.

(c) Payment for rice imported from Burma and Thailand is made in Pounds Sterling and from the U.A.R. in non-convertible Indian rupees to be utilised by the U.A.R. for the purchase of specified commodities from India under the Trade Agreement with that country.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं उत्तर में कुछ अन्तर करना चाहता हूं कि बर्मा से चावल के आयात के बारे में करार हो चुका है।

Shri Kishen Pattnayak : Keeping in view the Government's statistics of production in the country and the agreements for imports, whether Government is in a position to declare that we have sufficient stocks this year and there is no necessity for us to import food from foreign countries?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : चावल और गेहूं सीमित मात्रा में हैं। वास्तव में विदेशों से जो सहाता हम ले रहे हैं वह तो उर्वरक और कीटनाशकों के रूप में है ताकि इनके प्रयोग से उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसलिये हमारे इस समय इस प्रकार की घोषणा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ हमने अन्य देशों से मंगाया है, क्या वह हमारी आवश्यकताओं के लिये लिये पर्याप्त नहीं होगा। ताकि हम कह सकें कि आगामी वर्ष में हमें और नहीं मंगाना पड़गा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, यह लगभग ऐसे ही है।

Shri Kishen Pattnayak : In view of the fact that the rice is being imported from foreign countries, may I know the reasons why to Central Governement is getting 20,000 tons of rice from Orissa for other states when the production of rice is estimated to be 40% less this year?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उदाहरण के लिये हमें केरल और पश्चिमी बंगाल को चावल देना है। जहां कहीं भी फालतू होता है हम लेने की कोशिश करते हैं।

Shri Kishan Pattnayak : There is no surplus of rice in Orissa at present.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उड़ीसा सरकार ने वहां की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है और उसके अनुसार जो कुछ फालतू है वही हमें दिया जा रहा है। इसके बदले में हम गेहूं दे रहे हैं ताकि गेहूं खाने वालों में उसका वितरण किया जा सके।

Shri Madhu Limaye : Are the Government aware of the fact that per capita consumption of foodgrains varies from state to state—it is 11 ounces in Kerala, Bihar and eastern U.P. and in some states it is 17 or 18 ounces?

I want to know whether the imported rice and wheat would be utilised to remove this difference and the whether the surplus states would be requested to procure more foodgrains?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह ठीक है कि राज्यों में खपत में अन्तर है। ऐसा बहुत समय से होता चला आ रहा है। इसी लिये खपत में समानता लाने की कोशिश करते हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : What percentage of production of rice is being imported from Burma, Egypt and Thailand? At what rate do these countries sell rice to other countries?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम एक देश द्वारा दूसरे देश को बेचे गये चावल का मूल्य नहीं बताया करते। इससे कठिनाईयां उत्पन्न हो जाती हैं। उत्पादन के प्रतिशत के बारे में मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं।

Dr. Ram Manohar Lohia : I wanted to know the price, at which it is sold to other countries?

Mr. Speaker : The hon. Minister has not got the figures with him.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Has Government made any assessment of the shortage of rice during current year? Have Government received any complaint that state Governments make profit by selling at higher rates to other states those foodgrains which they receive from the Centre? if so, what action has been taken in the matter?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पिछले वर्ष के उत्पादन की अपेक्षा इस वर्ष 60 से 70 लाख टन की कमी है। विभिन्न राज्यों के उत्पादन का ध्यान रखते हुए हमने अनुमान लगाया है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय भण्डार में कितनी मात्रा में दे सकती है। यह हमारा आधार है।

श्री वासुदेवन नायर : क्या यह अंतिम आंकड़े हैं। मद्रास में उन्होने 80 लाख टन कहा था और अब 60 से 70 लाख टन कह रहे हैं। अंतिम आंकड़े क्या हे।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने चावल के बारे में कहा है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Speaker, I had asked whether Government has received some complaints that some state Governments sell foodgrains to neighbouring states at higher rates; if so, whether any enquiry has been made in the matter?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नही, यह तो केन्द्रीय सरकार स्वयं कमी वाले राज्यों को भेजती है।

Shri Yashpal Singh : Government always says that U.P. is a vegetarian state. They cannot use fish. I want to know whether steps have been taken that rice is not taken out of that state.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : साधारणत: उत्तर प्रदेश से चावल अन्य राज्यों को नही भेजा जाता।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा में इस वर्ष का चावल का उत्पादन 20 लाख टन कम है और बाहर भेजने के लिये वहां केवल 3 लाख टन चावल होगा? क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से और चावल की मांग की है और क्या भारत सरका इस पर विचार कर रही है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उड़ीसा को चावल नही दिया जा सकता। वह राज्य हमें चावल दे रहा है। और हम वहा की आवश्यकता की पूर्ति के लिये गेहू दे रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : बर्मा, संयुक्त अरब गणराज्य, और थाईलैंड से कितनी कितनी मात्रा में चावल आयात होगा?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : बर्मा से हाल का करार $1\frac{1}{2}$ लाख टन का है और 50,000 हजार टन और आयात होने की संभावना है। संयुक्त अरब गणराज्य से 13,000 टन से 22,000 टन तक की मात्रा में आयात होगा।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने इस बात का अध्ययन किया है कि इन देशों में फालतू उत्पादन कैसे होने लगा है ; यदि हां, तो इस बारे में क्या जानकारी मिली है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उन का उत्पादन उन की आवश्यकताओं की अपेक्षा बहुत अधिक है। इस लिये वे बेच सकते हैं। उन के यहां भूमि भी अधिक है और प्राकृतिक संसाधन भी अधिक है।

श्री क० ना० तिवारी : माननीय मंत्री ने कहा है कि बर्मा के साथ समझौते को अंतिम रूप दिया जा चुका है और भुगतान दुर्लभ मुद्रा में होगा। क्या बर्मा द्वारा प्रतिकर देने संबंधी धनराशि को भी इस समय ध्यान में रखा गया ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसका उससे संबंध नहीं है।

एकाधिकार जांच आयोग

*122. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार :
श्री वासुदेवन नायर:
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० बरूआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार जांच आयोग के निष्कर्षों, विशेषकर गैर-सरकारी उद्योग में धन के अत्याधिक केन्द्रण सम्बन्धी पहलू पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) आयोग के निष्कर्षों द्वारा प्रकाश में लायी गयी असमानताओं तथा खतरनाक प्रवृत्तियों को दूर करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क), (ख) और (ग) : आयोग की सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री क० ना० तिवारी : क्या रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार विधान बनाने पर विचार कर रही है ताकि नये व्यापारियों के मार्ग से रुकावटें हटायी जा सकें ; यदि हां, तो यह कब किया जायेगा ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : यह रिपोर्ट सरकरा के विचाराधीन हैं। विचार करने के बाद सरकार निर्णय करेगी कि क्या कार्यवाहीं की जानी चाहिये। सरकार इस पर यथाशीघ्र कार्य करेगी।

श्री क० ना० तिवारी : क्या आयोग ने निष्पक्ष लागत विशेषज्ञों द्वारा एकाधिकार वाली उत्पादन फर्मों में उत्पादन लागत की जांच कराने की सिफारिश की है। क्योंकि इसका सामान्य जनता पर प्रभाव पड़ता है और एकाधिकारियों को अनुचित मूल्य लगाने का अवसर मिलता है; यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : सरकार आयोग की सभी सिफारिशों पर विचार कर रही है। विचार पूरा होने के बाद आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार ने इस रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने के बाद देश के इस जनमत की ओर ध्यान दिया है कि एकाधिकार के मामले में एकाधिकार जांच आयोग का बहुमत निर्णय एकाधिकारियों के पक्ष में है और इस निर्णय का आधार यह है कि उनके द्वारा देश को काफी लाभ पहुंचा है, जबकि उसकी तुलना में अल्पसंख्यक निर्णय वास्तव में जनता की राय का द्योतक है, और यदि हां, तो इन दोनों दृष्टिकोणों का सरकार किस प्रकार समन्वय करना चाहती है ? क्या सरकार के निर्णय का आधार बहुमत है अथवा वास्तविक परिस्थितियों का विचार है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : सरकार बहुमत तथा अल्पसंख्यक मत दोनों पर विचार कर रही है तथा दोनों ही मतों का गुणमापन करके और पूरी जांच पड़ताल करके अपना निष्कर्ष निकालेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे लगातार यही कहते जा रहे हैं कि मामला विचाराधीन है। अतः उन से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है ?

श्री वासुदेवन नायर : लगभग एक ही विषय के संबंध में दो निकायों का गठन किया गया है। पहले महलनोबीस समिति नियुक्त की गई तथा बाद में एकाधिकार जांच आयोग का गठन किया गया। सरकार बहुत वर्षों से इन आयोगों तथा उनके प्रतिवदनों का नाम ले कर इस मामले को दबाये हुये है। अब मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्हें विचार करने के लिये और अधिक समय चाहिये। हमें यह मालूम है कि क्या विचार किया जायेगा। इस बीच में देश में एकाधकार बढ़ता रहेगा। मैं जानना चाहता कि क्या सरकार कोई अन्तरिम उपाय करने का विचार कर रही है ताकि एकाधिकार की वृद्धि पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : प्रतिवेदन हमें 31 अक्तूबर, 1965 को प्राप्त हुआ था तथा पिछले सत्र में इसे संसद् के सामने रखा गया था। 8 दिसम्बर, 1965 को इसका सारांश समाचार-पत्रों को दे दिया गया था। अतः सरकार ने इस मामले में विलम्ब नहीं किया है।

श्री वासुदेवन नायर : मेरा अभिप्राय पुरानी समितियों से भी है।

श्री गोपाल स्वरुप पाठक : वे आयोग नहीं थे।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस से क्या फर्क पड़ता है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या इस बीच कोई अन्तरिम कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : यदि आवश्यक हुआ तो अन्तरिम कार्यवाही की जायेगी। परन्तु इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया जा सका है कि अन्तरिम कार्यवाही की भी आवश्यकता पड़गी, क्योंकि हम इस मामले में अन्तिम कार्यवाही करने में शीघ्रता कर रहे हैं। अतः अन्तिम कार्यवाही ही की जा सकती है।

श्री अ० प्र० शर्मा : आयोग के इस विचार को देखते हुए कि आर्थिक शक्ति के कुछ थोड़े लोगों के हाथों में बढ़ते हुए केन्द्रण के कारण देश की राजनीति में भ्रष्टाचार फैलता है, मैं जानना चाहता हूं कि क्योंकि वर्ष 1967 राजनीतिक वर्ष होगा, सरकार उसे रोकने के लिये क्या अविलम्ब कदम उठायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है।

श्री अ० प्र० शर्मा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

Shri Kishen Pattnayak : Have Government studied the fact before the presentation of next budget that the rate of income-tax imposed in India on those having an annual income of more than two lakhs of rupees and the rate of estate duty imposed on those having a property of more than ten lakhs of rupees is less than the rate prevailing in capitalist Britain?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मेरे उत्तर से यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री भागवत झा आजाद : यह प्रश्न अर्थशास्त्र से संबंधित है न कि विधि से। अतः इसी कारण इसके उत्तर में कठिनाई अनुभव की जा रही है।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : जी नहीं। मैं प्रश्न के वैधानिक तथा आर्थिक दोनों पहलुओं के लिये जिम्मेदार हूं। माननीय सदस्य को यह संदेह नहीं होना चाहिये कि मैं प्रश्न के आर्थिक पहलू के लिये जिम्मेदार नहीं हूं।

Shri Kishen Pattnayak : I have asked the question that the rate of income-tax imposed in India on those having an annual income of more than two lakhs of rupees and the rate of estate duty imposed on those having a property of more than ten lakhs of rupees is less than the rate prevailing in capitalist Britain. I have put this question to the Finance Minister and not to the Law Minister. I done know how his name has appeared on the Question paper?

Mr. Speaker : Then you can ask another question.

Shri Kishen Pattnayak : The Finance Minister may be called and let him answer the question.

Dr. Ram Manohar Lohia : In view of the economy as also the set up prevailing in the world to-day it is not possible to abolish monopoly from the system by law; therefore the only way which remains is to eliminte the rights to property or to bring a system so that the properties be transferred to the ownership of the Government or public. May I know whether this aspect of the question has also been considered by the Government?

Shri G. S. Pathak : The Commission has mentioned in the report both aspects of the question. The evil of monopoly could be rooted out both ways by enacting a law or without it, Government is considering both aspects of the questions.

श्रीमती सावित्री निगम : अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि प्रतिवेदन विचाराधीन है। क्या विभाग के वे अधिकारी जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एकाधिकारियों को इतनी लम्बी रिपोर्ट देने के जिम्मेदार हैं, इसकी जांच कर रहे हैं, अथवा आयोग के प्रस्तावों तथा सिफारिशों की जांच करने के लिये गैर-सरकारी व्यक्तियों के सहयोग से किसी समिति का गठन किया गया है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : गैर-सरकारी व्यक्तियों का एक और आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने अपनी समिति से जितनी सहायता संभव हो सकती थी, प्राप्त की है तथा वह स्वयं स्वतंत्र निर्णय करेगी ।

श्री वारियर : अन्तिम निर्णय करने तक क्या सरकार ने उन व्यापार गृहों को, जो पहले से ही एकाधिकारियों की श्रेणी में हैं, लाइसेंस देने पर प्रतिबंध लगाने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : आयोग की रिपोर्ट से संबंधित लाइसेंसोंका प्रश्न भी उस रिपोर्ट का एक भाग है तथा इस प्रश्न पर भी जहां तक इस का संबंध रिपोर्ट के विषय से है विचार किया जायेगा ।

Shri Bibhuti Mishra : The hon.Minister has just now stated that the Ministry of Finance and the Ministry of Law are concerned with this question. The Mahalanobis Committee has already submitted them report in this regard. The Report submitted by the Monopolies Commission indicate that there are ten big business houses. May I know whether Government, while enacting an law in this regard, will keep in mind that the officials of those government organisations responsible for issuing licences should be those, who have no love, sympathy and influence of these big houses and those who are honest in their work?

Mr. Speaker : Certainly Government will keep this in mind.

Shri Bibhuti Mishra : Social justice has been guaranteed in our Constitution. But the Minorities Report reveal that even after eighteen years of independence and despite all efforts on the part of Government the rich have become richer. I would like to know the steps Government propose to take to guarantee social justice in future as also for implementation of those steps? Government should give a guarantee to this effect.

Shri G. S. Pathak : The question of giving a guarantee by government does not arise. Guarantee has been given in the Constitution itself. Hon. member may be aware that government always make efforts to fulfil that guarantee.

Shri Madhu Limaye : Will the Government take a note that the main reason for the concentration of wealth is the unhealthy relations between the Capitalists and the politicians, for example, offering contributions to political parties under the amended company laws. Out of 1 crore 10 lakhs of rupees contributed to the political parties an amount of 1 crore 5 lakhs has been received exclusively by the ruling party. I would like to know whether any measures would be found out, while considering the recommendations of this Commission, to develop better relations between Capital and Politics.

Shri G. S. Pathak : Government will consider this aspect of the issue so far as it is mentioned in the report. The Report mentions something, as you have referred that money is being received for political purposes from big capitalists. The Government will consider this question to the extent it has been dealt with in the Commissions report.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस प्रतिवेदन की जांच में बहुत से नीति संबंधी निर्णय अन्तग्रस्त हैं तथा कांग्रेस के प्रधान ने भी वर्तमान नीति तथा प्रवृत्तियों के बारे में पूर्ण असंतोष व्यक्त किया है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए सरकार इस प्रतिवदन की सिफारिशों की जांच किस प्रकार करा रही है? क्या यह जांच सचिवालय द्वारा की जा रही अथवा इस प्रयोजन के लिये मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है, क्योंकि इस में महत्वपूर्ण नीति संबंधी मामले अन्तग्रस्त हैं और सत्ताधारी पार्टी तथा उसके प्रधान दोनों ने इस बारे में पूर्ण असंतोष व्यक्त किया है?

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री माथुर ने अभी श्री कामराज का उल्लेख किया है।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री हेम बरुआ : मेरी स्मरण शक्ति कमजोर है, अत: मुझे नियम याद नहीं है। अत: अगली दफह में नियम का उल्लेख करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : फिर व्यवस्था के प्रश्न को भी अगली बार सुना जायेगा।

श्री हेम बरुआ : इस सभा में श्री कामराज का नाम लेना असंगत है। वह कहते हैं कि श्री कामराज ने भी पूर्ण असंतोष व्यक्त किया है। बात यह है कि कांग्रेस के प्रधान श्री कामराज का इस सभा से कोई संबंध नहीं है अत: उनका नाम लेना यहां असंगत है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यहां तो श्री जयप्रकाश नारायण के नाम का भी संबंध है तथा श्री कामराज का नाम कैसे असंगत हो सकता है, वह देश के भाग्य निर्माता हैं।

श्री गोपाल स्वरुप पाठक : नीतियों के बारे में निर्णय उच्चतम स्तर पर मंत्रिमंडल द्वारा किया जायेगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि महत्वपूर्ण नीति संबंधी निर्णय करने हैं, तथा उन निर्णयों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उच्चतम स्तर पर निर्णय किये जायेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न यह है कि वे कह रहे हैं कि सरकार इस की जांच कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जांच मंत्रिमंडल द्वारा की जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा किया जायेगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : दो महीने व्यतीत हो गये है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन दो महीनों में मंत्रिमंडल इस मामले पर विचार करता रहा है?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : किसी नीति के बिना, वे क्या जांच कर रहे हैं? क्या वे उस के अध्याय पढ़ रहे हैं?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : वास्तविक स्थिति पर सिफारिशों के प्रभाव और प्रतिवेदन के विश्लेषण के बाद ही नीति निर्धारित की जा सकती है। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि हमने आर्थिक सचिवों की समिति की सहायता प्राप्त की है तथा हमने इस बारे में तुरन्त कार्य करने का आदेश दिया है। फिर मैं इस की जांच करुंगा तथा सारा मंत्रिमंडल इस की जांच करेगा और इस के बाद नीति निर्धारित की जायगी। वास्तविक स्थिति तथा उस पर सिफारिशों के प्रभाव की जानकारी प्राप्त किये बिना नीति कैसे निर्धारित की जा सकती है?

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार श्री सी० दत्त के विभति टिप्पण पर भी विचार करेगी और क्या यह सच है कि सरकार इस प्रतिवेदन के बारे में निर्णय करने में असमर्थ है क्योंकि निर्वाचन बहुत निकट है त । वे राजनीतिक चन्दा लेना चाहते है.... **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या निर्वाचनों से पहले निर्णय किया जायेगा। मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या आम चुनाव से पहले निर्णय किया जायेगा? इसका उत्तर दिया जाये।

Shri D. N. Tiwary : In order to stop concentration of wealth in few hands and to reduce monopoly the Govt. had issued a directive that more licences of a single article should not be issued to those firms. May I know whether Government have enquired about the number of such persons to whom licences of the same type as they already possessed have been issued again and the reasons for violation of this direction?

Shri G. S. Pathak : Government is considering whatever the Commission has suggested regarding licences. Apart from that no enquiry has so far been made by the Government regarding licences. The enquiry had been necessary that would have no relevance with the Questions or the Answer given to this Question. So far as the question of licences contained in the report is concerned Government are examining the incidents indicated in the report.

Mr. Speaker : It may also be stated, whether the work will be complete before the election.

Shri G. S. Pathak : The elections will be held nearly after one year. The work will be completed only in a few months or few weeks.

Shri S. M. Banerjee : The hon. Minister is saying that it is a matter of few weeks or few months.

Mr. Speaker : The question was whether this would be completed before the elections and the hon. Minister has answered in affirmative. Shri Banerjee has repeated this question twice and I have disallowed it both times, because it has already been answered. Now he is insisting for the third time, that is why I have repeated the answer.

श्री रंगा : उत्तर बिलकुल असंतोषजनक है। वह कहते हैं "अभी साल भर है" इस बीच में चार सप्ताह में अथवा एक या दो महीनों में वे क्या करेंगे। वह कह रहे है कि कई तरह के परामर्श किये जायेंगे तथा फिर इस मामले को उच्चतम स्तर पर ले जाया जायेगा। इस से यह प्रतीत होता है कि उत्तर ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या चुनाव से पहले इसे समाप्त किया जायेगा तथा इसका उत्तर दिया जा चुका है।

Shri Yashpal Singh : May I know why the Government do not enact a law that those who own property worth more than two lakhs of rupees will not have a right to vote? How the Government is going to fulfil its policy of socialism?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, यह कार्यवाही करने का सुझाव है, अगला प्रश्न।

Raxaul-Muzaffarpur Air Service

*123. **Shri Bibhuti Mishra** :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that previously the Calcutta-Nepal bound aeroplane used to stop at Muzaffarpur;

(b) if so, the reasons for discontinuing the stoppage ; and

(c) whether Government propose to start air service to Raxaul and Muzaffarpur?

Minister of State in the Ministry of Transport and Aviation (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, Sir. Muzaffarpur was connected by air for certain periods in 1954 to 1956 on the service to Kathmandu.

(b) The halt was discontinued due to insufficient traffic.

(c) There are no plans at present.

Shri Bibhuti Misra : I want to know whether there were food riots in North Bihar, also the population of North Bihar is more than 2 crores, and there are 25 sugar factories? As there are so many M. Ps. and M.L.As., whether due to this Government are considering air route Mazaffarpur-Raxaul may be linked with Patna or Delhi with the North Bihar?

श्री च० मु० पुनाचा : इस क्षेत्र में समय समय पर यातायात सर्वेक्षण किये जा रहे हैं और इनसे यह पता चला है कि पटना, मुजफ्फरपुर और रक्सौल के बीच वायु सेवा चालू किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। लगभग 6 से 8 तक यात्री प्रतिदिन होते हैं। गत 62 उड़ानों में हमारा खर्च 30,000 रुपये था जबकि 9,500 रुपये की कुल आय हुई। यदि यह सेवा चलती रहे तो वर्ष में यह हानि 1.21 लाख तक फल जायगी। इतना कुछ निगम के लिये वहन करना संभव नहीं।

Shri Bibhuti Misra : I think the figures stated by the Minister are six year old. Now the world has gone ahead, the population has also gone up. The tastes have also changed. If the aeroplane goes from Patna to Nepal, I do not think the Minister will have to spend anything in this connection.

Mr. Speaker : When the world has changed, then you should also change and come to the question.

Shri Bibhuti Mishra : Sir, I am changed, that is why I have asked this question.

श्री च० मु० पुनाचा : कुछ सर्वेक्षण हाल ही में किये गये हैं और उनसे यह पता चला है कि अभी तक इस क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई ऐसी बात भी नहीं हुई है कि जहां पर वायु सेवा का औचित्य सिद्ध होता हो।

Shri K. N. Tiwary : The service to Nepal *via* Patna, may be diverted from Raxaul. People can go from this place to Kathmandu. Whether this proposal will be examined and if found economical will be taken up?

श्री च० मु० पुनाचा : समय समय पर इस बात पर निरन्तर विचार होता रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या जो भी वायु सेवाएं देश में चल रही है, वे सब मुनाफा दे रही है, अथवा नहीं। यदि नहीं तो क्या सरकार इस मुनाफा के विचार को छोड़ देगी ? क्या यह सच नहीं है यातायात उसी समय बढ़ता है, जब उन्हें सुविधा दी जाती है ?

श्री च० मु० पुनाचा : यह ठीक है, हम सब जगह मुनाफा नहीं कमा रहे हैं, फिर भी राजस्व और खर्चे का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। इस दृष्टि से इस क्षेत्र में अन्तर बहुत अधिक है।

श्री विश्वनाथ राय : पटना, मुजफ्फरनगर और कलकत्ता के बीच वायु सेवा काफी सस्ती रहेगी। क्या सरकार वैसे ही वायु सेवा को पुनः चालू करेगी जिससे अन्तर्गत गोरखपुर भी आ जायेगा।

श्री च० मु० पुनाचा : इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन निरन्तर वायु सेवाओं के आरम्भ करने के बारें में परीक्षण करता रहता है और हमारी यह इच्छा है कि देश के महत्व पूर्ण केन्द्रों को वायु सेवा से मिला दिया जाये।

चीनी पर से नियंत्रण का हटाया जाना

+

*124. **श्री स० मो० बनर्जी** :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भानु प्रकाशसिंह :
श्री उटिया :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० क० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चीनी पर से नियंत्रण हटाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) नियंत्रण हटाये जाने पर चोर बाजारी तथा जमाखोरी को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि 60 से 80 लाख टन फालतू चीनी है, यदि हाँ, तो क्या राज्यों का कोटा बढ़ा दिया जायेगा, और राशन की मात्रा में वृद्धि कर दी जायेगी ?

श्री शिन्दे : मेरे विचार में माननीय मित्र का अनुमान ठीक नहीं है। यह ठीक है कि वर्ष के अन्त में 6.8 लाख टन चिनी की बचत हुई थी। परन्तु आने वाले वर्ष में 39.8 लाख चीनी उपलब्ध होगी। और इसका विभाजन इस तरह से होगा। 10 प्रतिशत वृद्धि राशन में की जायेगी। इससे अन्तरिक खपत के लिये 26.86 लाख टन की अपेक्षा होगी। इसके अतिरिक्त 1 लाख टन प्रतिरक्षा सेनाओं तथा नेपाल, भूटान और सिक्किम तथा खाद्य उद्योगों के लिये चाहिये। इसके अतिरिक्त 4.5 से 5 लाख टन चीनी का अधिक निर्यात करना चाहते हैं। इस तरह वर्ष के अन्त में 7.5 लाख टन बचेगी। चीनी जांच आयोग ने हाल ही में यह सिफारिश की थी कि चीनी पर से नियन्त्रण हटाने के लिए यह जरूरी है कि 12 लाख टन का आपात संग्रह होना चाहिये। अतः इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, सरकार का विचार है कि आज की हालत में चीनी पर से नियंत्रण नहीं हटाया जाना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इतने बड़े वक्तव्य के बाद भी, ऐसा है तो मैं सहायता नहीं कर सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह ठीक है कि सरकार गन्ने की कीमत कम करना चाहती है, परन्तु गन्ना उत्पादकों की ओर से इस दिशा में कड़ा विरोध हो रहा हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चीनी मिलों के मालिकों के आग्रह के कारण गन्ने का दाम कम कर दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : हमने यह घोषणा कर दी हुई है कि गन्ने की कीमतें कम नहीं की जायेगी। यह घोषणा मौसम के आरम्भ में ही कर दी गयी थी।

श्री कपूर सिंह : क्या कानपुर के लोगों के लिये अपेक्षित चीनी की व्यवस्था कर ली गयी है, क्योंकि बैनर्जी का उस क्षेत्र का विशेष सम्बन्ध है ?

श्री शिन्दे : जनवरी 1966 से विभिन्न राज्यों के चीनी कोटे में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी है ।

Shri Ram Sewak Yadav : I want to know whether the Honourable Minister has got some information that sugar is not available at the fixed rate and in sufficient quantity, but you can get as much sugar as you like in the black market. Nowhere there is shortage there, if this is so, the action the government is taking in this direction?

श्री शिन्दे : थोड़ी मात्रा में काले बाजार में मिल जाती होगी। मुख्य अंश तो राज्यों को दे दिया जाता है और वितरण सहकारी संस्थाओं के द्वारा होता है। यह अर्ध-राशन चीज है, अतः माननीय सदस्य की बात तथ्यों पर आधारित नहीं है।

Dr. Ram Manohar Lohia : What is the percentage of sugar production in Bihar and Uttar Pradesh compared to the total production in the country and whether in view of the fact that the farmer produces less sugarcane, in these areas, the steps which the Government are taking to do justice with these areas?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रतिएकड़ उत्पादन कम है। इस के अतिरिक्त चीनी की उपलब्धि भी कम है। यही कारण है कि चीनी का उत्पादन व्यय बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक है। वहां पर हम गन्ने की कोटी में सुधार करने की सोच रहे हैं। परन्तु हमे यहां पर विद्यमान प्राकृतिक हालतों का भी ध्यान रखना है, विशेष रूप में सर्दियों के दिनों के दो तीन महीनों में गन्ने का उत्पादन रूक जाता है। इससे उत्तरी क्षेत्र के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय : कितनी प्रतिशतता तक, इन दोनों राज्यों के कुल उत्पादन का, यह उन्होंने पूछा है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : देश के उत्पादन का 50 प्रतिशत इन दो राज्यों में होता है।

श्रीमती सावित्री निगम : मै यह जानना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के लाभ के लिये गन्ने की कीमत को एकसा करने का सरकार का प्रस्ताव था, क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है अथवा वह अभी विचाराधीन है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : गन्ना को इकठ्ठा करके एक कीमत निर्धारित करने का कोई विचार नहीं है ।

श्री रंगा : जब गत वर्ष 6.5 लाख टन की बचत हुई थी तो अगले वर्ष 12 लाख टन ही क्यों ....

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अगले वर्ष 7 लाख टन होगा।

श्री शिन्दे : यह आयोग की सिफारिश है।

श्री रंगा : क्या कारण है कि आपात स्टाक इकठ्ठा किया जा रहा है, और इस तरह चीनी का मूल्य उपभोक्ताओं के लिये बढ़ रहा है? क्या इन नियन्त्रणों को चालू रखना सरकार की नीति है और उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं? यह माठे बाजीं से भिन्न क्या है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : विचार करने वाली बात यह है कि हमने गन्ने की कीमतें निर्धारित कर दी है, जो कि चीनी के कारखानों को देना होता है।

श्री रंगा : गन्ना उत्पादक अथवा चीनी कारखाने?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : चीनी कारखानों द्वारा चीनी उत्पादकों को दिया जाता है। अतः इस मामले पर विचार करते समय चीनी के उत्पादन का ध्यान रखना पड़ता है, और यह देखना होता है कि इसे किस कीमत पर बेचा जाय। यह मतलब नहीं है कि यदि हम नियन्त्रण हटा लेंगे तो फिर इसके बिक्री मूल्य पर भी नियन्त्रण रखेंगे, मतलब यह कि गन्ना उत्पादकों को कम से कम मूल्य दिया जाना चाहिये। कीमतें कम नहीं हो सकती, जब तक कि कारखानें हानि उठाने को तैयार न हो जाय। इस तरह से तो वे बंद ही हो जायेंगे।

श्री रंगा : आप जरा करते जाइये .... **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री मा० ल० जाधव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि चीनी कारखाने ने यह शिकायत की है कि उनकी स्टोर क्षमता बिलकुल समाप्त हो गयी है, क्योंकि उन्हें चीनी की निकासी के आदेश प्राप्त नहीं होते?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जनवरी से लेकर आगे के लिये सभी राज्यों को 10 प्रतिशत अधिक चीनी दे दी गयी है।

श्री वासुदेवन नायर : क्या सरकार को पता है कि गन्ना उत्पादकों के कई लाख रुपये लगते हैं। मेरे राज्य के कुछ भागों में तो यह बहुत है। 1958–59 और 1959–60 के हिसाब में यह चल रहा है जो कि मूल्य निर्धारण समिति ने तय किया था, यदि हां, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार गन्ना उत्पादकों यह राशि दिलवाने के लिये क्या पग उठा रहे हैं ताकि गन्ना उत्पादक अपना गन्ना कारखानों को दे सके?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह पुराना विवाद है। इसे पंच फैसले के लिये भी दिया गया था और एक वर्ष के लिये पंचाट भी घोषित किया गया था। कारखानों वाले उच्च न्यायालय में चले गये हैं। उनका कहना है कि यह पंच फैसला अवैध था, और बहुत से उच्च न्यायालयों ने इस दिशा में रोकादेश जारी कर दिये हैं। मामला सरकार के विचाराधीन है।

Shri Yashpal Singh : Whether it is a fact that the reason of shortage of sugar in Uttar Pradesh is due to the fact that the licences were not issued to the cane-growers. The khandsari was given the licences. What steps the Government are taking to solve this problem?

श्री शिन्दे : अभी हाल ऐसी कोई समस्या नहीं है। खांडसरी क्षेत्र और चीनी क्षेत्र में भी परस्पर कोई झगड़ा नहीं। इसका कारण यह है इस वर्ष गत वर्ष के मुकाबले में खांडसारी और गुड़ की कीमत बहुत कम है।

Shri Yashpal Singh : He has not followed the question.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या खांडसारी का लाइसेंस उन लोगों को नहीं दिया गया जो कि इसके पात्र थे, अन्य लोगों को दिया गया, जिसके फलस्वरूप चीनी की देश में कमी हो गयी।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : लाइसेंस उत्तर प्रदेश सरकार देती है। अभी तक हमें इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है कि इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार कोई भेदभाव किया हो।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या निर्यात के लिये कोई मात्रा निर्धारित कर दी गयी है ?

श्री शिन्दे : अपने कार्यक्रम के अनुसार हम आगामी वर्ष 4 से 5 लाख टन तक चीनी का निर्यात करेंगे।

Shri Bade : With the decontrol of cement, people are getting cement at 7 rupees per bag. Why the same policy is not adopted in connection with the sugar?

Mr. Speaker : But at present the question is of sugar not of cement.

Shri Bade : I want that Government should also adopt the policy of decontrol of sugar as it has been adopted in connection with cement. As the Minister has stated that 12 lakh tons of sugar will be collected before the decontrol is decided. The date by which you will be able to do it.

श्री शिन्दे : वास्तव में यह आयोग की एक सिफारिश थी। सरकार का फैसला तो उन हालात पर ही आश्रित होगा जो कि फैसला करते समय विद्यमान रहेंगे।

Shri Brij Behari Marhotra : Whether the Government will consider the question of decontrol of sugar when the production of sugar will be beyond their calculations?

श्री शिन्दे : मैंने वास्तविक स्थिति बता दी है। इस वर्ष 40,000 से 50,000 टन अधिक उत्पादन होने की सम्भावना है। इससे अधिक बढ़ने की आशा नहीं।

गेहूं तथा अन्य अनाजों का उत्पादन

+

*125. **श्री हुकमचन्द कछवाय :** **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में रबी की फसल में गेहूं तथा अन्य अनाजों का अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ है तथा इसकी गत वर्ष के उत्पादन से क्या तुलना है; और

(ख) इस वर्ष खाद्य उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्रा) : (क) और (ख) : उपलब्ध जानकारी वाला एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जुलाई, 1966 में कृषि वर्ष (जुलाई-जून) की समाप्ति पर ही 1965–66 के गेहूं तथा अन्य धान्यों के फसल कटाई सर्वेक्षणों पर आधारित उत्पादन अनुमान प्राप्त हो सकेंगे। परन्तु वर्तमान संकेतों के अनुसार 1965–66 में गेहूं तथा अन्य समस्त दूसरे धान्यों के उत्पादन में गिरावट होने की आशा है।

(ख) कच्चे अनुमानों के अनुसार जोकि केवल किस्म सम्बन्धी रिपोर्ट पर आधारित हैं, इस वर्ष देश के कुल खाद्य उत्पादन में पिछले वर्ष के 884 लाख मीटरी टन के रिकार्ड उत्पादन की तुलना में लगभग 125 लाख मीटरी टन या अनुमानतः 14 प्रतिशत गिरावट होने की सम्भावना है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether in view of the decline of 14 per cent in food production, Government propose to give any financial help to the State Governments and if so, the amount thereof?

Shri Shyam Dhar Mishra : Provision has been made for it in the five Year Plan. Sufficiently large amounts are being given. At present I cannot state what the exact amount is.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Which of the States have been given aid for increasing the wheat production?

Shri Shyam Dhar Mishra : They are Punjab, U. P. and Rajasthan.

श्री प्र० चं० बरुआ : इस वर्ष कितनी अतिरिक्त भमि में खेती की गई तथा उसमें कितना उत्पादन हुआ ?

श्री श्याम धर मिश्र : अगले वर्ष लगभग 45 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में खेती की जायेगी।

श्री राम सहाय पाण्डेय : इस मामले में क्या कसौटी अपनाई जाती है ? क्या राज्यों को अधिक सहायता देते समय उत्पादन की अधिक क्षमता को ध्यान में रखा जाता है ?

श्री श्याम धर मिश्र : राज्यों के कार्य तथा वहां पर उत्पादन की संभावनाओं में आधार पर सहायता निर्धारित की जाती है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये इल्यूशिन–18

*126. **श्री बागड़ी :**
श्री रामसेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हेम बरुआ :
श्री कर्णी सिंहजी :

क्या **परिवहन उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री 7 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1950 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से इल्यूशन-18 खरीदने के लिये कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) : चूंकि सरकार, कारपोरेशन द्वारा सुझाये गये तरमीमों और उनके परिणामस्वरूप विमान की लागत के विशेष संदर्भ में, अभी इस विमान के अतिरिक्त ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रही है, इसलिये कोई निर्णय नहीं किया जा सका ।

Shri Ram Sewak Yadav : How long will it take for the Government to take a decision and what are the obstructions in the way?

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : उस के निर्माताओं को हमने कुछ सुझाव दिये हैं। उनका उत्तर प्राप्त होते ही हम इस मामले में निर्णय कर सकेंगे।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether talks are being held with any other countries also and if so, whether the price of the aircraft will be less than that of the Ilyushion 18?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस समय हम अन्य प्रकार के विमानों की खरीद पर भी विचार कर रहे हैं परन्तु कुछ मुख्य मार्गों के लिये इस विशिष्ट विमान को बहुत ही उपयुक्त पाया गया है। निर्णय करने से पूर्व इन सब बातों पर विचार किया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मरुस्थल विकास प्राधिकार

*127. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरुस्थल विकास प्राधिकार बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका गठन किस आधार पर किया जायेगा, इसके कार्य कलाप किस प्रकार तय किये जायेंगे, इस पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है तथा इस योजना से क्या परिणाम निकलने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) तथा (ख) : प्रस्ताव को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है। ब्यौरा अब तैयार किया जा रहा है।

राज्यों की अनाज वसूली योजनायें

*128. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई अनाज वसूली योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है ;

(ख) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और तुलनात्मक अध्ययन का क्या परिणाम निकला; और

(ग) योजनाओं को अन्तिम रूप देने से पहले कितने राज्यों ने केन्द्र से परामर्श किया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) योजनाओं के ब्यौरे और तुलनात्मक अध्ययन के परिणाम बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ग) अधिप्राप्ति की योजनाओं के ब्यौरे स्वयं राज्यों द्वारा तैयार किय गये थे। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5522/66**]

दिल्ली परिवहन उपक्रम को हुई हानि

***129. डा० राम मनोहर लोहिया :**	**श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :	**श्री भागवत झा आजाद :**
श्री राम सेवक यादव :	**श्री स० चं० सामन्त :**
श्री किशन पटनायक :	**श्री हेडा :**

क्या **परिवहन, उड्यन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम को गत वर्ष बसों को खरीदने के एक ही सौदे में लाखों रुपये की हानि हुई ;

(ख) क्या इसकी कोई जांच की गई है ;

(ग) क्या इस उपक्रम की कार्यप्रणाली की जांच के लिये कोई आयोग नियुक्त करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : दिल्ली परिवहन संस्थान के काम काज की जाच करने के बारे में एक विशेष समिति गठित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

Colourisation of Vanaspati

***130. Dr. Ram Manohar Lohia :**	**Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Bagri :	**Shri P. C. Borooah :**
Shri Ram Sewak Yadav :	**Shri M. L. Dwivedi :**
Shri Kishen Pattnayak :	**Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri Yashpal Singh :	**Shri S. C. Samanta :**
Shri Bhanu Prakash Singh :	**Shri Subodh Hansda :**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the progress so far made in the matter of colourisation of vanaspati as a result of examination of the proposal submitted by the experts committee on this subject which has been under consideration of Government ; and

(b) the details thereof?

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri C. Subramaniam) : (a) The Committee of Experts has not submitted any proposal for colourisation of vanaspati as it has not been able to find out a suitable colour.

(b) Does not arise.

राज्य सभा में केरल का प्रतिनिधित्व

*131. श्री श्रीनारायण दास :

श्री मुहम्मद कोया :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केरल राज्य में इस समय विधान सभा नहीं है, मार्च, 1966 के अन्त में राज्य सभा के लिये द्विवार्षिक निर्वाचन के अवसर पर केरल विधान सभा द्वारा राज्य सभा में रिक्त स्थानों के भरने के बारे में कानूनी स्थिति पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) और (ख) : सरकार मामले की जांच कर रही है ।

Bye-elections and General Election

*132. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Madhu Limaye :
Shri Kishen Pattnayak :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bari :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Yashpal Singh :
Shri J. B. S. Bist :
Shri Dharmalingam :
Shri S. V. Ramaswamy :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) The number of bye-elections to be held for vacant seats in the Lok Sabha and in the State Legislatures ;

(b) when they are likely to be held; and

(c) whether there is any possibility for the postponement of the General Elections for some time?

Minister of Law (Shri G. S. Pathak) : (a) The number of bye-elections to be held for vacant seats in the Lok Sabha and in the State Legislatures are 6 and 38 respectively.

(b) Government have not taken any decision on this matter yet.

(c) The general elections are due to be held early in 1967, and as far as can be foreseen, the elections will be held by the due date.

अमरीका से सहायता

***133. श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका के कृषि सचिव के विशेष सहायक, श्री लेस्टर ब्राउन के, जो खाद्य स्थिति तथा अत्यावश्यक आयात वस्तुओं जैसे उर्वरक, बीज आदि की दीर्घकालीन आवश्यकताओं का तत्काल अध्ययन करने के लिये हाल ही में भारत आये थे, निष्कर्षों का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) उनके निष्कर्षों के आधार पर तथा आगामी पांच वर्षों की अवधि में कितनी सहायता मिलने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) तथा (ख) : मि० लेस्टर ब्राउन जो अमरीका की सरकार के अधिकारी हैं, ने अपनी रिपोर्ट अमरीका सरकार को दी, भारत सरकार को नहीं। अमरीका के कृषि विभाग ने इस रिपोर्ट के बारे में क्या किया है इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कुछ ज्ञान नहीं है। अमरीका की सरकार ने उर्वरक खरीदने हेतु 1966 के लिये अपने सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 मिलियन डालर का ऋण दिया है। आगे की सम्भावित सहायता के बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता।

गोआ में चुनाव

***134. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या **विधि** मंत्री 16 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 246 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में आम चुनाव कराने के बारे में अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क), (ख) और (ग) : आपात के कारण इस मामले में अभी कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है।

दक्षिण के राज्यों में खाद्य स्थिति

***135. श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए दिसम्बर, 1965 में दिल्ली में दक्षिण के राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी, और

(ख) यदि हां, तो बैठक में हुई चर्चा के फलस्वरूप क्या निर्णय किये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) यह निश्चय हुआ कि आन्ध्र प्रदेश और मद्रास के 1966 के निर्यात वायदों का निर्धारण किसी समय फरवरी या मार्च में जबकि खरीफ की पैदावार के अन्तिम अनुमान प्राप्त हो जाएंगे, किया जा सकेगा। इस बीचमें, आन्ध्र प्रदेश केरल को दिसम्बर और जनवरी में 40,000 मीट्रिक टन चावल और फरवरी में 25,000 मीट्रिक टन चावल सप्लाई करेगा। इस प्रकार मद्रास ने केरल को दिसम्बर और जनवरी में 50,000 मीट्रिक टन चावल सप्लाई करना था।

आन्ध्र प्रदेश ने मैसूर को भी 5,000 मीट्रिक टन चावल सप्लाई करना था।

बूचड़खानों का आधुनिकीकरण

*136. **श्री हेम बरुआ :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बूचड़खानों की आधुनिकीकरण की दिशा में, जिसके लिए तीसरी पंच-वर्षीय योजना में 803 लाख रुपये नियत किये गये थे, संतोषजनक प्रगति न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में बूचड़खानों के आधुनिकीकरण की गति में तेजी लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) और (ख) : एक वितरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बूचड़खानों तथा मांस-मन्डियों की स्थापना के लिये राज्य सरकारों को ऋण देने के लिये 803 लाख रुपये नहीं अपितु 303.75 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। मन्द प्रगति के कारण निम्न हैं:—

(1) राज्य सरकारों की ओर से इस परियोजना को अधिक अग्रता न दी गई;

(2) इस योजना की पूर्ति के लिए नगर पालिकाओं तथा राज्य सरकारों के पास धनाभाव था;

(3) विदेशी मुद्रा की कमी के कारण उन मशीनों और साज-सामान का आयात न हो सका जोकि बूचड़खानों के आधुनिकी करण के लिये आवश्यक हैं ;

(4) तकनीकी ज्ञान की कमी; और

(5) बूचड़खाने खोलने के प्रति जनता का जबरदस्त विरोध।

(ख) स्कीम को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है। प्रस्ताव है कि 1074.80 लाख रुपये की अनुमानिक राशि से 4 बड़े, 25 मध्यम श्रेणी के तथा 128 छोटी श्रेणी के बूचड़खानों और 20 मांस मन्डियों की स्थापना की जाये। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु एक उदार प्रतिमान अपनाने का सुझाव दिया गया है। कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत एक बूचड़खाना-विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त की गई हैं और राज्य सरकारों को परामर्ष दिया गया है कि वे बूचड़खानों के लिये योजनायें तैयार करने तथा उनका आधुनिकीकरण करने के लिए उनकी सेवाओं का लाभ उठायें। महाराष्ट्र के देवनार बूचड़खाने के लिए हाल ही में 19.46 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा दी गई है।

भारत का खाद्य निगम

*137. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के खाद्य निगम में सेवा की शर्तें क्या हैं और भर्ती कैसे की जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में खाद्य निगम में चले जाने से एकदम काफी वृद्धि हो जाती है; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली खाद्यान्नों की वसूली का व्यय भारत के खाद्य निगम द्वारा की जाने वाली वसूली की तुलना में कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) भारतीय खाद्य निगम में भर्ती के तरीके और नौकरी की शर्तें भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 12 उपधारा, 2 के अन्तर्गत बनाए गए विनियमों से शासित होती है। ये विनियम भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) खाद्य निगम के बारे में उपलब्धियों में कोई विशेष वृद्धि नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की किसी अन्य सरकारी क्षेत्र के निगम में प्रतिनियुक्ति पर जो प्रतिनियुक्ति अथवा अन्य भत्ते मिलते हैं वही यहां भी मिलते हैं।

(ग) खाद्य निगम के अधिप्राप्ति खर्चों की गणना इसका वार्षिक हिसाब-किताब पूरा हो जाने के बाद ही की जा सकती है। तथापि, अधिप्राप्ती से सम्बन्धित स्थापन सम्बन्धी खर्चों का अस्थायी अनुमान औसतन लगभग 50 पैसे प्रति क्विटल होने की आशा है और अधि-प्राप्ति पर राज्य सरकार के प्रशासनिक खर्चे की तुलना में अनुकूल स्थिति में होंगे।

विमान यात्रा बीमा

***138. श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही कि विमान दुर्घटना से, जिसमें एयर इंडिया का बोइंग विमान 707 मौंट-ब्लेंक से टकरा गया था, यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या विमान यात्रियों के लिए, विशेष रूप से जो विदेश जा रहे हों, विमान यात्रा बीमा अनिवार्य करना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान नियम क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क), (ख) और (ग) : इंडियन कैरेज बाई एयर ऐक्ट, 1934 जो वारसा अभिसमय का क्रियान्वयन करता है, अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के मामलों में यात्रियों की मृत्यु होने या उनके घायल होने की हालत में 125,000 फ्रेंच फ्रांक जो लगभग 42,000 रुपयों के बराबर है, क्षतिपूर्ति देने की सीमा निर्धारित करता है। इंडियन कैरेज बाई एयर एक्ट, 1934 को, कुछ अपवाद सहित और उसमें कुछ रूपान्तर तथा तरमीम करते हुए, एक अधिसूचना के द्वारा जो 17 दिसम्बर, 1963 को जारी की गयी थी, गैर-अन्तर्राष्ट्रीय चालनों पर 1-3-1964 से लागू कर दिया गया है इस अधिसूचना के अनुसार यात्री की मृत्यु होने या उसके शरीर पर ऐसी चोट या ऐसे घाव हो जाने की दशा में जिससे वह अपने सामान्य व्यवसाय या काम में लगाने या उसे करने के लिए हमेशा के लिए बेकार हो जाता है, केरियर को प्रत्येक यात्री के लिए यदि वह दुर्घटना की तारीख को 12 वर्ष या इससे अधिक उम्र का हो तो 42,000 रुपये और यदि वह 12 वर्ष से छोटा हो तो 21,000 रुपये देना होगा।

जम्मू तथा काश्मीर को अनाज का सम्भरण

*139. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 के लिए जम्मू तथा काश्मीर राज्य को अनाज (चावल, गेहूं तथा मकई) की कितनी मात्रा नियत की गई थी;

(ख) 1 अप्रैल, 1965 से 31 दिसम्बर, 1965 की अवधि में उस राज्य द्वारा कितना अनाज उठाया गया ; तथा आयात किया गया; और

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी प्रकार के अनाज के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये है, वहां पर खाद्य स्थिति को सामान्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जम्मू तथा काश्मीर को चावल का नियतन फसल वर्ष के आधार पर किया जाता है 16-10-1965 से अब तक जम्मू तथा काश्मीर को 36,000 मीट्रिक टन चावल नियत किया गया है;

(ख) गेहूं का नियतन मासिक आधार पर किया जाता है। प्रत्येक जनवरी और फरवरी, 1966 के महीनों में जम्मू तथा काश्मीर को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं नियत किया गया है। जम्मू तथा कश्मीर को मक्का का नियतन नहीं किया गया है।

(ग) राज्य के जम्मू और श्रीनगर तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक राशन व्यवस्था लागू है। अन्य जरूरत मंद क्षेत्रों में भी कुछ वितरण किया जाता है ।

राज्यों में उत्पादकों पर फसल उगाही

*140. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हेमराज :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह
श्री मुहम्मद कोया :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने खाद्यान्नों की तात्कालिक मांग को पूरा करने के लिए गेहूं, धान, ज्वार, मक्का तथा बाजरा के उत्पादकों पर फसल उगाही लागू कर दी है;

(ख) क्या उगाही की मात्रा सब जोतों पर समान रूप से निर्धारित की गई है;

(ग) सिंचाई वाली तथा सिंचाई न की जाने वाली दोनों प्रकार की भूमि के मामले में छूट की सीमा क्या है; और

(घ) फसल की उगाही के फलस्वरुप राज्यवार अब तक कितना अनाज वसूल किया जा चुका है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) विभिन्न राज्यों में लेवी के अन्तर्गत सिंचित और असिंचित भूमि के बारे में छूट की सीमाएं बताने वाला एक विवरण संलग्न है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए, संख्या एल० टी० 5523/66]

(घ) फसल लेवी के फलस्वरूप एकत्रित किये गये स्टाक के अलग आंकड़े नहीं रखे गये हैं।

Self-Sufficiency in food

*141. **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bagri :
Shri Warior :
Shri Vasudevan Nair :
Shri Prabhat Kar :
Shri Indrajit Gupta :
Shri Vishram Prasad:
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Yashpal Singh :
Shri Bhibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :
Shri Sarjoo Pandey :
Shri Karni Singhji :
Shri Heda :
Shri P. C. Borooah :
Shrimati Ramdulari Sinha :
Shri Sezhiyan :
Shri S. Kandappan :
Shri Rajaram :
Shrimati Renuka Ray :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up any scheme to take steps in consultation with the State Governments to achieve the target fixed for becoming self-sufficient in food by the end of this decade ; and

(b) If so, the salient features thereof?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. D. Mishra) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

The Government of India have drawn up a High Yielding Varieties Programme which is being taken up in selected areas by concentrated application of improved practices on high yielding varieties of seeds. It is proposed to cover about 32·5 million acres of area under the High Yielding Varieties of paddy (Taichung Native I, Taichung 65, Taiwan 3 and ADT 27), Mexican varieties of wheat and hybrid varieties of maize, jowar and bajra. This programme is expected to give an additional yield of 25·5 million tonnes of foodgrains. The requisite quantities of fertilisers and pesticides are being arranged for this programme, and arrangements are being made for the multiplication of the requisite quantities of seed. This programme is in addition to the normal programmes for major and medium irrigation, minor irrigation, soil conservation and for distribution of improved seeds, fertilisers etc. all over the country.

With the achievement of these targets it is expected that there will be no net imports of foodgrains into the country by 1970-71.

खाद्यान्न का राजकीय-व्यापार

*142. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न का राजकीय व्यापार करने के लिए तैयार राज्यों को वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया है,

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस सहायता के वित्तीय तथा प्रशासनिक पहलू क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) केन्द्रीय सरकार ने अपनी सहमति प्रकट की है कि यदि राज्य सरकारें अपने साधनों से अधिप्राप्ति कार्यों का सारा खर्च पूरा करने में असमर्थ हैं तो उन्हें वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जाए ;

(ख) लगभग सभी राज्य सरकारें मिल मालिकों, व्यापारियों और उत्पादकों पर लेवी लगाकर या एकाधिकार आधार पर जो भी तरीका उन के राज्य की परिस्थितियों के अनुकूल है, खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति कर रही हैं।

(ग) इस में कोई प्रशासनिक कठिनाइयां नहीं हैं। इस नीति की वित्तीय कठिनाइयां निम्न प्रकार हैं :—

(1) राज्य सरकार या राज्य सहकारी बैंकों को आवश्यक सीमा तक खाद्यान्नों के रेहन पर प्राप्त ड्राफ्टों पर नकद उधार मिलना चाहिये। इन सभी प्रार्थनाओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाता है और आवश्यक अनुमति प्रदान की गयी हैं।

(2) भारत के स्टेट बैंक के साथ यह प्रबन्ध किये गये हैं कि वह चालू सीजन में लगभग 40 करोड़ रुपये की सीमा तक अतिरिक्त वित्तीय निभाव स्वीकार करें। जब स्टाक का स्तर नीचे आ जाता है तब इन पेशगियों में कमी कर दी जाएगी। भारत के स्टट बैंक या अन्य वाणिज्यिक बैंकों (पंजाब के मामले में) को इस योग्य बनाने के लिये जिससे कि वे अधिप्राप्ति और वित्तरण के लिये राशि उधार दे सकें, रिजर्व बैंक ने बताया है कि इन बैंकों को बैंक दर पर धन दिया जाएगा।

(3) अवशिष्ट राशि के लिये अर्थोपाय ऋण के रूप में सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा सुलभ की जानी चाहिये। इस शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार 10 करोड़ रुपये तक ऋण मंजूर कर चुकी है।

कच्छ की मरुभूमि को उपयोगी बनाना

*143. श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री हेडा :
श्री रामेश्वर टांटिया
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री रा० बरुआ :
श्री बसुमतारी :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञों ने कच्छ की मरुभूमि को उपयोगी बनाने की एक योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां। योजना कच्छ की लिटिल रैन के सुधार के लिए है।

(ख) खाद्य तथा कृषि संगठन के दल ने कच्छ के लिटिल रैन की भूमि की अक्षारीयता के सम्बन्ध में संदेह उठाये हैं। इस भूमि के सुधार की व्यवहार्यता और आर्थिक सम्भाव्यता को दृष्टि में रखते हुए दल ने पहले तीन रूप के कार्यक्रम की सिफारिश की है। इसमें सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक खतों का अध्ययन त । मार्गदर्शी परियोजनायें शामिल हैं ।

(ग) खाद्य तथा कृषि संगठन के मिशन द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को गुजरात सरकार के पास भेज दिया गया था क्योंकि योजना को उन्होंने ही चलाना है। मिशन द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं ।

इन सिफारिशों के आधार पर गुजरात सरकार द्वारा तैयार की गई योजना पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

पश्चिमी पाकिस्तान में चोरी छिपे चावल ले जाना

***144. श्री भानु प्रकाश सिंह :** **श्री उटिया :**
श्री किशन पटनायक : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री बागड़ी : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री विश्राम प्रसाद : **श्री यशपाल सिंह**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान से पश्चिमी पाकिस्तान में चोरी छिपे चावल और अन्य अनाज ले जाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पिछले छः महीनों में ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) चोरी छिपे माल ले जाने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न हीं नहीं उठते ।

मद्रास में प्रोत्साहन बोनस योजना

*145. श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने उन कृषकों के लिए प्रोत्साहन बोनस योजना लागू करने का निश्चय किया है जो धान की प्रति एकड़ निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा सरकार को देंगे :

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसी योजनाओं को माध्यम बनाने की दृष्टि से सरकार इन्हें, अन्य राज्यों में प्रोत्साहन देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार लेवी के अन्तर्गत उत्पादक द्वारा धान की दी जाने वाली अपेक्षित मात्रा से अधिक की गयी मात्रा पर दो रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देगी ।

(ग) जी नहीं ।

Food Situation in Kerala

***146. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Sidhanti :
Shri Yashpal Singh :
Shri Madhu Limaye :
Shri Vasudevan Nair :
Shri Warior :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Bagri :
Shri Linga Reddy :
Shri Gulshan :
Shri Lahri Sing :
Shri B. K. Das :
Shri Sham Lal Saraf :
Shrimati Ramdulari Sinha :
Shri Indrajit Gupta :
Shri Prabhat Kar :
Shri P. R. Chakravarti :
Shri Mohammed Koya :
Shri Kappen :
Shrimati Akkamma Devi :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri P. C. Borooah :
Shri Shree Narayan Das :
Shri Lahtan Chaudhry :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the food situation in Kerala, particularly supply of rice, has deteriorated ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action being taken to ease the situation?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) The rice quantum of the ration in Kerala was reduced from 160 grams to 120 grams per adult per day from the 9th January 1966. The wheat quantum of the ration was simultaneously increased correspondingly. The total quantity of cereals supplied was thus continued without reduction.

(b) A reduction in the rice quantum of ration was due to the non-availability of rice from imports from abroad and a temporary slowing of movement of rice from Andhra Pradesh and Madras.

(c) The movements of rice from Andhra Pradesh and Madras were speeded up. 15,000 tonnes of rice were also rushed from Orissa, and with the improvement of the stock position the rice ration has been raised to 140 grams per adult per day. Further action is being taken to move more rice to Kerala and it is hoped to be able to increase the rice ration to its old level of 160 grams per adult per day from the later half of March.

Food Situation in States

***157. Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that high-level discussions on the food situation in Madhya, Pradesh, Gujarat, Rajasthan and Maharashtra were held in Delhi on the 30th December, 1965 with the Chief Ministers of the respective States; and

(b) if so, the main decisions taken?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) Yes, Sir.

(b) It was indicated to the Chief Ministers that in view of the serious rice shortage in the country this year, the Central Government would not be in a position to maintain supplies of rice to deficit States at last year's level and that these States should therefore, arrange for larger distribution of wheat and more intensive procurement of rice within the State. It was also decided that more and more productive relief works should be started in drought stricken areas. Non-productive relief works should be kept at the minimum.

चीनी

***148. श्री श्रीनारायण दास :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी के उत्पादन, चीनी के उपलब्ध स्टाक, निर्यात तथा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में चीनी की वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों को चीनी के आवंटन करने की प्रणाली तथा आधार में परिवर्तन किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिये कितना अभ्यंश निर्धारित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) 1965-66 की फसल में 7 फरवरी, 1966 तक शर्करा का उत्पादन 16.30 लाख मीट्रिक टन हुआ था। शर्करा कारखानों के पास उस तारीख को शर्करा का स्टाक 16.09 लाख मीट्रिक टन था। शर्करा की 2.67 लाख मीट्रिक टन मात्रा 1965 में निर्यात की गयी थी और अब तक 1966 में 3.97 लाख मीट्रिक टन शर्करा निर्यात करने का वायदा किया गया है। राज्यों में शर्करा वितरण का काम राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। आम तौर पर शहरी क्षेत्रों में शर्करा का वितरण कार्डों द्वारा किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकृत खुदरा दुकानदारों, सहकारी समितियों या पंचायतों के माध्यम से किया जाता है।

(ख) और (ग): सभी राज्यों को शर्करा नियत करने की पद्धति में संशोधन नहीं किया गया है। तथापि प्रत्येक राज्य के कोटे में जनवरी, 1966 से 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी है। प्रत्यक राज्य का मौजुदा शर्करा का मासिक कोटा बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5524/66।**]

केरल परिवहन निगम

539. **श्री अ० क० गोपालन**: क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केरल परिवहन निगम बोर्ड द्वारा कर्मचारियों के वेतन फिर से निश्चित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये श्री के० आर० एलनकथ की अध्यक्षता में एक उप-समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब तक दिया जायेगा; और

(घ) क्या कर्मचारियों को उस समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया था, जैसा कि विश्वास दिलाया गया था?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (घ): अपेक्षित सूचना केरल सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रखी दी जायेगी।

केरल परिवहन निगम

540. **श्री अ० क० गोपालन**: क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1964 में केरल परिवहन निगम के कर्मचारियों सम्बन्धी कुछ विवाद मध्यस्थता के लिये एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को सौपे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख): अपेक्षित सूचना केरल सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मछली पकड़ने के जहाजों के निर्माण के लिये जर्मनी का प्रस्ताव

541. **श्री अ० क० गोपालन**: क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लोकतन्त्रीय जर्मन गणराज्य की सरकार ने मछली पकड़ने के जहाजों के निर्माण तथा उससे सम्बद्ध मछली परिष्करण (प्रोसेसिंग) उद्योग स्थापित करने के लिये कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां; तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क), (ख) और (ग) : सरकारी क्षेत्र में जहाजों के निर्माण या मछली परिष्करण (प्रोसेसिंग) उद्योग के बारे में लोकतन्त्रीय जर्मन गणराज्य का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, एक भारतीय फर्म लोकतन्त्रीय जर्मन गणराज्य की इन्वेस्ट एक्सपोर्ट आरगनाइजेशन का सहयोग प्राप्त कर रही है और औद्योगिक लाइसेंस के लिये उनका आवेदन-पत्र उद्योग मन्त्रालय के विचाराधीन है ।

केरल में भूमि संरक्षण सर्वेक्षण एकक

542. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में मालमपुज्हा पालघाट में एक भूमि संरक्षण सर्वेक्षण एकक जून, 1965 से कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कार्य कब पूरा हो जायगा;

(ग) क्या इस बारे में कोई प्रतिवेदन दे दिया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि झील को पार करने के लिये नावों के न होने के कारण कार्य बिल्कुल रुका पड़ा है;

(ङ) क्या यह सच है कि मालमपुज्हा के निकटवर्ती वनों पर भू-स्वामियों ने कब्जा कर लिया है और वे वृक्ष काट रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) केरल सरकार ने केरल के पालघाट जिले की मालमपुज्हा सिंचाई परियोजना के जलग्रहों के सर्वेक्षण के लिए 30 जून 1965 को एक भूमि संरक्षण एकक की स्वीकृति दी थी। इस एकक ने अगस्त के अन्त में अपना कार्य शुरु किया था।

(ख) आशा है कि मार्च 1967 तक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जायेगा।

(ग) अभी नहीं। अध्ययन पूर्ण होने के पश्चात् ही एकक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) मालमपुज्हा वन क्षेत्रों के भू-स्वामी रबड़ के बाग लगाने के लिए "मद्रास प्रिज़र्वेशन आफ प्राईवेट फारेस्टस एक्ट" की धारा 3 (2) के अन्तर्गत जिलाधीश से अनुमति लेकर ही अपने वनों से वृक्ष काटते हैं। 1962-65 की अवधि में 4 व्यक्तियों को 650 एकड़ भूमि के क्षेत्र में वन काटने के परमिट दिये गये हैं। अभी तक बिना अनुमति लिए वन काटने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(च) अन्धाधुन्ध ढंग से वनों की कटाई को रोकने के बारे में उचित कदम उठाये गये हैं। परमिट होल्डर को किसी नदी के किनारे व बान्ध के आस-पास के क्षत्र से वृक्ष काटने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त 1500 फुट के कन्टुर निचान तक ही वृक्ष काटने की अनुमति है ताकि जलग्रह को भूक्षरण से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त 1965 के पश्चात जलग्रह को भूक्षरण से बचाने के लिए भूमि संरक्षण सम्बन्धी कार्यों को ध्यान में रखते हुए केवल भूमि संरक्षण विभाग के विशेषज्ञों की राय लेने के पश्चात ही परमिट दिये जाते हैं। कन्टूर के साथ टेरेसिंग करने के पश्चात वनों से साफ किये हुए क्षत्र में रबड़ के वृक्ष लगाये जाते हैं।

केरल में तूफान के कारण तम्बाकू की फसल को क्षति

543. **श्री अ० के० गोपालन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में तुफान और समुद्र द्वारा भूमि कटाव के कारण पाल्लिकारा-कम्मानूर में तम्बाकू की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है;

(ख) क्या कासरगोड के डिविज़नल राजस्व अधिकारी वहां गये थे और उन्होंने जांच की थी;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित किसानों को राहत देने का विचार किया है;

(घ) क्या कोई सहायता कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं; और

(ङ) यदि हां, तो वे क्या हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ङ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पर्यटकों की दृष्टि से आकर्षक-स्थानों का सर्वेक्षण

544. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से आकर्षक स्थानों की तुलनात्मक लोकप्रियता का पता लगाने के उद्देश्य से परिवहन मंत्रालय के गवेषणा विभाग द्वारा आर्थिक अध्ययन करने के लिये जो सर्वेक्षण किया जा रहा था क्या उसने अपना नमूना सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और अध्ययन दल ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क), (ख) और (ग): पर्यटक सर्वेक्षण, जो प्रगति पर है, का मुख्य ध्येय भारत में विदेशी पर्यटकों के व्यय का प्राक्कलन करना है। यह सर्वेक्षण दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और मद्रास के विमान पत्तनों पर समूचे वर्ष के लिये प्रत्येक महीने में एक सप्ताह के लिये है और बंबई तथा मद्रास के पत्तनों से जाने वाले जहाजों के चुने हुये नमूनों पर किया जाता है। यह जुलाई 1965 में शुरू किया गया था और जून 1966 के अन्त तक चलेगा। उसके बाद आकड़ों को क्रियाबद्ध करके परिणाम निकाले जायेंगे।

पश्चिमी बंगाल के लिये आदर्श चावल मिल

545. **श्री राम हरख यादव :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के लिये मेमारी में स्थापित की गई आदर्श चावल मिल में कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता कितनी है;

(ग) मशीन लगाने पर कुल कितना खर्च आया है; और

(घ) उसमें जापानी सहयोग कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) चावल मिल ने काम प्रारम्भ कर दिया है लेकिन सेलीकरण यूनिट, ड्रायर, साइलो गोदाम अभी तैयार होने हैं ।

(ख) दो मीट्रिक टन प्रति घंटा ।

(ग) मशीनरी स्थापित करने की कुल लागत रु० 1,05,000 रुपये हैं और प्रायोजना पर लगभग 23.50 लाख रुपय व्यय होने का अनुमान है।

(घ) यह मशीनरी जापान से खरीदी गयी है और जापानी मैन्यूफैक्चरज़ के इंजीनियरों ने मिल मशीनरी को लगाने में सहायता दी है।

अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों का उत्पादन

546. **श्री राम हरख यादव :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में खाद्य पदार्थों की कमी को पूरा करने के लिये आस्ट्रेलिया की प्रणाली पर सब्जियों से अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ बनाने के कारखाने स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अधिक प्रोटीन वाले सूप पाउडर, जिसे प्रोटीन कहा जाता है, की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे भारतीय जीवन के लिये उपयुक्त समझा है, और इसी प्रणाली पर कार्य करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

मंगलौर बन्दरगाह परियोजना

547. **श्री मुरली मनोहर :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर पत्तन के सुधार कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) परियोजना के कब तक पूरा होने की आशा है;

(ग) परियोजना पर कुल कितना खर्च होगा ; और

(घ) क्या परियोजना के पूंजी परिव्यय के मूल योजना से बढ जाने की सम्भावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क), (ख), (ग) और (घ) : अभी तक प्रारंभिक निर्माण-कार्य, यथा, भूमि की प्राप्ति, पहुंच जलमार्ग के छोटे टुकड़े का निकर्षण, कर्मचारियों के निवासस्थान और दफ्तरी इमारतों का निर्माण, सडकों का निर्माण, जल और बिजली की सप्लाई, जल लेखा चित्र सर्वेक्षण और माडल परीक्षण लाचों की खरीद, जरूरी निर्माण, कारखानों और वैज्ञानिक उपस्करों इत्यादि की खरीद इत्यादि जिसमें सब मिलाकर लगभग 4.5 करोड़ रुपये की लागत लगेगी, की स्वीकृति दी जा चुकी है। अलग से, नये पत्तन स्थान से रेललिंक पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। भूमि का 1000 एकड़ का क्षत्र प्राप्त किया जा चुका है और परियोजना अधिकारियों को दे दिया गया है। शष क्षेत्र के बारे में भूमि प्राप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है। कई प्रारंभिक कार्य पूरे किये जा चुके हैं ।

मंगलोर पत्तन परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और उसकी परीक्षा की जा रही है। परियोजना की पुनरीक्षित प्राक्कलित लागत 26.96 करोड़ रुपया है ।

मंगलोर पत्तन परियोजना के 1969 तक पूरा हो जाने की आशा है।

एयर इंडिया के बोइंग विमान का सिडनी में उतरना

548. **श्री मुरली मनोहर :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 18 जनवरी, 1966 को एयर इंडिया के एक बोइंग 707 विमान, जो बम्बई से सिडनी जा रहा था के कुछ टायर सिडनी हवाई अड्डे पर उतरते समय फट गये ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि इसमें कोई जन हानि हुई है तो वह क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी, हां ।

(ख) विमान सामान्य रूप से जमीन पर उतरा लेकिन जब वह लैंडिंग रौल पर आधे तक ही जा सका था कि हवाई अड्डे में एक भयंकर तुफान आया जिससे हवा की रफ्तार 10 नाटस् से बढकर ३० नाटस् हो गई तूफानी हवा के कारण विमान बायी ओर झुक गया। कमांडर ने विमान को रनव से बाहर जाने से रोकने के लिए दायीं ओर के पहियों के ब्रेक लगाये । विमान को रनवे पर रखने के लिए अपर्याप्त थी, कमांडर ने दायीं ओर के मुख्य पहियों पर पूरा ब्रेक लगाने की दृष्टि से एण्टीस्किड सिस्टम को स्विच आफ कर दिया। ब्रेकों के एकाएक और शक्ति से अधिक लगाये जाने के परिणामस्वरूप दायीं ओर के चार और बायीं ओर के दो मुख्य पहियों के टायर फट गये।

(ग) कोई जन-हानि नहीं हुई और कोई घायल नहीं हुआ ।

मिर्धा समिति का प्रतिवेदन

549. श्रीमती रामदुल्लारी सिन्हा : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामान्यत: मिर्धा समिति की सिफारिशों पर, तथा विशेष रूप से लेखा-परीक्षा को रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटीज़ से स्वतन्त्र बनाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : सहकारी सिद्धान्तों की परिभाषा तथा नकली समितियों व निहित स्वार्थों के विकास को रोकने के लिए सुझाए गए उपायों के बारे में मिर्धा समिति की मोटी-मोटी बातें सामान्यत: स्वीकार्य हैं। जहां तक लेखा-परीक्षा को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से स्वतंत्र रखने का प्रश्न है, सरकार समिति के सुझाव से मोटे तौर पर सहमत है कि लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी अंततोगत्वा सहकारी समितियों को स्वयं सम्भालनी चाहिए। सरकार का विचार है कि जब तक यह नहीं होता है, तब तक लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार की होनी चाहिए जिसे प्रशासनिक विंग से अलग एक लेखा परीक्षा विंग रखना चाहिए। सरकार ने समिति का यह सुझाव मान लिया है कि चुने हुए क्षेत्रों में कुछ प्रायोगिक प्रायोजनाएं शुरू की जानी चाहिए ताकि सहकारी संस्थाएं लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी दीर्घकालीन उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में प्रथम कदम के रूप में सम्भाल सकें। भारत के राष्ट्रीय विकास संघ तथा राज्य सरकारों के परामर्श से उपयुक्त क्षेत्र चुनने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

उर्वरकों का आयात

550. श्री लिंग रेड्डी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक विदेशों से कुल कितने उर्वरकों का आयात किया गया तथा उस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : तीसरी पंचवर्षीय योजना में 31 जनवरी, 1966 तक विदेशों से उर्वरकों की जो मात्रा आयात की गई और उस पर जो विदेशी मुद्रा खर्च हुई वह निम्नलिखित है : —

(1)	(क) उर्वरकों की मात्रा (सामग्री के रूप में)		40.78 लाख टोन्ज़
	(ख) नाईट्रोजन के रूप में मात्रा	. .	11.36 लाख टोन्ज़
(2)	विदेशी मुद्रा खर्च हुई	.	123 करोड़ रुपये

नोट :—उपरोक्त लिखित खर्च की गई विदेशी मुद्रा की राशि में ट्रेड प्लानज़ के अन्तर्गत रुपयों में की गई अदायगी शामिल है।

Representation for Uversiam to Lok Sabha

551. Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to give representation to about 4 lakh inhabitants of Uversiam (North east Frontier Agency), in Lok Sabha by election instead of nomination;

(b) if so, whether the preparation of electoral rolls has been taken up for the purposes of General Elections to be held in 1967; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhiraman) : (a) No.

(b) and (c). In view of section 4 of the Representation of the People Act, 1950, the seat is to be filled by nomination by the President and consequently the preparation of electoral rolls for the areas comprised within the North East Frontier Agency is not taken up.

Use of Hides and Bones of Cattle

552. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the scheme formulated by the Agriculture Adviser to the Government of India regarding the use of hides and bones of useless cattle after their death has been considered;

(b) if so, whether Government have drawn up any sheme in this regard; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) to (c). The following steps have been or are proposed to be taken to utilise the carcasses of fallen animals :—

(i) With a view to imparting training in the technique of hide flaying, curing and carcasses utilisation, a model training-*cum*-production centre at Bakshi-ka-Talab, Lucknow, has been set up with financial and technical assistance from the Govt. of Netherlands and FAO of the United Nations.

(ii) Another Regional Training Centre in Hide Flaying, Curing and carcass Utilisation is being established at Kessarpalli, Dist. Krishna, Andhra Pradesh and it is expected to start functioning in 1966.

(iii) The establishment of well equipped Charmalayas has been included in the Gosadan Scheme for adopting improved methods of flaying, curing of hides, manufacture of meat meal, bone meal etc. Eleven gosadans have been provided with Charmalayas. Most of the other gosadans have facilities for flaying.

(iv) It is proposed to establish 35 carcass utilisation centres at an estimated cost of Rs. 94·50 lakhs during the Fourth Five Year Plan. It is also proposed to establish 26 new Gosadans with well equipped Charmalayas for utilising the end products of carcasses.

(v) The Study Group (Export Sector) on Agricultural Commodities and Agriculture-based Industries have recommended provision of Rs. 78 lakhs for the establishment of 30 additional carcass utilisation centres, 50 units for the collection of bones and 25 units for the manufacture of animals casings. This is under examination.

(vi) The Khadi and Village Industries Commission are running a training centre at Kora Gramodyog Kendra; Borivalli, Bombay and they have also established a number of flaying centres in various parts of the Country.

पैसेफिक क्षेत्र पर्यटन संगठन (पाटा) सम्मेलन

553. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री लाटन चौधरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री राम हरख यादव :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1966 में पैसेफिक क्षेत्र पर्यटन संगठन का पन्द्रहवां सम्मेलन दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो कितने देशों ने इसमें भाग लिया था और किस विषय पर चर्चा हुई थी तथा इसकी सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या भारत ने इस सम्मेलन की कार्यवाही के अनुरुप देश में पर्यटकों को अधिक संख्या में आकर्षित करने लिये कोई व्यापक कार्यक्रम बना लिया है;

(घ) क्या सरकार ने पर्यटकों को भारत में आने से रोकने वाले कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन बुरा प्रभाव डालने वाले कारणों को किस हद तक समाप्त कर दिया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां। कांफ्रेंस जनवरी 24, 25 और 27 से 29 तक हुई थी। उसके पूर्व जनवरी, 21 और 22 को एक सेमिनार-वर्कशाप प्रोग्राम हुआ था।

(ख) इस कान्फ्रेन्स में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जिन महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई वे ये हैं——स्टीमरों द्वारा यात्रा, यात्रा पर अनुसन्धान और पर्यटक आकर्षिण, होटल योजना, सुविधायें, प्रशान्त में यात्रा, भविष्य में विमान यात्रा।

कान्फ्रेंस द्वारा की हुई सिफारिशें संस्ताव में है जो लोक सभा के पटल पर रखा है।

(ग) जहां तक पर्यटन के क्षेत्र में सरकार के योजना कार्यक्रम और नीति का संबंध है, वे इस विषय पर चालू अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के है और 1963 के अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा और पर्यटन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा की हुई सिफारिशों के अनुसार है। फिर भी निवासस्थान, परिवहन इत्यादि की पर्यटक सुविधाओं के विकास में सरकार का भाग लेना पाटा सम्मेलन वाद विवाद से उसका मतभेद सूचित करता है जो इस राय को सूचित करता है कि इस प्रकार की पर्यटक सुविधायें और वाणिज्यिक क्रियाकलाप गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये छोड दिये जाने चाहिए।

(घ) भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की विशेष अनिच्छायें और पर्यटन को निवारण करने के अध्ययन रिसर्च एजिन्सियों द्वारा किये गये हैं जिन्होंने अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कुछ सीमा तक यूरोप में पर्यटक बाजार अनुसन्धान में विशिष्टता प्राप्त की है। ये अध्ययन पर्यटकों के नमूना खंडों से वास्तविक वार्तालाप पर आधारित है, जो भारत भ्रमण कर लौटे हैं और वे जो योजना बना रहे हैं या अभी भारत आने वाले हैं।

(ङ) उपरोक्त सर्वेक्षणों से पता चला है कि भारत यात्रा के सुख से वंचित रखने में मुख्य तथ्य ये हैं :—

(1) स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान के अपर्याप्त मानकों का सामान्य प्रभाव।

(2) प्रसिद्ध पर्यटक स्थानों और स्मारकों पर भिखमंगों का होना तथा भीषण गरीबी के दृश्य ।

(3) बड़े शहरों तक में अच्छे मनोरंजन का न होना।

(4) अपर्याप्त होटल निवास व्यवस्था और परिवहन सेवा।

(5) मद्यनिषेध नियम ।

(6) वीजा प्राप्त करने में लंबी क्रियाविधि और आने तथा जाने पर कष्ट दायक औपचारिकतायें ।

उपरोक्त तथ्यों को पर्याप्त सीमा तक कम कर दिया गया है, किन्तु उन्हें बिल्कुल दूर करना संभव नही हो सका है क्योंकि ये सरकार द्वारा संयुक्त और समन्वयन से ही दूर किये जा सकते हैं। और संबद्ध राज्य सरकार भी इनमें से कुछ तथ्यों को दूर करा सकती है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5525/66।]

भारत खाद्य निगम के प्रधान द्वारा त्यागपत्र

554. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी
श्री विभूति मिश्रा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कोल्हा वैंकैया :
श्री म० न० स्वामी
श्री लक्ष्मी दास :
श्री उमानाथ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दे० जी० नायक :
श्री कपूर सिंह :
श्री प० ह० भील :
श्री प्र० क० देव :
श्री बड़े :
श्री लिंग रेड्डी :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत खाद्य निगम के प्रधान ने त्यागपत्र दे दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने व्यापारी फसलों के लिये भूमि नियत करने की नीति को बदलने के लिये सरकार से अनुरोध किया था और सुझाव दिया था कि खाद्यान्न पर लागू वसूली प्रणाली व्यापारी फसलों पर भी लागू की जायें; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उनके विचारों से सहमत हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) श्री टी० ए० पाई ने भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष के पद का कार्यभार अपनी एक वर्ष की कार्य अवधि पूरी करने के बाद छोड़ दिया है।

(ख) जी नहीं। पता चला है कि श्री पाई ने पत्रकार सम्मेलन में निम्नलिखित शब्दों में अपना मत प्रकट किया है :—

"खाद्य पैदा करने के लिये प्रयुक्त भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों के लिये प्रयोग करने पर कड़ा प्रतिबन्ध लागू होना चाहिये। फिर भी, काफी, चाय, रबड़, काली मिर्च, इलायची, काजू जैसी निर्यात फसलें खाद्य फसलों का मुकाबला नहीं कर सकती हैं और इससे ऐसी भूमि चली जाती है जोकि खाद्य फसलों के लिये उपयुक्त होती है। यद्यपि जिस भूमि पर पटसन पैदा की जाती है वह खाद्य फसलों के साथ मुकाबला कर सकती है क्योंकि पटसन से विदेशी मुद्रा की बचत होती है। गन्ना तथा अन्य वाणिज्यिक फसलों के बारे में यह आवश्यक दिखायी देता है कि भूमि का अलाभ कर प्रयोग रोकने के लिये कृषि के न्यूनतम मानकों पर ज़ोर दिया जाए जिससे अधिक अच्छी खाद्य की उपज हो सके। यदि इन मामलों में राजनीति का हाथ ऊपर है तो आर्थिक योजना का कोई अर्थ नहीं है।"

(ग) सरकार नकद तथा खाद्य फसलों में संतुलन रखने की आवश्यकता से पूरी तरह जागरुक है ।

मोटर परिवहन करांधान

555. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय सड़क और परिवहन विकास संस्था के प्रधान के मोटर परिवहन कराधान और मोटर गाड़ी कानून के बारे में समेकित तथा प्रभाविकृत दृष्टिकोण अपनाने सम्बन्धी सिफारिश पर विचार किया है,

(ख) यदि हां, तो कानूनों और विनियमों में सुधार और एकीकरण के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) अधिक संख्या में अंतर्राज्य मार्ग परमिटों को जारी करके राज्यों के बीच माल लाने ले जाने तथा यात्रियों के आवागमन को बढ़ाने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : इस देश में मोटर गाड़ियों के काराधान और विनियमन से संबंधित मामलों के बारे में मोटर परिवहन संस्थाओं और अन्य संस्थाओं से जिन में भारतीय सड़क और परिवहन विकास संस्था भी शामिल है, समय समय पर सुझाव प्राप्त हुये हैं। मोटर गाड़ी कराधान के समस्त पहलुओं की जांच के लिये भारत सरकार ने डा० बी० वी० केसकर की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति स्थापित की है जो वर्तमान स्थिति को ठीक करने के लिये आवश्यक सिफारिशें करेगी। आगे की कार्यवाही समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जायेगी।

जहां तक सड़क विनियमन का संबंध है गत सत्र में राज्य सभा में मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 में संशोधन करने के लिय एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया गया था।

(ग) अंतर्देशीय परिवहन आयोग, जो भारत सरकार ने मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 के अनुच्छेद 63 ए के अंतर्गत नियुक्त किया था, के प्रयत्नों से परिवहन गाड़ियों के चालन के लिये निकटस्थ राज्यों के बीच पारस्परिक समझौते किये गये हैं। संबंधित राज्यों के बीच लंबी दूरी के रस्तों जो दो से अधिक राज्यों से हो कर गुजरते हों, पर मोटर गाड़ी चालन के लिये ग्यारह समझौते किये गये हैं। समिति ने 16 लंबीदूरी वाले अंतर्राज्यिक रास्तों पर के लिये नियमित पब्लिक केरियर के परमिटों का कोटा भी निश्चित कर लिया है। इन रास्तों के 726 परमिटों में से, जिनको देने के लिये आयोग ने निर्देश दिया है, 163 पहले ही मंजूर किये जा चुके हैं।

1962 में अंतर्राज्यिक रास्तों पर नियमित परमिटों पर चल रहे पब्लिक कैरियरों की संख्या 4599 थी। यह संख्या 1964 में बढ़कर 21490 हो गयी थी।

Border Roads

557. Shri M. L. Dwivedi : Shri S. C. Samanta :
Shri Bhagwat Jha Azad : Shri P. C. Borooah :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state the percentage of expenditure in the estimates for the year 1966-67 to be borne by the Ministries of Defence and Transport separately in regard to the construction of roads in the border and strategic areas and the extent to which the construction of other roads will be affected thereby?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : The expenditure on all road works accepted as part of Central Road Projects, including roads in the border and strategic areas, is being met entirely by the Ministry of Transport and Aviation. Generally, the Ministry of Defence do not finance the construction of such roads. This holds good for the year 1966-67 also. Due to financial stringency, it may not be possible during 1966-67 to undertake, in the Central Sector, any appreciable programme of new works on other roads.

भारत के खाद्य निगम द्वारा कृषकों को धन उधार देना

558. श्री सूबोध हंसदा : श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त : श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने कृषकों को गल्ले के सम्भरण के लिये पेशगी के रूप में किसी प्रकार से धन उधार देने का काम आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था किस राज्य में लागू हो गई अथवा लागू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस वर्ष कितना धन पेशगी दिया गया और यह धन नकद दिया गया अथवा किसी अन्य रूप में, जसे उर्वरक, बढ़िया बीजों आदि के रूप में ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा **सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) :** (क), (ख) और (ग) : इस समय एक पाइलेट योजना निगम के विचाराधीन है और इस योजना के ब्यौरे तयार किये जा रहे हैं। योजना में यह व्यवस्था है कि अग्रिम का 75 प्रतिशत विभिन्न निविष्टों जैसे कि उन्नत बीज, उर्वरक, और कीटनाशक दवाइयों और शेष नकदी के रूप में होगा। यह योजना पहले पहल आन्ध्र प्रदेश, केरल और मैसूर के कुछ भागों में चलाये जाने की आशा है।

Average Annual Income of a Farmer's Family

559. Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the annual average income of an ordinary farmer's family ; and

(b) the difference of this income from State to State?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) and (b) : Comparable data on the annual average income of an ordinary farmer's family and the difference between this income from State to State are not available.

Production of Foodgrains in 1965-66

560. Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bagri :
Shri Shree Narayan Das :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri D. N. Tiwary :
Shri Krishnapal Singh :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the total estimate of foodgrains produced in Kharif crop of 1965-66, State-wise ; and

(b) the extent of shortage of foodgrains during the current year on the basis of the said estimtes?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) and (b) : A statement giving the available information is attached. **[Placed in Library. See No. L. T. 5526/66]**

Directorate for State Agriculture Farms

561. Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether a Directorate for State Agriculure Farms has been set up ;

(b) whether there will be only one demonstration farm in each State as a result thereof; and

(c) the steps taken to run these farms on a profitable basis?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) Director General, State Farms, has been appointed. There is no proposal at present to set up a Directorate for State Agriculture Farms.

(b) No decision regarding this has been taken. It will depend upon the recommendations of the Large sized Seed Farms Committee, which is considering proposals from State Governments.

(c) Steps to run the farms on profitable basis will be considered by the Large Sized Seed Farms Committee while finalising proposals.

शुष्क क्षेत्र संस्था, जोधपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

562. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जोधपुर की केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्था में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना को न अपनाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : 1962 में केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान में भूमि संरक्षण में पोस्ट-ग्रेजुएट स्कूल शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। किन्तु संस्थान की स्थापना 1959 में ही हुई थी और अभी वह निर्माणात्मक अवस्था में ही थी इसलिए यह अनुभव किया गया कि अभी पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्सिज शुरू करने का समय नहीं आया।

संस्थान में पोस्ट-ग्रेज्युएट ट्रेनिंग शुरू करने के नए प्रस्ताव पर अब विचार हो रहा है।

बम्बई में विदेशी चावल की निलामी

563. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के क्षेत्रीय निदेशक (खाद्य) में विदेशी चावल की 3673 बोरियां नीलाम किये जाने की घोषणा की है जिसे उन्होंने "मानवी आहार के लिये उपयुक्त" कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस चावल की नीलामी द्वारा बेचने के क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : केन्द्रीय संचयन डिपों, भावनगर में रखे घटिया किस्म के चावल के 3,763 बोरे जोकि मानव उपभोग के योग्य थे, गुजरात सरकार को अतिरिक्त नियतन के रूप में पेश किए गए थे। चूंकि राज्य सरकार ने इस स्टाक को लेने की अपनी इच्छा समय पर व्यक्त नहीं की थी, इसलिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस स्टाक की सार्वजनिक नीलामी के लिए नोटिस जारी किया गया था। तथापि, राज्य सरकार ने बाद में इस स्टाक को लेना मान लिया था, इस लिए नीलामी रद्द कर दी गयी है।

पंजाब को गेहूं की सप्लाई

564. श्री गुलशन : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 में पंजाब सरकार ने आयात किये हुए गेहूं देने के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई प्रार्थना की थी, और

(ख) यदि हां, तो आयात किये गये गेहूं की कितनी मात्रा 1965 में दी गई?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) जी, हां।

(ख) 1965 में पंजाब सरकार को लगभग 19,000 मीट्रिक टन आयातित गेहूं का सम्भरण किया गया था। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भण्डारों से सीधे पंजाब में रोलर आटा मिलों को लगभग 1,31,000 मीट्रिक टन आयातित गेहूं का सम्भरण किया गया था।

अधिक अन्न उगाओं योजनायें

565. श्री गुलशन : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक अन्न उगाओं योजना के अन्तर्गत कुछ और भूमि में खेती करने का विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कितनी और भूमि में खेती करने का विचार है; और

(ग) क्या अनुसूचित जाति के उन किसानों को जिनको हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में हानि हुई, कोई प्राथमिकता दी जा रही है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : पूछी गई जानकारी राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और उनसे मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

मदनगीर में दुग्ध केन्द्र

566. श्री गुलशन : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झुग्गी-झौंपड़ी बस्ती, मदनगीर, नई दिल्ली-30 में, जिसकी जनसंख्या 30 हजार से भी अधिक है, दिल्ली दुग्ध योजना का कोई दुग्ध केन्द्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना मदनगीर बस्ती में कोई दुग्ध केन्द्र स्थापित नहीं कर सकी है क्यो कि यह बस्ती दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकतम दूर वितरण स्थान से काफी दूर है और वर्तमान आतायात सुविधाओं के अनुसार ऐसा करना आसान नहीं है।

(ग) दुध ले जाने वाली अतिरिक्त गाड़ियों की उपलब्धि के बाद ही मदनगीर में डबल टोल्ड मिल्क की सप्लाई के लिए एक दुग्ध केन्द्र स्थापित कर दिया जाएगा।

बहादुरगढ़ से केन्द्रीय सचिवालय तक "बस" सेवा

567. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहादुरगढ़ से जो सरकारी कर्मचारी आते हैं उनकी सुविधा के लिये वहां से केन्द्रीय सचिवालय तक बस सेवा आरम्भ करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : केन्द्रीय सचिवालय और बहादूरगढ़ के बीच दो वापसी फेरे करने के लिये राज्य परिवहन अधिकारी दिल्ली में दिल्ली परिवहन संस्थान को एक परमिट दिया है। इस परमिट को अभीतक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंबाला द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया है।

त्रिपुरा में एक फार्म की स्थापना

568. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री रामसेवक यादव :
श्री उटिया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक** तथा **विकास सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने वहां एक फार्म की स्थापना के लिए एक नई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना में कोई विदेश सहायता दे रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : जानकारी त्रिपुरा राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

राजस्थान नहर क्षेत्र में बस्ती बसाने सम्बन्धी नीति

569. श्री विश्राम प्रसाद : डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह : श्री रामसेवक यादव :
श्री बागड़ी : श्री उटिया :
श्री किशन पटनायक :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री 16 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 749 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान नहर क्षेत्र में बस्ती बसाने सम्बन्धी नीति के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या व्यय का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

Commodities available in Ration Shops in Delhi

570. **Dr. Ram Manohar Lohia : Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Bagri : Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the commodities which are available at the ration shops recently set up in Delhi ;

(b) whether commodities other than those rationed will also be available for sale at these shops ; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) & (b). Commodities that are available from ration shops under the rationing scheme are—

Wheat ;
Wheat products ;
Rice ; and
Sugar.

Most of the ration shopholders are also running regular provision stores and selling commodities other than the rationed ones.

(c) Does not arise.

Cows and Buffaloes

571. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Minister of **Food, Agricluture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the total number of cows and buffaloes in the country at present; and

(b) the milch cows and buffaloes among them?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) & (b). According to the Quinquennial Livestock Census, held in 1961 (date of reference April 15th) the total number of cows and she-buffaloes over three years, according to different categories is as under ;

	Nos. in millions
I. *Cows over 3 years*	
(i) Breeding	
(a) in milk	20·67
(b) dry & not calved even once	30·33
(ii) Working & others	3·20
(iii) Total	54·20
II. *She-buffaloes over 3 years*	
(i) Breeding	
(a) in milk	12·46
(b) dry & not calved even once	11·78
(ii) Working & others	0·78
(iii) Total	25·02

बम्बई की गोदियां (डाक्स)

572. श्री भागवत झा आजाद : श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी : श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त : श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंबई की गोदियों में दिसम्बर, 1965 के अन्तिम सप्ताह में घाट(वर्थ) बहुत बड़ी संख्या में खाली हो गये थे,

(ख) क्या तब से अब तक यही स्थिति रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटनमंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) यह नहीं कहा जा सकता है कि दिसंबर, 1965 के अन्तिम सप्ताह में वर्थों की असाधारण संख्या रिक्त हो गई थी । 24 अक्टूबर, 1965 से 31 दिसंबर, 1965 तक प्रत्येक दिन तीनों डाकों में रिक्त वर्थों की औसत संख्या 4 थी । इन में से अलेक्जेन्ड्रा डाक में केवल एक वर्थ ही कभी खाली हुई थी और यह 4 दिन अर्थात् 25,26,27 और 29 दिसंबर, 1965 को हुआ था। दिसंबर 1965 और जनवरी, 1966 के महीनों में प्रत्येक डाक में रिक्त हुई वर्थों की संख्या बतलाने वाले दो विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 5527/66**]

(ख) जी, हां । जनवरी, 1966 में 14 दिन समस्त तीनों डाकों में वर्थ रिक्त हुये थे परन्तु 28 जनवरी, 1966 से अलेक्जेन्ड्रा डाक में कोई वर्थ रिक्त नहीं हुई परन्तु कभी कभी प्रिन्सेज और विक्टोरिया डाकों में वर्थे रिक्त हुई है ।

(ग) वर्थों के रिक्त रहने का कारण यह है कि बन्दरगाह में माल लाने वाले जहाजों की संख्या में, 1964-65 के पिछले वर्ष के उन्हीं महीनों में पत्तन में माल लाने वाले जहाजों की अपेक्षा कम हो गई थी। बंबई में आने वाले जहाजों की संख्या में कमी निम्न कारणों से हुई :—

सितंबर, 1965 तक, बंबई में माल उतारने/ लादने वाले अधिकांश जहाज, बंबई के रास्ते में कराची में माल उतारने/लादने गये । अभी हाल ही के भारत और पाकिस्तान संघर्ष के कारण पाकिस्तान और भारत के लिये माल उसी जहाज में नहीं लाया जाता था। परिणामतः बंबई के लिये माल कम जहाजों में किन्तु अधिक भार से आता था। संघर्ष के कारण अमरीकी ए० आई० डी० माल भरे जहाजों में भी कमी हो गई थी ।

दिल्ली में दुर्घटनायें

573. श्री श्रीनारायण दास : श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री लीलाधर कटकी : श्री बड़े :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली में वर्ष 1965 के दौरान देहातों और नगरीय क्षेत्रों में अलग अलग रूप से लापरवाही से गाड़ियां चलाने के कारण हुई दुर्घटनाओं, जिनमें लोगों की मृत्यु हुई अथवा चोटें आई की स्थिति क्या है,

(ख) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष स्थिति क्या है; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :—

	1965 ग्रामीण क्षेत्र	1965 नागरिक क्षेत्र	1964 ग्रामीण क्षेत्र	1964 नागरिक क्षेत्र
1--घातक-दुर्घटनायें . .	71	231	68	191
2—गैर घातक दुर्घटनाये .	163	1066	163	974

(ग) दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये निम्न उपाय किये गये हैं या किये जा रहे हैं :—

(1) सड़क सुरक्षा शिक्षा के लिये एक सब-इंस्पेक्टर के अधीन अलग कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं। इन कर्मचारियों ने लगभग 50 स्कूलों में लेक्चर दिये जिन्हें लगभग 40,000 विद्यार्थियों ने सुना। विद्यार्थियों को सड़क पर व्यावहारिक प्रदर्शन भी दिखाये गये।

(2) नगर के लगभग 25 सिनेमाघरों में नियमित रूप से यातायात सुरक्षापर स्लाइडें दिखाई जा रही है।

(3) पैदल चलने वालों को शिक्षित करने के लिये पैदल पारपथों पर सड़क पार करने के लिये और मोटर चालकों को ऐसे स्थानों पर पैदल चलने वालों को जाने का अधिकार देने के लिये विशेष प्रेरणाये दी गई।

(4) दिल्ली में गांवों में सड़क सुरक्षा पर प्रश्तहार बांटे गये।

(5) मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले गांवों में रहने वाले लोगों के लाभ के लिये सड़क सुरक्षा पर लेक्चरों का प्रबन्ध किया गया जिससे वे सड़क सुरक्षा के बारे में जान सकें।

(6) भारी परिवहन गाड़ियों के चालकों को यातायात नियमों की शिक्षा देने के प्रयास किये गये। विशेष तौर से दिल्ली परिवहन संस्थान की बसों के ड्राइवरों को ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाने की आवश्यकता के बारे में सज्ञान किया गया।

(7) ड्राइवरों की बहुत तेज स्पीड से चलाने की मनोवृत्ति को रोकने के लिये कभी कभी विशेष स्पीड चेकिंग भी की जाती है।

(8) यातायात उल्लंघनो के मामलों की पकड़ के लिये और यातायात भीड को दूर करने के लिये अत्याधिक भीड़ के मौकों पर महत्वपूर्ण व्यस्त सड़कों में मोटार साइकिलों पर चलता फिरता यातायात गश्तीदल भेजा जाता है।

(9) जनवरी, 1963 से चयनात्मक प्रवर्तन लागू कर दिया गया है। सार्वजनिक सेवा गाड़ियों के ड्राइवरों द्वारा किये गये अपराध के बारे में कुछ स्थान चुने गये जहां विशेष चेकिंग की गई।

(10) भविष्य में शीघ्र बढ़ती हुई जन संख्या नागरिकीकरण और अन्य विकास यातायात आपदा पैदा न कर सके इसके लियें दिल्ली नगर और उसके उपनगरों के विकास के लिये एक व्यवस्थित और संगठित योजना मास्टर प्लान में बनाई गई है।

(11) कुछ संकरी और भीडभाड़ की सड़कें भारी परिवहन गाड़ियों के लिये बन्द कर दी गई हैं।

(12) बड़ी सड़के चौड़ी की जा रही है और जहां जरूरत है वहां स्वचालित यातायात संकेतन लगाये जा रहे हैं। कुछ सड़कों पर अलहदा से साइकिल मार्गों की व्यवस्था की गई है। भीड़ के क्षेत्रों से बस स्टाप, दुकानें बिक्रीवाले, टैक्सी ठहरने की जगह इत्यादि हटाई जा रही है।

Mormugao Port

574. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain difficulties were experienced in the past at the Mormugao Port due to the lack of wireless system;

(b) whether it is also a fact that the equipment was there but it was not allowed to be used ; and

(c) if so, when this difficulty is likely to be removed?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a), (b) & (c). Representations have been received about the inadequate wireless arrangements at the Port of Mormugao especially when the telegraphic communication system between Goa and Bombay failed. The matter has been considered in consultation with the Posts and Telegraphs Department. It appears that the solution to the problem is to increase the range of the Goa Wirless Station. Estimates have been received from the Posts and Telegraphs Department for the opening of a Class II Coastal Wireless Station at Panjim on a "guarantee basis" and the estimates are under consideration.

युवक सहयोग सम्बन्धी गोष्ठी

575 **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1965 के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में "युवक सहयोग पर हुई विचार गोष्ठी" ने यह सिफ़ारिश की है कि गांवों से शहरी क्षेत्रों में युवकों का विकास रोकने के के लिये सरकार को गांवों में सहकारी कृषि-उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने अनेक योजनाओं के अन्तर्गत कृषि विधायन यनिटें और कृषि औद्योगिक सहकारी समितियां गठित की हैं और स्थापित करने का विचार भी है ।

गेहूं बोर्ड

576. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता करने के लिए एक गेहूं बोर्ड की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, नहीं । गेहूं का उत्पादन बढ़ाना सामान्य कृषि विकास कार्यक्रम का भाग है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

अगरतला हवाई अड्डा

577. **श्री बागड़ी :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री अगरतला हवाई अड्डे के बारे में 7 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1976 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सुरक्षित स्थान पर एक हवाई अड्डा बनाने के लिए कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : विभिन्न स्थानों का सर्वे किया जा रहा है और एक उपयुक्त स्थान के मिल जाने पर निर्णय किया जाएगा ।

Gonda Parliamentary Elections

578. **Shri Bagri :**
Shri Kishen Pattnayak :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Utiya :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Vishram Prasad :
Shri Yashpal Singh :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether the enquiry regarding the Gonda Parliamentary Election has been finalised by the Central Bureau of Investigation;

(b) if so, whether the Central Bureau of Investigation has submitted its report to Government;

(c) if so, the salient points thereof; and

(d) whether a copy of the report will be laid on the Table?

The Minister in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) :

(a) No, Sir. The enquiry is still in progress.

(b), (c) and (d). Do not arise.

मद्रास पत्तन

579. **श्री उमानाथ :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तनन्यास बोर्ड के केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है कि मद्रास पत्तन पर कोयले को छोड़कर सभी वस्तुओं के आयात पर बन्दरगाह के प्रभार पर 40 प्रतिशत अधिभार लगाया जाये तथा अयस्कों को छोड़ कर सभी वस्तुओं के निर्यात पर प्रभार पर 25 प्रतिशत अधिभार लगाया जाये,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस अधिकार से कितनी आय होने का अनुमान है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के 1964–65 के पुनरीक्षित प्राक्कलन और 1965–66 के बजट प्राक्कलनों को स्वीकृति देते हुये, सरकार ने पोर्ट ट्रस्ट को सलाह दी थी कि, चूंकि राजस्व और कनहारी लेखा में इतिशेष यह दिखाता है कि पोर्ट की वित्तीय अवस्था भयानक स्थिति पर पहुंच गई है अत: पोर्ट अधिकारियों को अपने साधन बढ़ाने के तुरन्त उपाय करने चाहिये । इस सलाह के अनुसार पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किये प्रस्तावों में (क) कोयले के अलावा सब आयातों पर पत्तन प्राप्य पर 40 प्र० श० और (ख) कोयले तथा धातुक को छोड़कार समस्त निर्यातों पर पत्तन प्राप्य पर 25 प्र० श० का अधिभार लगाना था ।

(ग) प्रस्तावित अधिभार से अगले पांच वर्षों में लगभग 672 लाख रुपये का कुल अतिरिक्त राजस्व जमा होने की आशा है । इस कमी की जो इस अधिभार के न लगने से जमा हो गई होती, और चौथी योजना निर्माण कार्यों पर पूंजी उद्व्यय की वित्तीय सहायता के लिये चौथी योजना काल में अतिरिक्त ऋणों पर सूद प्रभार लगता उसकी पूर्ति के बाद अवशेष अधिभार के लगभग 100 लाख रुपये रह जाने की आशा है । यह चौथी योजना काल में पूंजीगत आवश्यकताओं के लिये काम में लाया जायेगा ।

Road Accidents in Delhi

580. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1927 on the 7th December, 1965 regarding road accidents in Delhi and State ;

(a) the reasons for not removing the electric poles side by side with the widening of roads undertaken to avoid road accidents in Delhi;

(b) whether this is due to lack of co-ordination between the Departments concerned;

(c) whether due to this lack of co-ordination, the roads already metalled have to be dug again which involves more expenditure; and

(d) if so, whther any action has been taken against the Departments concerned?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) to (d). Whenever widening of roads is undertaken, simultaneously action is taken to shift the electric poles, However, there has been a case on Alipur Mall Road, Delhi, where shifting of polies had lagged behind. This was mainly due to delay in sanction of the estimate for the work of shifting the poles and not due to lack of co-ordination. All concerned are being directed to ensure that poles are shifted ahead of the work of widening of roads.

पर्यटन का विकास

581. **श्री लिंग रेड्डी : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री 23 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1125 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच-वर्षीय योजना में 'पर्यटन' सम्बन्धी योजनाओं की कार्यान्विति के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

(ख) वर्ष बार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) चौथी योजना में कितना धन नियत किया गया है ?

परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में तीसरी योजना स्कीमों को कार्य रूप देने के बारे में टीक स्थिति 31 मार्च 1966 के बाद ही ज्ञात हो सकेगी । इसलिये यह कहना बहुत जल्दी होगा कि 23 नवम्बर, 1965 को लिखित प्रश्न संख्या 1125 का उत्तर देने के बाद से और आगे क्या प्रगति हुई है ।

(ख) तीसरी योजना के प्रत्येक वर्ष में अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दी जाती है ।

1961 . .	20.41 करोड़ रुपये
1962 . . .	19.62 ,, ,,
1963 . . .	20.56 ,, ,,
1964 . .	23.00 ,, ,,
1965	अभी ज्ञात होना बाकी है।

(ग) योजना आयोग द्वारा 25 करोड़ रुपये का अस्थायी उद्व्यय स्वीकार कर लिया गया है । चूंकि 1966–67 के लिये ही धन का आवंटन किया जा रहा है । आवंटित धन की राशि 78 लाख रुपया है ।

इन्नोर में मध्यवर्ती बन्दरगाह

582. **श्री उमानाथ :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इन्नोर को मध्यवर्ती बन्दरगाह बनाने सम्बधी खोई योजना बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का व्यौरा क्या है ;

(ग) इस के लाभ क्या है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने सुझाव मंजूर कर लिया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) इन्नार मद्रास के लगभग 8 मील उत्तर में स्थित है । इस स्थान का अन्तर्जल सागर से एक छोटे जल-द्वार द्वारा मिला हुआ है जो वर्ष में 9 महीने रेत से भरा रहता है । इस जलद्वारा को कृत्रिम उपायों द्वारा नौचालन योग्य बनाये रखने और समूचे वर्ष के लिये अवतारक शुल्क पत्तन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

(ग) राज्य सरकार का विचार है कि यह पत्तन 1975–76 तक मुख्यतः उर्वरक कच्चा माल, कोयला, नमक और लगभग 4 मिलियन टन की कच्ची धातु का वार्षिक यातायात घर उठा सकता है ।

(घ) और (ङ) : मध्यवर्ती और छोटे पत्तनों की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्य प्रस्तावों के साथ यह प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

फिरोजपुर जिलें में हैलीकोप्टर दुर्घटना

583. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्रीं 16 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 654 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिरोजपुर जिले (पंजाब) में ख्योंवाली गांव में कपास के खेतों में कीटनाशक दवाई छिड़क रहे एक हैलीकाप्टर की जो दुर्घटना हुई थी, क्या उसके कारणों के बारे में इस बीच जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) दुर्घटना मुख्य रोटर के अनमार्कड टेलीफोन तार में फंस जाने के कारण हुई, जिसे चालक ज़मीन के स्तर के पास छिड़काव करते समय नहीं देख सका .

मद्रास बन्दरगाह में विस्फोट

584. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्रीं 16 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 655 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार को 3 जून, 1965 को मद्रास बन्दरगाह में हुए विस्फोट के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क), (ख) और (ग) : पुलिस इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच, मद्रास सीटी, द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। इस विषय पर सीनियर इंस्पेक्टर आफ एक्सप्लोसिव, साउथ सर्कल, मद्रास, ने भी एक रिपोर्ट चीफ इंस्पेक्टर आफ एक्सप्लोसिव्स इन इंडिया, नागपुर, को प्रस्तुत की है। मालूम होता है कि उन्होंने ईथिल मीथिल के टोन पाराक्साइड जैसे खतरनाक माल, जो मद्रास पत्तन पर हुए विस्फोट से संबंधित था, के लादने-उतारने में कड़ी देखभाल करने और ध्यान देने पर जोर दिया।

मद्रास पत्तन ट्रस्ट से पूछा गया है कि उनका पुलीस रिपोर्ट पर और क्या कार्यवाही करने का विचार है।

डेनियल वालकोट का बच निकलना

585. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री डेनियल वालकाट के बच निकलने के बारे में जांच समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में 16 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 658 उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जिन पदाधिकारियों को आरोप पत्र दिये गये हैं, उनके विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का क्या ब्यौरा है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां अभी तक प्रगति पर हैं।

Supply of Rice and Wheat to U. P.

586. Shri Heda :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the Government of U. P. have requested the Central Government for the supply of rice and wheat to meet the shortage there;

(b) if so, the quantity asked for; and

(c) the quantity of wheat and rice so far supplied?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) & (b). U. P. Government have asked for 60,000 tonnes of wheat per month from January. 1966.

(c) During January, the actual quantity supplied was 41,000 tonnes. No rice has been asked for or supplied.

मोहन बाड़ी हवाई अड्डा

587. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में मोहनबाड़ी हवाई अड्डे का सुधार करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इसमें यदि विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटनमंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : मोहनबाड़ी हवाई अड्डे के धावनपथ पर फ़र्श बिछाने का काम मार्च, 1966 के प्रथम सप्ताह तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

पत्तन क्षेत्र में आयात किये गये गेहूं को पीसने के लिये आटा मिलें

588. श्री **बालकृष्णन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन क्षेत्र में आयातित गेहूं को पीसने के लिए आटा मिलें लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है , और

(ख) इस से अनाज में कितनी बचत होगी और इन आटा मिलों को स्थापित करने पर कितना खर्च आयगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Quantum of Ration in Delhi

590. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Shiv Charan Gupta :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state ;

(a) the quantity of per capita ration given by Government per week in Delhi ;

(b) whether this quantity is enough; and

(c) if not, the sources from which the consumer will make up this shortage?

The Minister of state in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) The weekly cereal ration in Delhi is 2 kgs. per adult per week and 1. kg. per child. An extra ration of 700 grams per week is admissible to heavy manual workers. The sugar ration is 250 grams per head per week.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

विशाखापटनम पत्तन

591. श्री भि० सू० मूर्ति : **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम् पत्तन की क्षमता बढ़ाने के लिए सुधारों के बारे में सुझाव देने के लिए नियुक्त परामर्श दाताओं की फर्म का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

परिवहन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) परामर्शदाता इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि अपनी मौजूदा हालत में यांत्रिक भारण संयंत्र की वार्षिक कच्ची धातु धरने उठाने की 4.3 मिलियन टन की क्षमता 41 लाख रुपये की लागत से सयंत्र में सुधार और कुछ हेरफेर कर जैसे कनवेयर पर फ्लूइड ड्राइव के लगाने से, एक अतिरिक्त शावल और हापर के लगाने से, कनवेय 2 और 3 की क्षमता बढ़ाने से, या अतिरिक्ति कन्वेयरों से उन्हें समान्तर करने से और संयंत्र में कुछ सामान्य सुधार कर देने से 6 मिलियन टन तक बढ़ाई जा सकती है । इसी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है । परामर्शदाताओं ने यह भी कहा है कि जब 6 मिलियन टन की राशि को धरना उठाना पड़ेगा तब रात्रि नौंचालन चालू करना पड़ेगा और इस बात का सुनिश्चयन करने के लिये कि कहीं भीड़ भाड़ नहीं है अतिरिक्त टगों को व्यवहार में लाना होगा । रात्रि नौचालन कालू की जा रही है और अतिरिक्त टगों के बारे में स्थिती पर विचार किया जा रहा है ।

पाकिस्तान में रोके गये "स्टीमर"

592. **श्री लीलाधर कटकी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान में रोके गये ज्वाइंट रिवर स्टीम नैवीगेशन लिमिटेड के स्टीमरों, माल और दूसरी सम्पत्ति के बारे में स्थिति क्या है; और

(ख) उस को वापिस लेने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी के 55 नदीयान और लगभग 3.19 करोड़ रुपये के मूल्य का पारेषण में माल पूर्व पाकिस्तान में रोक लिया गया था । ऐसा समझा जाता है कि पाकिस्तान सरकार ने जलयानों और माल को 'प्राइज़ आफ वार' उद्घोषित कर दिया था ।

(ख) नवम्बर, 1965 के अन्त में, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से पारस्परिक आधार पर उतारे गये सामान और रोके गये जहाज़ तथा अन्तर्देशी जलयानों की अदला बदली का सुझाव रखा था । ऐसी आशा की जाती है कि जहाजों और माल की प्राप्ति का प्रश्न पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित विचार विमर्ष में उठाया जायेगा ।

राजकोट हवाई अड्डा

593. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकोट हवाई अड्डा 1 जनवरी, 1966 से बन्द पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या राजकोट में जामनगर-बम्बई तथा केशोड-बम्बई मार्गों के लिये यात्रियों की बुकिंग करने की व्यवस्था की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) राजकोट हवाई अड्डा अधिक मरम्मत के कारण 20 जनवरी, 1966 से यात्रा के लिए बन्द कर दिया गया था ।

(ख) राजकोट में बुकिंग कार्यालय यात्रा करने वाली जनता की सुविधा के लिये खुला रखा गया ।

बंगलौर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन होटल

594. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री बंगलौर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन होटल खोलने के बारे में 23 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1126 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने पर्यटक होटल बनाने के लिए 'गेस्ट हाउस' के समीप भूमि दे दी है ;

(ख) क्या भारत पर्यटक होटल निगम में इस काम की व्यवहार्यता के बारे में अध्ययन कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है और इस समय इस काम की स्थिति क्या है ?

परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां । राज्य सरकार ने प्रस्तावित होटल के लिये अतिथिगृह के निकट स्थिल लगभग 11 एकड़ भूमि का टुकड़ा देना स्वीकार किया है ।

(ख) और (ग) : जी, हां । बंगलौर की होटल परियोजना संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो गया है । इस परियोजना के लिये एक वास्तुशिल्पी चुन लिया गया है । वह इसका खाका, डिजाइन और लाकत का प्राक्कलन तैयार करेगा । धन की उपलब्ध होने पर और आगे कार्यवाही की जायेगी ।

उचित मूल्य की दुकानें

595. **श्री राम हरख यादव** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उचित मूल्य की दूकानों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और उन्हें कैसे क्रियान्वित किया जाएगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में आलू की फसल

596. **श्री राम हरख यादव :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां शीतकालीन वर्षा न होने के कारण आलू की फसल को सड़ने से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी; हां । आलू के अगेते तथा पछेते रोगों के कारण उत्तर प्रदेश में आलू की फसलों के सड़ने के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । सूखे की परिस्थितियों में ये रोग गम्भीर रूप धारण कर लेते हैं ।

(ख) राज्य सरकार को कीटनाशक औषधियों की प्राप्ति तथा प्रयोग-सामग्री के बारे में आवश्यक सहायता दी गई थी । तकनीकी परामर्श तथा सहायता भी दी गई थी ।

ब्रम्हपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलपथ बनाना

597. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री दी० चं० शर्मा:
श्रीमती रेणुका बड़कटकिक :
श्री कोल्ला बैंकेया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या परिवहन उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलपथ घोषित करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो नदी-नौवहन पर केन्द्र का कितना नियंत्रण होगा और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की शक्तिया तथा कृत्य क्या होंगे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

Complaints Against Taxi & Scooter Drivers in Delhi

598. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Bagri :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received complaints against taxi and scooter drivers of Delhi for charging excess fare and also about their misbehaviour;

(b) if so, the number of complaints received by Government from 1st July to 31st December, 1965; and

(c) the steps taken by Government in this regard?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping & Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) Yes.

(b) 970.

(c) The following steps have been taken by the Traffic Unit of the Delhi Police to deal with such complaints:—

(i) Whenever a member of the public sends a written complaint against a scooter or taxi driver alleging overcharging or misbehaviour, prosecution is launched against the delinquent driver by the Traffic Police, after enquiries.

(ii) With a view to encourage the public to send complaints against offending scooter and taxi drivers, traffic policemen deployed on duty at important crossings, and specially near taxi/scooter stands, have been supplied with printed complaint forms. Members of the public can ask for the printed form from the nearest traffic policemen on duty. Action on such complaints is taken, after due enquiries.

(iii) As from the 18th July, 1965, when control of traffic at the Delhi and New Delhi Railway Stations was taken over by the Traffic Police, boards have been displayed at both these Railway Stations and complaint booths set up to register complaints of passengers.

(iv) A taxi-tariff-check-postcard was printed and distributed at Palam Air Port recently to passengers hiring taxis with the request that they might fill it at the end of their journey and post the same to the traffic police giving details of the meter reading and fare actually charged. If the traffic police finds that a passenger has been over-charged, necessary action is taken against the drivers concerned. It is proposed to introduce similar arrangements at the Railway Stations also.

(v) In order to inform the public of the exact taxi fare from one place to another, taxi fare cards are being printed and will be distributed soon.

(vi) Taxi and scooter drivers have been requested, through their respective unions, to observe good behaviour towards passengers and not to violate traffic rules/regulations.

Sugarcane Supply to Nepal From Champaran (Bihar)

599. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of sugarcane is being sent to Nepal from the Champaran district of Bihar this year;

(b) whether it is also a fact that there is a scarcity of sugarcane for the sugar mills in Champaran; and

(c) if so, the reasons to allow sugarcane to be sent to Nepal by the Central Government under these circumstances?

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri C. Subramaniam) : (a) Some sugarcane is going from Champaran district of Bihar to Nepal, but the volume of such traffic is reported to be not large.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Ration Quota

600. **Shri Bagri :**
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Yashpal Singh :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 554 on the 30th November, 1965 and state :

(a) whether Government have since taken any decision regarding the issue of less ration to the people of higher income group than to the poorer sections;

(b) if so, the nature thereof;

(c) whether this scheme is proposed to be introduced in Delhi and other important cities where rationing has been introduced; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) No, Sir.

(b), (c) & (d). Do not arise.

पंजाब में बीज फार्म

601. **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दे० जी० नायक :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित बीज फार्म पंजाब में खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : हिसार तथा सतलुज नदी के आस-पास के क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के दो बीज फार्मों को स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव विचाराधीन है । वास्तविक स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय होते ही ब्यौरा तैयार किया जायेगा ।

दिल्ली दुग्ध योजना का मक्खन

602. **श्री हेडा :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली दुग्ध योजना का मक्खन निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितने अधिक मूल्य पर; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) : दिल्ली दुग्ध योजना के पास योजना के मक्खन के निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने की दो शिकायतें आई ह । एक शिकायत के अनुसार 100 ग्राम की टिक्की 95 पसे प्रति टिक्की की बजाय एक रुपया प्रति टिक्की के हिसाब से और दूसरी शिकायत के अनुसार 25 ग्राम की टिक्की 25 पैसे की बजाय 28 पैसे प्रति टिक्की के हिसाब से बेची जा रही थी ।

(ग) पहली शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि दुकानदार अधिकृत विक्रेता न था । कानूनो तौर पर ऐसा नहीं हो सकता । जहां तक दूसरी शिकायत का सम्बन्ध है विक्रेता का नाम नहीं बतलाया गया था, अत: कोई कार्यवाही न की जा सकी। फिर भी दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों ने योजना द्वारा मक्खन के निर्धारित मूल्यों की दरों के विषय में विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये हैं और साथ ही ग्राहकोंसे भी अनुरोध किया गया है कि वे अधिक मूल्य न दें । अधिकृत विक्रेताओं से भी कहा गया है कि वे निश्चित मूल्यों से अधिक चार्ज न करें ।

पशुधन का बीमा

603. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री 16 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 639 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पशुधन बीमा चालू करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द-मेनन) : (क) जी हां। यह निश्चय किया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पहले कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मार्गदर्शी आधार पर योजना को चलाया जाये ।

(ख) पशुओं तथा भैसों की नश्वरता सम्बन्धी मूल आंकड़ों की उपलब्धि के बाद ही योजना का ब्यौरा तैयार किया जाएगा । जिन चुने हुए क्षेत्रों में योजना चालू है उनसे आंकड़े इक्ट्ठे करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ

604. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 31 जनवरी, 1966 तक राष्ट्रीय राजपथों की कुल मील-दूरी कितनी थी ; और

(ख) इन राजपथों के नाम क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 852 मील।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

22 फरवरी, 1966 को लोक सभा में लिखित प्रश्न संख्या 604 के भाग (ख) में पूछी गई सूचना को देने वाला विवरण।

उड़ीसा से होकर जाने वाले राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के नाम

क्रम संख्या	राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या	राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के नाम	उड़ीसा में मील दूरी
1	5	कलकत्ता-कटक-विजग-मद्रास सड़क . .	305
2	6	धूलिया-नागपुर-सांबलपुर-कलकत्ता सड़क .	289
3	42	सांबलपुर-कटक सड़क . . .	163
4	43	रायपुर-विजयानगरम् सड़क . . .	95
		जोड़	852

उड़ीसा में भाण्डागार

605. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में कितने भाण्डागार हैं और वे किन किन स्थानों पर हैं; और

(ख) 1966-67 के दौरान उड़ीसा में कितने भाण्डागार खोलने का प्रस्ताव है और वे कहां कहां पर खोले जाएंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) इस समय केन्द्रीय और राज्य भाण्डागार निगमों के उड़ीसा में 18 भाण्डागार हैं। ये निम्नलिखित केन्द्रों पर स्थित हैं :

केन्द्र / जहां केन्द्रीय भाण्डागार निगम के भाण्डागार स्थित हैं	केन्द्र / जहां उड़ीसा राज्य भाण्डागार निगम के भाण्डागार स्थित है
(1)	(2)
(1) बार गढ़	(1) जटनी
(2) वरहमपुर	(2) खारियर रोड
(3) जेपुर	(3) कान्ताबनजी
(4) भद्रक	(4) टिटलागढ़

(1)	(2)
(5) सम्बलपुर	(5) गूनापुर
	(6) केसंगा
	(7) बोलनगीर
	(8) रायागढ़
	(9) भंजानगर
	(10) पदमपुर
	(11) जूनागढ़
	(12) झरसूगुड़ा
	(13) चांदबाली

(ख) केन्द्रीय भाण्डागार निगम का जाजपुर रोड और कटक में दो भाण्डागार खोलने का विचार है। इस समय उड़ीसा राज्य भाण्डागार निगम का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है।

उड़ीसा में कृषि गवेषणा परियोजनायें

606. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में इस समय कितनी कृषि-गवेषणा परियोजनायें चल रही हैं ; और

(ख) 1965–66 में ऐसी परियोजनाओं पर अब तक कुल कितनी रकम खर्च की गयी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

प्रबन्ध अभिकरण

607. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1965 के दौरान समवाय अधिनियम, 1956 के अधीन कितने मामलों में प्रबन्ध अभिकरणों को काम करने की अनुमति नहीं दी गई ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : दिसम्बर, 1965 के दौरान कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा समवाय अधि-नियम, 1956 के अधीन दो मामलों में प्रबन्ध अधि-करणों की पुनर्नियुक्ति की अनुमति अस्वीकृत की गई थी। इन दो मामलों में से एक कम्पनी के प्रबन्ध अभिकरण के कार्यकाल को ३१ मार्च, १९६७ तक बढ़ाने की अनुमति दी गई थी ; दूसरी कम्पनी ने अभी तक पुनर्विचार के लिये नहीं कहा है।

राजस्थान में सामुदायिक विकास खण्ड

608. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 1966–67 के दौरान अपने राज्य में सामुदायिक विकास खण्डों के लिये आवंटन में वृद्धि करने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान में "अधिक अनाज उगाओ" अभियान

609. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में राजस्थान को "अधिक अनाज उगाओ" अभियान के लिये वास्तव में कितना अनुदान दिया गया है ; और

(ख) 1966–67 में उस राज्य को इस प्रयोजन के लिये कितनी धन राशि देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) "अधिक अनाज उगाओ" अभियान के लिए राज्यों को दिया गया अनुदान विकास के शीर्षक (1) कृषि उत्पादन (जिसमें भूमि विकास शामिल है) तथा (2) लघु सिंचाई के अन्तर्गत आ जाता है । 1965–66 के दौरान उपरोक्त विकास के दो शीर्षकों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य को लगभग एक करोड़ रुपये का कुल अनुदान निर्धारित किया गया है । वास्तव में यह अनुदान मार्च, 1966 में अदा किया जाएगा जब कि प्रथम तीन त्रिमासिकों के लिए वास्तविक खर्च और 1965–66 के चौथे त्रिमासिक के लिए पूर्वानुमानित खर्च सम्बन्धी विवरण राज्य सरकार से प्राप्त हो जाएंगे ।

(ख) 1966–67 के दौरान दी जाने वाली सहायता की वास्तविक राशि के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है ।

राजस्थान को गेहूं तथा चीनी का आवंटन तथा सम्भरण

610. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के लिये वर्ष 1965–66 में कितना गेहूं तथा चीनी देने का निश्चय किया गया और उन्हें अब तक कितना गेहूं तथा चीनी दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : 1965–66 में राजस्थान को गेहूं और चीनी की आवंटित और सम्भरण की गयी मात्राएं निम्न प्रकार है :

(आंकड़े हज़ार मीट्रिक टन में)

	1965 (जन-दिस) आवंटित मात्रा	सम्भरण की गयी मात्रा	1966 (जनवरी) आवंटित मात्रा	सम्भरण की गयी मात्रा
आयातित गेहूं . .	216.3	185.6	31.5	24.8
चीनी . . .	93.2	93.2	8.0	9.2

इसके अतिरिक्त 1965 की फसल में राजस्थान को पंजाब से देसी गेहूं आवंटित की गयी थी और 1965 में बीज के लिये दी गयी थी ।

आर्थिक अभाव क्षेत्र (इकनामिक्स फेमिन एरियाज) के लिये कृषि योजनायें

611. श्री हेडा :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश, मैसूर तथा महाराष्ट्र में 'आर्थिक अभाव क्षेत्रों' के लिये कोई राष्ट्रीय योजना, कई कृषि योजनाएं, जिसके अन्तर्गत शामिल हैं, बनाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा **सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) तथा (ख) : यह संकेत अनुमानत: 'प्रान्तिक' अभाव क्षेत्रों की ओर है । अभाव क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी कोई राष्ट्रीय योजना नहीं बनाई गई है । फिर भी चिरकालिक सूखा प्रभावित क्षेत्र जिनमें आन्ध्र प्रदेश, मैसूर तथा महाराष्ट्र के क्षेत्र भी शामिल हैं, के विकास हेतु मार्गदर्शी परियोजना तयार करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी

612. श्री राम हरख यादव : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की दृष्टि से सरकार ने इस नदी का विस्तृत जल सम्बन्धी सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और इस पर नियंत्रण रखने व्यवस्था की समस्या के बारे में प्रतिवेदन तैयार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री श्री संजीव रेड्डी : (क) और (ख) : ब्रह्मपुत्र नदी का कोई जलीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है। एक कार्यकारी दल ने नदी की सफाई संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया है। दल की सिफारिशों में वे उपाय भी आते हैं जो इस मार्ग की सफाई के लिये किये जाने हैं। उपायों में आसाम में नदी स्वच्छता के लिये अतिरिक्त उपस्कर की खरीद और सुन्दरबन मार्ग की सफाई के लिये पूंजीगत उपस्कर भी शामिल है। कार्यकारी दल की रिपोर्ट विचाराधीन है।

Fertilizer Factory in U. P.

613. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Food, Agriculture, and Community Development** and **Cooperation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1111 on the 31st August, 1965 and state :

(a) the progress so far made in setting up the proposed fertilizer factory in Uttar Pradesh in co-operative sector with the Collaboration of the American Co-operative League; and

(b) the proposed location thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculure, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) The proposal to arrange a feasibility study for a fertiliser factory in the cooperative sector in collaboration with American Cooperatives has been taken up by the Ministry of Finance with the United States Agency for International Development.

(b) The location of the fertiliser factory will be determined after the feasibility study is carried out.

Lateral Road

614. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) the progress so far made in the construction of lateral road which is to pass through Pilibhit (Uttar Pradesh) ;

(b) the time by which the construction of sections of the road passing through Pilibhit and Lakhimpur Districts will be completed; and

(c) the expenditure to be incurred on these sections?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) The progress so far on the lateral road is as follows :—

(i) Survey has been completed in about 88% of the total length of 966 miles of the road.

(ii) The progress on land acquisition is about 50 per cent.

(iii) Progress on construction of major bridges is about 30 per cent. Work on three bridges has been completed.

(iv) About 30% of materials have been collected.

(v) Progress on earth-work for road formation is about 10 per cent.

(b) & (c). The section passing through Pilibhit and Lakhimpur districts is likely to be completed by the end of 1968-69 at an estimated cost of about Rs. 11 crores.

Water for Rabi Crops

615. Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that irrigation water for Rabi Crop is three-four times more useful in Agrahayana than in Magha ;

(b) whether it is a fact that irrigation from Government tubewells is sometimes permitted in Magha ;

(c) whether there is a rule that no private tubewell can be set up within a radius of some specified distance from the place where Government tubewells are located and if so, the reason therefor; and

(d) whether it is also a fact that irrigation tax is collected even from those farmers in whose fields water from Government tubewells flows unnecessarily and does not harm instead of benefiting the crops?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) to (d). The required information is being collected from the State Governments and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received from them.

दिल्ली में खाली पड़ी हुई भूमि पर खती

616. श्री बसुमतारी : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये खाली पड़ी हुई भूमि पर खेती करने की योजना के एक अंग के रूप में 2000 एकड़ भूमि आलू की खेती के लिए उपलब्ध की है ; और

(ख) उस भमि से आलू का कितना अनुमानित उत्पादन होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा 4735 एकड़ अर्जित भूमि पुराने किसानों को अस्थायी रूप से दी गई थी । फिर भी ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई थी कि किसानों को 2000 एकड़ भूमि में आलू की खेती करनी होगी । यह तो उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया था कि वे जो चाहें उगा सकते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

भारतीय कृषि सांख्यिकीय समितियों का सम्मेलन

617. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** **श्री सं० चं० सामन्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री विभूति मिश्र :**
श्री भगवत झा आजाद :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय कृषि सांख्यिकीय समितियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो किन बातों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) क्या उस आधार पर कृषि के आंकड़ों में सुधार करने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां । 31 दिसम्बर, 1965 तथा 1 जनवरी, 1966 को भारतीय कृषि सांख्यिकीय समिति का 19वां वार्षिक सम्मेलन कटक में हुआ था ।

(ख) सम्मेलन के मुख्य सुझाव संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय इन समस्याओं की ओर ध्यान दे रहा है और कृषि-आंकड़ों के सुधार की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं । इन सुझावों के आधार पर कृषि आंकड़ों के सुधार की योजनायें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5528/66**]

अकाल स्थिति

618. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से उन देशों से अपील करने की प्रार्थना की है जिनके भारत में संभाव्य अकाल स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में काफी अंशदान करने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) और (ख) : संयुक्त राष्ट्र संघ के महा-सचिव और खाद्य तथा कृषि संगठन के महा-निदेशक से प्रार्थना की गयी थी कि वे देश की वर्तमान कठिन खाद्य स्थिति में विभिन्न मित्र देशों से की गयी हमारी सहायता-याचना का समर्थन करें । उन्होंने 11 फरवरी को एक संयुक्त अपील जारी की थी ।

"डी० एल० जेड० कारें"

619. **श्री छ० म० केदरिया :**
श्री छोटुभाई पटेल :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० एल० जेड्० कार के मालिकों ने, जिन्हें बाजार भाव से कम मूल्य पर ये कारें खरीदने की अनुमति दी गई थी, रिजर्व बैंक में विदेशी मुद्रा जमा कराई थी, यदि हां, तो कितनी ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन कारों की पुन: बिक्री के विषय में उनके मालिकों पर कुछ शर्तें लगाने का है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) मान्यता प्राप्त पर्यटक मोटार गाड़ियों के उन चालकों को जिन्हें डी० एल० जेड० गाड़ियां दी जाती है, विदेशी मुद्रा के आदान प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाती है और इस लिये उनके द्वारा रिज़र्व बैंक आफ इंडिया में विदेशी मुद्रा जमा करने का प्रश्न नहीं उठता है ; और

(ख) डी० एल० जेड० गाडियों को पुन: बेचने की शर्तो चालू हैं । सरकार द्वारा प्राप्त डी० एल० जेड० गाड़ियों फिर से बेची नहीं जा सकती (क) बग़ैर पर्यटन के महानिदेशक की अनुमति के ; (ख) जब तक कि वह तीन वर्षों के बाद तक व्यवहृत न की गई हो (नई गाड़ियों के बारे में चार वर्ष) ; (ग) या/और, नई [गाड़ियों के बारे में, जब तक कि वे एक लाख मील न चल ली हों ।

पशु पालन सम्बन्धी "क्रैश प्रोग्राम"

620. **श्री मानसिंह पृ० पटेल** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों में पशु पालन संबंधी "क्रैश प्रोग्राम" की कितनी योजनाएं मंजूर की गई ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में इन योजनाओं के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : गुजरात (2), महाराष्ट्र (3) तथा पश्चिम बंगाल (1) के लिए सघन कृषि कार्यक्रम की 6 योजनायें, आसाम (4), दिल्ली (2), गुजरात (1), मध्य प्रदेश (2), महाराष्ट्र (2), पश्चिम बंगाल (4), नागालैंड (1) के लिए कुक्कुट विकास की 16 योजनायें, आसाम (1), मद्रास (1), राजस्थान (3), पश्चिम बंगाल (3) के लिए भेड़ तथा ऊन विकास योजनाओं की 8 योजनायें स्वीकार की गई थीं । इनके अतिरिक्त 1964-65 में जिन योजनाओं को शुरु किया गया था उन्हें भी चालू रखा गया ।

अब तक इन योजनाओं के अन्तर्गत हुई प्रगति को प्रदर्शित करने वाले विवरण सभा-पटल पर रख दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5529/66]**

Prices of Foodgrains

621. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that State Governments have been asked to fix prices of wheat and rice which should not exceed those fixed by the Centre ;

(b) whether it is also a fact that some States have exceeded this limit;

(c) whether the Central Government have taken any action against those States ; and

(d) if so, the nature thereof and, if not, the reasons therefor?

The Ministery of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) No, Sir. The prices are fixed by State Governments in consultation with Government of India.

(b), (c) & (d). Do not arise.

त्रिपुरा में खण्ड विकास अधिकारी

622. **श्री दशरथ देव : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में सामुदायिक विकास खण्डों में जिसमें आदिमजाति विकास खण्ड भी सम्मिलित हैं त्रिपुरा की अनुसूचित आदिम जातियों का एक भी खण्ड विकास अधिकारी नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं । त्रिपुरा सरकार को आवश्यक जानकारी भेजने के लिए कहा गया है ।

(ख) आदिवासियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की सरकारों को यह सुझाव दिया जा चुका है कि शैक्षणिक योग्यताओं में उचित छूट दी जानी चाहिए और आदिवासी खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों में आदिवासियों का प्रचुर प्रतिशत होना चाहिए ।

रक्षित बन

623. **श्री दशरथ देव : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में रक्षित वन के अन्तर्गत कुल कितने क्षेत्र (वर्ग मीलों में) में सूखा पड़ा है ; और

(ख) वन उत्पादों की बिक्री से सरकार को कितनी वार्षिक आय प्राप्त हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) कुछ नहीं ।

(ख) 1962–63 से वन उत्पादों की बिक्री से सरकार को जो आय हुई वह निम्नलिखित है :—

1962–63 .	9,60,600 रुपये
1963–64	10,38,500 रुपये
1964–65	12,40,400 रुपये
1965–66	9,86,000 रुपये (जनवरी 1966 तक)

छोटी सिंचाई योजनायें

624. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार "क्रैश प्रोग्राम" के अन्तर्गत कितनी छोटी सिंचाई योजनाएं मंजूर गई हैं ;

(ख) अब तक राज्य-वार कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ग) देश में राज्य-वार अब तक कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की गई है और 1966-67 में कितने एकड़ भूमि में सिंचाई करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग): कृषि क्षेत्र में लघु सिंचाई को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जाती रही है और इस प्रश्न को "क्रैश प्रोग्राम" के अन्तर्गत शुरू करने का प्रश्न ही नहीं होता। लघु सिंचाई कार्यक्रम के महत्व को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक तिमाही में इसकी प्रगति का पुनर्विलोकन किया गया और जब भी योजनाओं को गतिमान करने का अवसर देखा गया, राज्यों को अतिरिक्त धन राशि दे दी गई ।

एक विवरण जिसमें विभिन्न राज्यों/संघक्षेत्रों के लघु सिंचाई के व्यय, 1965–66 की उपलब्धियां व 1966–67 के लक्ष्य दिये गये हैं, संलग्न है । आशा है कि राज्यों/संघक्षेत्रों को जितनी भी राशि दी गई है उसका पूर्ण रूप से उपयोग हो जायेगा । यह भी आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में लगभग 128 लाख एकड़ भूमि को लघु सिंचाई की योजनाओं से लाभ पहुंचेगा । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5530/66]**

अनाज के मूल्य

625. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कृषकों से खरीद के लिये अनाज के क्या मूल्य निर्धारित किये हैं;

(ख) राशन की दुकानों द्वारा बिक्री के लिये सरकार ने अनाज का क्या मूल्य निर्धारित किया है; और

(ग) व्यय के मुख्य शीर्षक क्या हैं जिनके कारण उपभोक्ताओं को बेचने के मूल्य में बृद्धि करनी आवश्यक हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) कुछ राज्यों ने 1965–66 के विभिन्न खाद्यान्नों के लिये खरीद भाव निर्धारित किये हैं। अन्य राज्यों में जहां विशिष्ट रूप से खरीद भाव निर्धारित नहीं किये गये हैं, वहां खरीदारी अधिकतम नियन्त्रित भावों पर की जा रही है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित खरीद/अधिकतम भाव बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5531/66]**

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राशन की दुकानों पर खाद्यान्नों की बिक्री के लिये खुदरा निर्गम भाव निर्धारित नहीं किये हैं। ये भाव स्वयं राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किये गये हैं और इस बारे में जानकारी अभी प्राप्त होनी है।

(ग) बिक्री भाव निर्धारित करते समय प्रासंगिक तथ्यों जिनमें अधिप्राप्ति लागत, स्थापन संबंधी खर्चे, संचयन, ब्याज, भाड़ा और राशन के दुकानदारों को मिलने वाला लाभ शामिल है, पर विचार कर लिया जाता है।

चीनी कारखानों के लिये लाइसेंस

626. **श्री शिवमूर्त स्वामी :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में अब तक चीनी कारखानों के लिये राज्य वार कितने लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) कितने संयुक्त स्कन्ध कम्पनी के अन्तर्गत हैं तथा कितने सहकारी क्षेत्र में हैं ;

(ग) प्रत्येक क्षेत्र के कितने आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े हैं तथा उक्त अवधि में कितने आवेदन-पत्र अस्वीकार किये गये ; और

(घ) कितने चीनी कारखानों में उत्पादन आरम्भ हो चुका है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : राज्य वार अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 5532/66]**

(ग) 1965–66 में अस्वीकृत आवेदन-पत्रों और इस समय विचाराधीन आवेदनपत्रों की संख्या के बारे में स्थिति नीचे दी जाती है :—

	अस्वीकृति के लिये अभिस्तावित आवेदन-पत्रों की संख्या			इस समय विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या		
	संयुक्त स्कन्ध	सहकारी	जोड़	संयुक्त स्कन्ध	सहकारी	जोड़
(1) विस्तार . .	25	1	26	21	14	35
(2) नये कारखाने . .	47	50	97	13	46	59

(घ) इस समय 198 शर्करा कारखाने चल रहे हैं :

पर्यटक केन्द्रों का विकास

627. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कुछ स्थानों को पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास के लिये चुना गया है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी भी उनमें से एक है ;

(ग) यदि हां, तो उसके विकास की योजना का व्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : यह केन्द्रीय क्षेत्र में नहीं है । किन्तु सम्पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की हुई भाग 3 स्कीमों के अन्तर्गत पंचमढ़ी को विकसित करने के लिये प्रस्ताव बनाये गये हैं ।

(घ) पंचमढ़ी मुख्यतः घरेलू पर्यटकों के लिये ही रुचि का केन्द्र है और उसके विकास का दायित्व राज्य सरकार का है ।

कृषि कार्यक्रम

628. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री कृ० चं० पन्त :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में निर्णय किया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न कृषि कार्यक्रमों की क्रियान्विति में केन्द्र का अधिक हाथ रहेगा ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय का ठीक-ठीक ब्यौरा क्या है और इन निर्णयों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को और क्या अधिकार दिये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मन्त्री : (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : ऐसा कोई विशेष निर्णय नहीं किया गया है । परन्तु इस बारे में विचार किया जा रहा है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में कृषि विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति में केन्द्रीय सरकार अधिक कारगर तथा प्रभावशाली ढंग से कैसे भाग ले सकती है ।

एयर इंडिया के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

629. **श्री प्र० चं० बरूआ** :
श्री बसुमतारी :
श्री कोल्ला बैंकेया :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 फरवरी, 1966 को एयर इंडिया के जमीन पर काम करने वाले कर्मचारियों ने, जो लन्दन हवाई अड्डे पर काम करते थे, बोनस के दावे के विवाद के कारण 24 घण्टे की हड़ताल की ;

(ख) यदि हां, तो विवाद क्या था ; ओर

(ग) विवाद किस प्रकार हल किया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां । लन्दन हवाई अड्डे में एयर इंडिया के स्थानीय तौर पर नियुक्त कर्मचारियों में से कुछ ने 5 फरवरी, 1966 को 6 बजे सुबह एकाएक 24 घण्टों की हड़ताल कर दी ।

(ख) कर्मचारियों ने हड़ताल इस वजह से की कि 1964–65 के 'बोनस' का लाभ, जोकि भारत स्थित कर्मचारियों के लिए मंजूर किया गया था, उन्हें नहीं दिया गया ।

(ग) यूनियन के साथ विचार विमर्श किया गया और उन्हें यह बताया गया कि भारत में जो बोनस भुगतान किया गया था वह बोनस अधिनियम, 1965 के उपबंधों के आधार पर किया गया था जो कि केवल भारत स्थित कर्मचारियों पर लागू होता है । यूनियन के प्रतिनिधियों ने यह महसूस किया है कि कुछ कर्मचारियों द्वारा की गयी काम न करने की कार्यवाही ठीक नहीं थी ।

भारत तथा पाकिस्तान के बीच उड़ानें

630. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री बसुमतारी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान के बीच उड्डानें फिर से आरम्भ कर दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये उड़ाने सन्तोष जनक रूप से हो रही है ;

(ग) क्या इन्टरनेशनल एयरलाइन्स को भारत तथा पाकिस्तान के बीच से होकर फिर से उड्डान करने की अनुमति दे दी गई है ; और

(घ) क्या दोनों देशों के बीच सामान्य सेवाएं पूर्णतः फिर से चालू हो गई हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां । इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन और एयर इंडिया को 10 फरवरी, 1966 के 0001 बजे से पाकिस्तानी क्षेत्र पर से अपनी अनुसूचित उड़ान प्रारम्भ करने की आज्ञा दे दी गई है । पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को भी उसी तारीख से भारतीय क्षेत्र पर से अपनी अनुसूचित सेवाए चलाने की आज्ञा दे दी गई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, नहीं । मामला अन्य सम्बध्द मामलों के साथ विचाराधीन है ।

मोटर परिवहन उद्योग, मलाबार

631. श्री प० कुन्हन : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि मलाबार में गैर-सरकारी मोटर परिवहन के कतिपय नियोजको ने मोटर गाड़ियां अधिनियम के उपबन्धों को पूर्णतः लागू नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिनियम के उपबन्धों को लागू करवाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना केरल सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत के प्रधान मंत्री और संयुक्त राज्य अमरीका के उपराष्ट्रपति के बीच हाल में हुई बातचीत

श्री दाजी (इन्दौर) : श्रीमन्, में प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हुं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

भारत के प्रधान मंत्री तथा संयुक्त राज्य अमरीका के उप-राष्ट्रपति के बीच हाल में हुई बातचीत

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : उपराष्ट्रपति श्री हमफी ने आर्थिक समस्याओं पर वित्त मंत्री, खाद्य तथा कृषि मंत्री और योजना मंत्री से बात चीत की ; अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विदेश मंत्री और हमारी सीमा के साथ स्थिति पर प्रतिरक्षा मंत्री से बात चीत की । वह राष्ट्रपति जॉनसन की जानकारी के लिये यह जानना चाहते थे कि हमें अमरीका से और किस सहायता की आवश्यकता होगी । कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये हमने क्या प्रयत्न किये हैं इस संबंध में भी उन्होंने कुछ प्रश्न किये। उन्होंने कहा कि अमरीकी सरकार हमारे उद्योगों को पूरी क्षमता पर चलाने के लिये 10 करोड़ डालर का ऋण दे देगी । उन्होंने संकेत किया कि मेरी वशिंग्टन की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जॉनसन मुझसे चतुर्थ योजना के लिये अग्रेतर आर्थिक सहायता के प्रश्न पर बातचीत करेंगे ।

उन्होंने कहा कि अमरीका वियतनाम में लड़ाई के क्षेत्र को बढ़ाना नहीं चाहता है और इस बात के लिये इच्छुक है कि वियतनाम में शीघ्र शांति स्थापित हो ताकि वहां के लोग अपने भविष्य का निर्णय स्वयं कर सकें । उन्होंने वियतनाम के संबंध में भारत की तटस्थता की नीति की सराहना की ।

श्री दाजी : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान समाचार-पत्रों के इस समाचार की ओर गया है कि अमरीका के उप-राष्ट्रपति ने भारत और पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने के लिये तीन शर्तें बताई हैं और वे ये हैं; ताशकन्द घोषणा का पालन, कृषि उत्पादन में वृद्धि संबंधी कार्यक्रमों की क्रियान्विति और दक्षिणपूर्व एशिया में अमरीका की नीति की आलोचना न करना ।

आगे चलकर यह भी कहा गया है कि प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रियों को हिदायतें दी हैं कि वे अमरीका की वियतनाम संबंधी नीति की आलोचना न करें ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : समाचार-पत्रों में कभी कभी समाचार को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है । उपराष्ट्रपति ने अपनी नीति हमारे सामने रखी और हमने अपनी नीति उनके सामने रखी । हमने वियतनाम के संबंध में अपनी नीति को दोहराया और उन्होंने हमारे दृष्टिकोण को समझा । यह बात गलत है कि मने मंत्रियों को ऐसी कोई हिदायतें दी हैं ।

6—22 L. S./66

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन्, अमरीका के एक समाचार-पत्र में यह समाचार आया है कि अमरीकी उपराष्ट्रपति ने श्रीमती गांधी को बताया कि यदि भारत ने वियतनाम के संबंध में अमरीका की नीति की आलोचना की तो वहां की संसद भारत को सहायता देने का कड़ा विरोध करेगी।

श्री कपुर सिंह (लुधियाना) : इसे सभा पटर पर रखा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने कहा कि श्री हमफरे ने अपने देश की नीति हमारे सामने रखी, परन्तु हम अपनी नीति पर टिके रहे।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रधान मंत्री ने काश्मीर के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : काश्मीर का ज़िक्र केवल ताशकन्द घोषणा की प्रशंसा करते हुए ही उन्होंने किया था।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : क्या यह सच है कि श्री हमफरे ने हमारे प्रतिरक्षा व्यय में कटौती करने का सुझाव दिया है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय सन्मान और हित के विरुद्ध हो।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुज़ा) : क्या माननीय प्रधान मंत्रीने उनको विशिष्ट रूप से यह बता दिया है कि भारत सरकार वियतनाम लोकतन्त्रात्मक गणराज्य पर पुनः बम गिराये जाने का समर्थन नहीं करती?

श्रीमती इंदिरा गांधी : हमने खुलेआम यह विचार पहले ही प्रकट कर दिये थे।

श्री वरियर (त्रिचूर) : क्या श्री हमफरे ने यह कहा था कि यदि भारत वियतनाम के मामले में अमरीका की नीति से सहमत नहीं होगा तो यह सब सहायता रोक ली जायेगी ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : ऐसी कोई धमकी नहीं दी गई है।

श्री इंद्रजीत गुप्त (कलकत्ता–दक्षिण–पूर्व) : भारत पाकिस्तान संघर्ष से पहले अमरीका ने भारत को 29.5 करोड़ डालर की सहायता देने का वचन दिया था। उस पर क्या बातचीत की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : इस विषय पर कोई बात चीत नहीं की गई।

श्री जोकीम अल्वा (कनारा) : क्या चीन का भी कोई जिक्र आया था ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : जी हां। हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति के बारे में बातचीत की थी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल राज्य के सबंध में जारी की गई उद्घोषणा के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

कोचीन पतन न्यास के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

मोटर गाडी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं यह पत्र पुनः सभा-पटल पर रखता हूं :—

(क) (1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल मोटर गाड़ी (यात्रियों तथा माल पर कर लगाना) अधिनियम 1963

की धारा 20 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 296/65 की एक प्रति जो दिनांक 27 जुलाई, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल मोटर गाड़ी (यात्रियों तथा माल पर कर लगाना) नियम 1963 में एक संशोधन किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5307/65]**

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिनके द्वारा केरल मोटर गाड़ी नियम 1961 में कतिपय संशोधन किये गये :—

(एक) जी० ओ० (एम एस) संख्या 246/पी डब्ल्यू जो दिनांक 21 सितम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5308/65]**

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 375/65 जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5308/65]**

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 394/65 जो दिनांक 2 नवम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5344/65]**

(चार) एस० आर० ओ० संख्या 402/65 जो दिनांक 9 नवम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5344/65]**

(ख) मैं ये पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) विमान अधिनियम 1934 की धारा 14-क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय विमान (छठा संशोधन) नियम 1965 जो दिनांक 25 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1865 में प्रकाशित हुए थे एक व्याख्यात्मक टिप्पण सहित। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5514/66]**

(दो) भारतीय विमान (पहला संशोधन) नियम 1966 जो दिनांक 15 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 83 में प्रकाशित हुए थे एक व्याख्यात्मक टिप्पण सहित। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5514/66]**

(2) बड़े पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत कोचीन पत्तन न्यास के 29 फरवरी 1964 से 31 मार्च, 1964 तक की अवधि के लिए वार्षिक लेखों की एक प्रति और उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5515/66]**

(3) मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी (पांचवां संशोधन) नियम 1965 की एक प्रति जो दिनांक 15 जुलाई, 1965 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 3(8)/65-पी-आर (टी) में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5516/66]**

धान कूटना उद्योग (विनियम) अधिनियम, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : में यह पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) मशीन से धान कूटना उद्योग (विनिमयन) अधिनियम 1958 की धारा 22 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत मशीन से धान कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम 1966 की एक प्रति जो दिनांक 15 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० आर० 85 में प्रकाशित हुये थे। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5517/66**]

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली बेलन मिलें गेहूं उत्पाद (एक्स-मिल तथा फुटकर) मूल्य नियंत्रण आदेश 1965 जो दिनांक 2 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1792 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) बेलन मिलें गेहूं उत्पाद (मूल्य नियंत्रण) छठा संशोधन आदेश, 1965 जो दिनांक 2 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1793 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पश्चिमी बंगाल अत्यावश्यक वस्तु (लाने लेजाने पर रोक) नियंत्रण दूसरा संशोधन आदेश, 1965 जो दिनांक 11 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1813 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) जी० एस० आर० 1825 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा चावल तथा धान (आसाम) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, 1962 विखंडित किया गया।

(पांच) चावल (उत्तरी क्षेत्र) लाने लेजाने पर नियंत्रण संशोधन आदेश, 1965 जो दिनांक 8 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1831 में प्रकाशित हुआ था।

(छ:) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (लाने लेजाने पर नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1965 जो दिनांक 8 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1832 में प्रकाशित हुआ था।

(सात) जी० एस० आर० 1862 जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उड़ीसा चावल वसूली (शुल्क) आदेश, 1964 विखंडित किया गया।

(आठ) आन्ध्र प्रदेश चावल तथा धान (लाने लेजाने पर रोक) तीसरा संशोधन आदेश, 1965 जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1863 में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) त्रिपुरा खाद्यान्न का लाना लेजाना नियंत्रण (संख्या 2) संशोधन आदेश, 1966 को दिनांक 18 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1889 में प्रकाशित हुआ था।

(दस) जी० एस० आर० संख्या 134 जो दिनांक 18 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये।

[**पुस्कालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5518/66**]

कम्पनी अधिनियम तथा महाप्रशासक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री पट्टाभि रामन्) : मैं यह पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 642 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (अभिलेखों का परिरक्षण तथा निपटान) नियम, 1966, की एक प्रति, जो दिनांक 15 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 98 में प्रकाशित हुय ये। **[पुस्तकालय में रखी गयी। दखिये संख्या एल० टी०-5519/66]**

(2) महाप्रशासक अधिनियम, 1963, की धारा 63 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या ए० ओ० 96 को एक प्रति, जो दिनांक 8 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5520/66]**

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 637 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 71 जो दिनांक 8 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) जी० एस० आर० 72 जो दिनांक 8 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5521/66]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से निम्न का संदेश प्राप्त हुआ है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 111 के अन्तर्गत मुझे बीड़ी तथा सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तें) विधयक 1966 जिसे राज्य सभा ने 16 फरवरी, 1966 की अपनी बैठक में पास किया था, की एक प्रति भेजने का आदेश हुआ है।"

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक—सभा-पटल पर रखा गया

BILL AS PASSED BY RAJA SABHA LAID ON THE TABLE

सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में बीड़ी तथा सिगार कमचारी (रोजगार की शर्तें) विधेयक, 1966 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक

DELHI HIGH COURT BILL

प्रवर समिती का प्रतिवेदन प्रस्तुत करन के लिये समय का बढाया जाना

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षत्र के लिये एक उच्च न्यायालय के गठन, हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र पर उस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तारण तथा उनसे संशक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय 4 अप्रैल, 1966, तक बढ़ा दिया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के लिये एक उच्च न्यायालय के गठन, हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र पर उस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तारण तथा उनसे संशक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय 4 अप्रैल, 1966, तक बढ़ा दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was Adopted.*

रेलवे दुर्घटना के बारें में वक्तव्य

RE-STATEMENT ON RAILWAY ACCIDENT

अध्यक्ष महोदय : मुझे रेलवे दुर्घटना के बारे में एक पूर्वसूचना प्राप्त हुई है। इस बारे में 5 बजे शाम एक वक्तव्य दिया जायेगा।

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित

IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) AMENDMENT BILL—INTRODUCED

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफि कुरेशी): मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से यह प्रस्ताव करता हूं कि आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा नें मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

The Motion was put and Adopted.

श्री शफी कुरेशी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

MOTION ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तथा उस पर प्रस्तुत संशोधनों पर आगे चर्चा की जाये। श्री खाडिलकर।

श्री खाडीलकर (खेड) : कल ताशकंद समझौते का जिक्र करते हुये मैंने कहा था कि यह सोवियत संघ की बहुत महत्वपूर्ण राजनयिक सफलता है। इस से भारत चीन सीमा पर तनाव घटा है क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच तथाकथित गठबंधन अब समाप्त हो गया है। केवल यह ही नहीं सोवियत संघ ने जापान के साथ समझौता करके उच्च कोटि के राजनयिक कौशल्य का परिचय दिया है। इस से चीन बहुत हद तक अकेला रह गया है। एशिया में अब केवल एक ही स्थान ऐसा है, जहां संघर्ष चल रहा है, युद्ध की ज्वाला भड़क रही है और वह है वियतनाम।

हमें वियतनाम की स्थिति पर गहरी चिंता है अतः अमरीकी राजनीतिज्ञ चाहे कुछ भी कहें इस तथ्य के बारे में दो मत नहीं हो सकते कि वियतनाम में अमरीकी नीति को अमरीका के सब वर्गों का समर्थन प्राप्त नहीं है। हमारे देश को चाहिये कि वह वियतनाम को मुक्त कराने के पीप्लस् फ्रंट के प्रयत्नों का पूर्ण समर्थन करे। आज प्रातः मैं ने अमरीकी दूतावास से प्रचालित एक प्राधिकृत वक्तव्य पढ़ा है जिस में कहा गया है कि चीन के रवैये के बारे में भारत तथा अमरीका एकमत हैं। संसार की घटनाओं में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तन को दृष्टि में रखते हुये मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे विचार अमरीकी प्रशासन से मिलते हैं ? हमारी नीति स्वतंत्र तथा गुटों से अलगाव की है अतः संसार की समस्याओं के बारे में हमारा दृष्टिकोण निष्पक्ष तथा स्पष्ट होना चाहिये। हमारे विचारों पर किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं होना चाहिये। मैं यह मानता हू कि चीन का रवैया युद्धात्मक तथा आक्रमणकारी है परन्तु हमें वास्तविकता पर विचार करते हुये यह प्रयत्न करना चाहिये कि चीन को विश्व के राष्ट्रों से अलग रखने की बजाये उसे विश्व के राष्ट्रों के अधिक सम्पर्क में लाया जाये। इससे चीन के युद्धात्मक रवैया में परिवर्तन आयेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को छोड़ कर राष्ट्रीय समस्याओं के संबध में, मैं यह मानता हूं कि सैनिक चुनौती की तुलना में आर्थिक चुनौती का मुकाबला करना हमारे लिये अधिक महत्वपूर्ण है। कल श्री दांडेकर ने अपने क्षेत्र का चित्रण किया था तथा मैंने कहा था कि वहां लोगों के विचार निराशा-जनक हैं तथा वे हरबात को निराशात्मक दृष्टि से देखते है। वे इस बात पर विचार ही नहीं करते है कि देश में कोई अच्छा कार्य भी किया जा रहा है। परन्तु कुछ ऐसी बातें हैं जिन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हमारी स्थिति बहुत आशापूर्ण नहीं है।

हमारे देश में कुछ तत्व युद्ध में विश्वास करने लगे हैं। इन तत्वों के कारण देश की एकता को खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रत्येक राज्य अपने आपको स्वतंत्र समझता है और केन्द्र द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करने के लिये बाध्य नहीं है। यह प्रवृत्ति बहुत खराब है। खाद्य को नीति के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी एक राष्ट्रीय खाद्य नीति होनी चाहिये। खाद्य मंत्री तथा मंत्री मंडल इस बात पर हताश है कि केन्द्र द्वारा दिये गये निर्देशों का राज्य पालन नहीं करते हैं। हमारे खाद्य मंत्री बहुतक्षमताशाली व्यक्ति है। अतः यह उन की व्यक्तिगत असफलता का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस के प्रधान ने 'इकानोमिक रिव्वियू' के विशेषांक में लिखा है कि प्रतिरक्षा की भांति खाद्य को भी राष्ट्रीय प्रश्न समझना चाहिये। यदि विभिन्न राज्य इस बात को नहीं समझते तथा पृथक पृथक राष्ट्रीय इकाइयों के रुप में काम करते हैं तो राष्ट्रीय एकता समाप्त हो जायेगो। मैं माननीय खाद्य मंत्री तथा केन्द्रीय नेताओं से अनुरोध करूंगा कि अब समय आ गया है जब कि एक राष्ट्रीय खाद्य नीति निर्धारित की जानी चाहिये। प्रश्न यह नहीं है कि कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्नों की कमी है तथा कुछ क्षत्रों में खाद्यान्न बहुतायत में हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि कमी वाले राज्यों में कमी को बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है तथा जहां खाद्यान्न बहुतायत में है वे राज्य अपनी फालतू मात्रा को बहुत कम दिखाते है। इस के परिणाम स्वरूप अव्यवस्था को परोत्साहन मिलता है अतः यदि हम अपनी कमी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते रहे तो कब तक दूसरों की सहायता दानशीलता तथा भिक्षा पर जीवन रहेंगे। यह हमारे आत्मभिमान के विरुद्ध है। स्वतंत्रता प्राप्ती के 18 वर्ष बाद भी हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। अतः हमें खाद्य नीति की पुनः जांच करनी होगी और इसे एक राष्ट्रीय प्रश्न समझना होगा। प्रो० राज तथा प्रो० दांतवाला के मतों पर विचार किया जाना चाहिये। उनका पहला मत यह है कि खाद्य क्षेत्र समाप्त किये जायें तथा दूसरे वे कहते हैं कि सारे देश में वसूली की कम से कम समान मात्रा निर्धारित की जाये।

कृषकों के लिये न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य की घोषणा नहीं की जा सकी है। इसके लिये प्रयत्न किया गया था परन्तु बहुतायत वाले जिलों ने इसे अपने आन्तरिक मामलों में हस्तक्षप समझा तथा इस का विरोध किया। क्रय मूल्य की घोषण न हो सकने के कारण श्री पाई को हताश हो कर खाद्यनिगम से त्यागपत्र देना पड़ा। यदि यही परिस्थितियां बनी रही तो देश ही एकता बनाये रखना असंभव हो जायगा। हर क्षेत्र में य जो अलगाव की प्रवृतियां जन्म ले रही है यदि इन को रोका नहीं गया तो खाद्य के बारे में देश की घोरतम संकट का मुकाबला करना पड़ेगा।

[श्री खाडीलकर]

खाद्यान्न के बारे में मैं एक और बात कहना चाहूंगा और वह यह है कि गैर-सरकारी व्यापार को रोकने के लिये एकाधिकार के आधार पर वसूली का प्रयत्न किया गया है। परन्तु मेरा मत है कि वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में यह संभव नहीं है। हमारा प्रशासन इस स्थिति में नहीं है कि खाद्यान्न का समस्त व्यापार वह स्वयं कर सके। जहां तक चावल का संबध है हमें एकाधिकार के आधार पर व्यापार करना होगा क्योंकि आप चावल मिलों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते है परन्तु जहां तक अन्य खाद्यान्नों का संबंध है वर्तमान में हम एकाधिकारी व्यापारी के रूप में कार्य करने की स्थिति में नहीं है।

समाजवाद केवल सकल्पों को पारित करने तथा नारे लगाने से नहीं लाया जा सकता। इसके लिये प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हमें समाज में परिवर्तन लाने के लिये इस का पुनर्निर्माण करने के लिये कोई व्यवस्था बनानी होगी। अब समय आ गया है कि हमें सारी नीति का पुनरीक्षण करना होगा। समाजवाद लाने के लिये हमें अपनी नितीयों में मूल परिवर्तन करना होगा। उदाहरणार्थ सरकार के अधीन तीन बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थायें हैं --रिज़र्व बैंक स्टेट बैंक तथा जीवन बीमा निगम जिन की पूँजी लगाने की वार्षिक क्षमता 300 करोड़ रुपये है। परन्तु प्राय: यह मत व्यक्त किया जाता है कि इस पूँजी विनियोजन पर केवल बड़े व्यापारियों का नियंत्रण है। अत: ये धारणायें समाप्त करने के लिये हमें हर संभव कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार को राज्य क्षेत्रों को समाप्त करना चाहिये तथा अपनी नीति की असफलता के कारणों को समझना चाहिये।

हमारे निर्णय किसी पार्टी विशेष के हितों की दृष्टि से नहीं किये जाने चाहियें तथा मेरा सुझाव है कि सभी दलों की एक संगठित समिति बनाई जाये। ऐसा करने से सरकार जो निर्णय करेगी उनमें सभी दलों का हाथ होगा तथा हर असफलता का दोषारोपण केवल सरकार पर नहीं किया जायेगा। हम वर्तमान स्थिति तथा आर्थिक समस्याओं का कम से कम आंशिक रूप में मुकाबला कर सकेंगे।

उच्चतम न्यायालय के मुख्यन्यायाधिपति के इस कथन के फल स्वरूप के आपातकालीन शक्तियों से देश में लोकतंत्री जीवन को गम्भीर खतरा है हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या आपातकालीन स्थिति को जारी रखा जाये। हमारे भूतपूर्व महान्यायवादी ने यह मत व्यक्त किया है कि वर्तमान लोकतंत्र वैधानिक तानाशाही है।

श्री जय प्रकाश नारायण ने भी कहा कि समय आ गया है जब हमें आपतकालीन स्थिति के बारे में पुनर्विचार करना चाहिये। चीन का भी थोड़ा बहुत खतरा है। परन्तु हमे इस को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहना चाहिये। पाकिस्तान के विरुद्ध इतनी बड़ी विजय के बाद तथा ताशकंद में शांति स्थापना करने के बाद हमें साहस करके कार्यवाही करनी चाहिये जिस से वर्तमान आपत को खत्म किया जाये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : अध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख तथा क्षोभ भरे हृदय से मैं वाद-विवाद में भाग लेने के लिये खड़ी होती हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सदस्या होने के कारण मुझे उस दस वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या का गहरा दु:ख है जो भूख से पीड़ित बी० डी० ओ० साहब के कार्यालय के सामने रोटी मांगने गया था, तथा जिसे गोली मार दी गई। मुख्य मंत्री महोदय का यह कथन सर्वथा गलत है कि उस ने पुलिस थाने पर हमला किया था। जब मैंने उस छोटे से लड़के को देखा तो मुझे अपने लड़के का स्मरण हो आया, जोकि कुछ वर्ष पूर्व छोटासा लड़का था। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी को बताना चाहती हूं क्योंकि वह भी दो बच्चों की मां है अत: यदि उन्होंने उस बच्चे की निर्मम हत्या का हृदय विदारक दृश्य देखा होता, तो मुझे विश्वास है कि वह आवश्य पश्चिम बंगाल सरकार को न्यायिक जांच कराने के लिये कहतीं। मैं इस संबंध में और कुछ नहीं कहना चाहती परन्तु यह बता देना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल के लोग, जब तक शांत नहीं होंगे, तब तक उस बच्चे की निर्मम हत्या के कारणों की जांच न कराई जाये। वह एक बहुत गरीब बच्चा था। उसका बाप खतिहर मजदूर है तथा उसकी दादी कभी कभी उस नन्हे से बच्चे के लिये भोजन

मांगकर लाया करती थी। इस घटना से पूर्व रात्रि को उनके घरमें चावल का एक दाना भी नहीं था, क्योंकि कई हफ्तों से उन्हे कोई चावल नहीं दिया गया था। वह प्रातः निराहार पाठशाला गया था तथा उस ने अपने पिताजी से निवेदन किया था कि यदि उन्हें कुछ चावल मिल सकें तो वह पका कर तैयार रखें, वह आकर खा लेगे। परन्तु वह कभी वापस नहीं आया। मैंने बहुत से गोली कांड देखे है, परन्तु इतना निर्दयी एवं असभ्य दृश्य कहीं नहीं देखा।

यह आरोप जो श्री सुब्रह्मण्यम सदा लगाते हैं कि ये उपद्रव कम्युनिस्टों के कारण होते है, सर्वथा निराधार है। वास्तविकता यह है कि यह सरकार रोटी के बदले गोली देती है। यह पूर्णतः असफल रही है। श्री सुब्रह्मिण्यम ने जयपुर में भी हमारी ओर इशारा करके यह कहा था कि ये आन्दोलन उन लोगों के कारण होते हैं, जो व्यापारियों तथा चोरबाज़ार वालों का साथ देते है। तथा इस सदन में भी वह यही तर्क पेश करके अपनी जिम्मेदारी से दूर भागना चाहते हैं परन्तु अब वह ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अब विधानसभा के सदस्य भी यही कहते है कि कोई चावल नहीं दिया गया था। कल श्री हुमायूं कबिर ने घटना स्थल पर जा कर लोगों के सामने भाषण देते हुये उस लड़के को शहीद कहा है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या श्री कबीर भी कम्युनिस्ट हैं? कल जब श्री सुब्रह्मण्यम राज्य सभा में कम्युनिस्टों पर यह फबती कस रहे थे कि पश्चिम बंगाल में पेशेवर हड़ताली बेरोज़गार हो गये है तो स्वरुपनगर में नुरुल अमीन पर गोली चलायी जा रही थी। वे कहते है कि चावल दिया गया था, परन्तु बरदिया के लोगों को हफ्तों तक कोई चावल नहीं दिया गया था। यह कहना गलत है कि आन्दोलनकारी तस्कर व्यापारी आदि थे। वे निर्धन व्यक्ति थे जिनका शोषण किया जा रहा है और वे खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये आन्दोलन कर रहें थे। उन पर आन्धाधुन्ध गोली चलायी गयी और जब वे भाग खड़े हुये तो पुलिस ने उनका पीछा किया और उन्हें गोलियों से भुन दिया। सरकार न्यायिक जांच इस लिये नहीं करना चाहती कि यदि विभागीय जांच की बजाय न्यायिक जांच की गई तो ये सिद्ध हो जायेगा कि गोली अकारण चलाई गई।

मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी के इस कथन से सहमत हूं की देश की एक राष्ट्रीय खाद्य नीति होनी चाहिये। परन्तु मैं यह जानना चाहती हुं कि देश के विभिन्न स्थानों में दी जाने वाली राशन की मात्रा में इतना अन्तर क्यों है, जैसा कि कोयम्बतूर में चावल के राशन की मात्रा 200 ग्राम प्रति व्यक्ति है, विशाखापट्टनम में 240 ग्राम, दिल्ली में 143 ग्राम जब कि बंगाल के अभागे व्यक्तियों को केवल 70 ग्राम चावल दिया जाता है। क्या यह अन्तर केवल इस लिये है कि क्योंकि बंगाल में उत्पादन कम होता है, इस लिये बंगाल के आदमियों को कम दिया जाये? क्या हम पटसन की पैदावार नहीं करते हैं? क्या पटसन देश की दौलत नहीं है? जब हम देश के लिये पटसन पैदा करते हैं, तो क्या देश के दूसरे भागों के हमारे भाई जो अधिक खाद्यान्न पैदा करते है, हमारी जरुरत को पूरा नहीं कर सकते? खाद्यान्न के बारे में राष्ट्रीय नीति की बात करना लाभदायक नहीं है, जबकि सरकार चावल के राशन के बारे में राष्ट्रीय नीति नहीं बना सकती।

श्री सुब्रह्मण्यम अपनी खाद्य नीति में पूर्णतः असफल रहे हैं, अतः उन्हें यदि खाद्य मंत्री की बजाये भिक्षा मंत्री कहा जाये तो अधिक उचित होगा। सरकार की खाद्य नीति पूर्ण वसूली और निर्बाध व्यापार के बीच की नीति है। यह दिवालियापन, गड़बड़, भुखमरी तथा मौत की नीति है। खाद्य नीति के बारे में सरकार बड़े बड़े व्यापारियों, जमाखोरों तथा चोरबाजारियों के हाथ में खेल रही है। इस नीति ने खाद्य निगम को समाप्त कर दिया है। इस ने हमें भिखारी बना दिया है। यह बड़ी लज्जा की बात है कि हौलैंड के बच्चे आज स्वयं भूखे रह कर भारत के बच्चों के लिये खाद्यान्न भजेंगे। हम इस बात के विरुद्ध नहीं है कि संकट के समय विदेशों से खाद्यान्न की सहायता क्यों ली जाये। संकट के समय विदेशी सहायता प्राप्त की जा सकती है। परन्तु सरकार तो पूर्णतः पी० एल० 480 पर ही आश्रित है। जो लगातार भिक्षा मांगते रहते हैं, उन्हें दासता स्वीकार करनी होती है। हमें स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है तथा हमे अमरीका को यह दिखाना होगा कि हम खाद्य नीति के बारे में स्वावलम्वी हैं। हम अमरीका द्वारा थोपी गई शर्तों पर हमेशा सहायता नहीं ले सकते हैं। विगत

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

तीन सप्ताह में यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार की खाद्य नीति क्या है ? यह कहा जा रहा है कि अधिक कारखाने लगाने की बजाये खेती को बढ़ाया जाये। परन्तु खेती की उपज को बढ़ाने के लिये सस्ते उर्वरक, सस्ती बिजली तथा पानी की आवश्यकता है। वह कुछ भी उपलब्ध नहीं है। हम ने अमरीका के साथ जो उर्वरक सौदा किया है वह राष्ट्र विरोधी है। उस से केवल अमरीका का हित होगा।

सम्मिलित पूंजी वाले समवायों ने कृषि के क्षेत्र में पदार्पण आरम्भ कर दिया है। उर्वरक के समूचे क्षेत्र में बड़े व्यापारियों को व्यवसाय में शामिल होने की अनुमति दी गई है। यह कांग्रेस के भुवनेश्वर तथा नागपुर संकल्पों के विरुद्ध है।

मुनाफाखोरी के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि यह सच है कि कुछ मुनाफाखोर विद्यमान हैं। परन्तु, सरकार स्वयं सब से बड़ी मुनाफाखोर है। वह किसानों से बढ़िया किस्म का चावल 24 रु० मन खरीद कर 44 रु० मन बेचती है और इस तरह 17 रु० मन का मुनाफा कमा रही है। फिर सरकार चोरबजारी करने वाले अन्य लोगों को इस क्षेत्र में दाखिल होने से कैसे रोक सकती है ?

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि उपलब्ध सामग्री के समान वितरण की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया है। मैं बताना चाहती हूं कि बंगाल में लोग भूखे मर रहे हैं तथा बंगाल के लोगों की यह मांग है कि उन को कम से कम 7 औंस चावल दिया जाये जितना कि केरल के लोगों को देने का वचन दिया गया है। हम दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं हैं।

यह जानते हुये भी पुलिस केन्द्रीय विषय नहीं; बल्कि राज्यों का विषय है, मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगी कि पुलिस के बढ़ते हुये अत्याचारों पर रोक लगाई जाये। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, केरल तथा पश्चिम बंगाल में जो पुलिस के अत्याचार हुये हैं वे किसी से छुपे हुये नहीं हैं। लोगों का कहना है कि यह घटनाएं जालियनवाला बाग के बाद पहली बार हुई हैं तथा मेरा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री, स्वयं पश्चिम बंगाल जायें, जहां उस बच्चे की हत्या हुई है उस घटना स्थल को देखें तथा मुख्य मंत्री को न्यायिक जांच कराने को कहें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

आपात और भारत प्रतिरक्षा नियमों के विरुद्ध स्वतंत्र दल के तथा कांग्रेस दल के लोगों ने अपने विचार व्यक्त किया है। इस समय मेरे दल के 1000 व्यक्तियों को गिरफतार कर लिया गया है। उन पर हिंसा का आरोप लगाया गया है। 700 सदस्य इससे पूर्व भी गिरफतार कर लिये जा चूके हैं। मेरा प्रश्न तो इतना ही है कि क्या इस तरह आप खाद्य आन्दोलन को समाप्त कर देंगे। आपको यह बात याद रखनी चाहिये कि भूखा सभी पाप करने पर उतारू हो जाता है। जेल में डाल देने से उसके पेट की आग बुझती नहीं है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सारे राज्य के लोग इस आन्दोलन के साथ है। हम इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि यह आन्दोलन शांति प्रिय रहे, परन्तु इसका आधार सरकार का इस आन्दोलन के प्रति व्यवहार होगा। मुख्य मंत्री इस बारे में बहुत ही गलत तथ्य लोगों के समक्ष रख रहे हैं।

मेरा निवेदन यह है कि इस आपात और भारत प्रतिरक्षा नियमों को समाप्त करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ लगती सीमा के पास भुखे लोगों का पडा रहना बहुत खतरनाक बात है। आप तस्करों को नहीं, भूखों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाल रहे हैं। विरोधी पक्ष के लोगों की बात छोड़िये, आज तो कांग्रेस जनों को भी इन नियमों के अन्तर्गत गिरफतार किया जा रहा है। जो कुछ हो रहा है वह तर्क संगत नहीं है। भारत प्रतिरक्षा नियमों का लाभ उठाकर विरोधी दलों के आन्दोलन कुचले नहीं जाने चाहियें। विरोधी पक्ष के लोगों को जेल में डालने से अच्छा है, उन पर खुली अदालतों में मुकदमें चलाये जाय। हमारी सरकार को ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिये जिससे बाद में लज्जा से सिर नीचा करना चाहिये। हमें एक स्वाभिमानी राष्ट्र की तरह जीवित रहने दिया जाना चाहिये।

हम गरीब है, हमें सहायता की जरूरत है। परन्तु हम अपनी स्वतंत्रता को खतरे में डाल कर कोई सहायता नहीं लेंगे। हमें यह देख कर दुःख होता है कि वियतनाम के मामले पर सरकार प्रायः चुप रही है। हमें यह भी सन्देह है कि सरकार हमें सारी स्थिति से परिचित नहीं कर रही। अभी 1000 लाख डालर हमें मिले तो कहा गया था कि इसके लिए कोई शर्त नहीं है। परन्तु यह स्पष्ट हो रहा है कि हमने शर्तें मानी है। और इस तरह वियतनाम को लेकर हमने अपना आत्म सन्मान खोया है। वियतनाम पर अमरीकी बम्बबारी की सबने निन्दा की है। अमरीका के सभी वर्गों के लोगों ने भी इसके विरुद्ध आवाज उठाई है। राष्ट्रपति डीगाल ने भी कहा है कि बम्बबारी बन्द होनी चाहिए और फैसला होना चाहिए। अमरीका को वहां से निकलना चाहिए और वहां बाहर के हस्तक्षेप बन्द होने चाहिए। हमने कहा है कि जेनेवा समझौते के आधार पर इसका हल निकलना चाहिए। और अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी भी है।

जेनेवा समझौता आखिर क्या था ? यही कि असीम काल तक वियतनाम विभाजित नहीं रहेगा। 1956 तक इसे पुनः एक कर दिया जाना था। दोनों भाग उत्तर और दक्षिण एक देश के ही भाग है। इस विचार से अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने जेनेवा करार की तरह का कोई समझौता नहीं कराया। हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि भी इस कार्य को करने में असफल रहेहैं। माननीय सदस्य यथार्थ दृष्टिकोण अपनाने की बात कहते है। यथार्थ बात यही है कि वियतनाम के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे और उत्तर और दक्षिण दोनों भागों को एक होना होगा। यदि वियतनाम गुटों से अलग रहने की घोषणा करे तो हमें उनके विलय पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि जब हम पाकिस्तान से लड़ रहेथे अमरीका ने हमें कोई सहायता नहीं दी थी। अमरीका ने पश्चिम जर्मनी के द्वारा चीन को जहाज बेचे। परन्तु हम है कि कह रहेहै कि वियतनाम के बारे में बात मत करिये, क्योंकि ऐसा करने से अमरीका नाराज हो जायेगा और हमें सहायता देना बन्द कर देगा। हमें अपनो शक्ति पर लड़ना है। अमरीका जो सहायता दे रहा है उसमें कई परस्पर विरोधी बातें हैं। हमें स्वयं ही आत्मनिर्भर होना होगा। हमें भिखारियों की तरह भीख नहीं मांगनी चाहिये। हमें प्रयास करना चाहिये कि अमरीका वियतनाम से निकले, वहां बम्बबारी बन्द हो। अन्त में मेरा अनुरोध है कि प्रधानमंत्री पश्चिमी बंगाल में जाकर देखना चाहिये कि स्थिति क्या है और सारे मामले की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिये। हम दूसरे दर्जे के नागरिक बन कर नहीं रहेंगे, हम चाहते हैं कि सारे मामलें के लिए एक राष्ट्रीय नीति अपनाई जाय।

श्री हरिचन्द्र माथुर (जलौर) : इस सदन के सभी पक्षों का सम्बन्ध देश की खाद्य स्थिति से है और हम सभी इससे चिन्तित है। जयपुर में भी अभी हाल इस सम्बन्ध में हमने अपने विचार व्यक्त किये है। मैं न अमरीका के पूँजीबाद के पक्ष मे हूं और न चीन के साम्यवाद का ही समर्थक हूं। हम तो भारत की अपनी नीति को चलाने के पक्षपाती है। अतः मैं भावनाओं में बहना नहीं चाहता। मैं सारी स्थिति को यथार्थ रूप में देखना चाहता हूं। यह वर्ष हमारी तीसरी पंच वर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है। असाधारण ढंग से आगामी वर्ष में हम चौथी योजना को आरंभ करेंगे, जब कि कोई योजना हमारे सामने नहीं है। हम आजकल बड़े ही असाधारण वातावरण में चल रहेहैं।

यह बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि यह वर्ष हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। हमें पाकिस्तान के साथ लड़ना पड़ा और सारा राष्ट्र एक दम जागृत हो कर आक्रमण का मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा हुआ। जो कुछ भी सफलतायें इस दिशा में हमें उपलब्ध हुई उस पर कोई भी राष्ट्र गौरव कर सकता है। संघर्ष के बाद ताशकंद करार हुआ। ताशकंद करार को, कुछ लोगों को छोड़ कर, सब ने पसन्द किया है। स्वतंत्र दल ने भी उसे पसन्द किया और साम्यवादी दल ने भी उसका समर्थन किया। सभी दिशाओं में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा के फूल भेट किये। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और सूझ बूझ का परिचय दिया।

[श्री हरिचंद्र माथुर]

यह बड़े खेद की बात है कि हमारी खाद्य स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी है और हम सभी इस पर चिन्तित है। खाद्य मंत्री भी जो संभव है, इस दिशा में कर रहे है, उन्हें त्याग पत्र देने के लिए कहने से समस्या हल नहीं हो सकती। हम सरकार पर इस बात का आग्रह कर सकते है कि उसे कुछ महत्वपूर्ण पग उठाने चाहिए। हमने यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें एक राष्ट्रीय खाद्यनीति अपनानी चाहिये। इस राष्ट्रीय नीति का अर्थ केवल उपलब्ध करने से ही नहीं है प्रत्युत उसके वितरण से भी है। राष्ट्रीय खाद्य नीति का महत्व हम को समझना चाहिये। इसका सम्बन्ध हमारे कृषि और उत्पादन नीति से होना चाहिये। इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम वैसा करने में समर्थ नहीं हो पाये, जितना कि हमें करना चाहिये था। हमारा उत्पादन किसी भी देश के मुकाबले में बहुत कम है। अत: मेरा निवेदन यह है कि यदि हमने अपना आत्म सम्मान बनाये रखना है तो आत्मनिर्भर बनना होगा और आर्थिक स्वतंत्रता का निर्माण करना होगा। इस लिए राष्ट्रीय खाद्य नीति का निर्माण करना चाहिये।

राज्य सरकारों के व्यवहार से भी तो हम संतुष्ट नहीं है। आज देश में पुंजीवाद और साम्यवाद का खतरा है, परन्तु यह राज्यवाद का खतरा भी भीषण रूप धारणा करने लग गया है। इसे रोक कर हमें पूरे समर्थन के साथ राष्ट्रीय खाद्य नीति का निर्माण करना है और उसे पूरी शक्ति से कार्यान्वित करना है। इस बारे में हम केन्द्रीय सरकार का कोई लिहाज नहीं करते जब हम देखते है कि वह अपनी नीति से परे जा रही है। हम कभी भी सहन नहीं कर सकते कि राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा हो, और इसके लिए हम विरोधी दलों के सहयोग का भी स्वागत करते हैं।

यह कहना ठीक नहीं कि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र में हमारी स्थिति खराब रही है। यह बात गलत है कि सिंगापुर और मलेशिया के अतिरिक्त संसार भर में हमारा कोई समर्थक नहीं है। हमारे विरोधी पक्ष के भाई हमेशा यह कहते चले आ रहे हैं कि हमने अपने पड़ौसी देशों की उपेक्षा की है। परन्तु आज हमारे पड़ौसी देशों के साथ सम्बन्ध काफी अच्छे हैं। इस दिशा में काफी प्रयास किये गये हैं और उनमें हमें काफी सफलता प्राप्त हुई है। केवल चीन और पाकिस्तान से सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान के साथ भी सम्बन्ध सुधर रहे हैं। चीन को अब काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आफ्रोशिया राष्ट्रों में भी उसे मुंह की खाली पड़ी है और इन्डोनेशिया में भी उसका बुरा हाल हुआ है। सभी देश चीन की नीति के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। पाकिस्तानी आक्रमण के बाद हमारे वित्त मंत्री समाजवादी देशों में गये और उनसे हमारे सम्बन्ध सुधार रहे हैं। रुस के साथ हमारे सब से अच्छे सम्बन्ध है। राष्ट्रपति जानसन ने भी हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री को अपनी श्रद्धा के फूल भट किये हैं। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी सफलता और क्या हो सकती है।

नि:शस्त्रीकरण और चीन के अनुबम्ब के बारे में मेरा निवेदन यह है कि हम इस मामले पर उचित ध्यान नहीं दे रहे। वैसे दूसरे देशों की दिलचस्पी इसमें है। अमरीका भी इसे देख रहा है और ब्रिटेन भी।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सारे राष्ट्र इस बात को समझ रहे हैं कि चीन का परमाणु बम बना लेना बड़ा भारी खतरा है। परन्तु हम इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। मेरे विचार मे इस दिशा में अमरीका और ब्रिटेन के विचार काफी ठीक प्रतीत होते हैं। हमें चीन के खतरे के प्रति अपेक्षा भाव नहीं अपनाना चाहिये। यह बात भी बड़ी आश्चर्य की है कि हमें चीन के बारे में सारी गुप्त जानकारी अमरीका के द्वारा प्राप्त होती है। इससे पता चलता है कि अमरीका की गुप्तचर सेवा काफी जागरूक है। अमरीका के अनुमान के अनुसार चीन इस दिशा में 1967 तक बहुत शक्तिशाली हो जायेगा। कुछ अन्य देशों का भी ऐसा ही अनुमान है। विचार यह है कि चीन 50 बम प्रतिवर्ष बनाने की स्थिति में हो जायेगा। हमें भी इस दिशा में कुछ करना होगा ताकि हम भी हालात का सामना कर सकें। 1954 की तरह हमें चीन के खतरे के प्रति उपेक्षाभाव नहीं अपनाना चाहिये। यह बड़ा गम्भीर मामला है।

वियतनाम के बारे में हमें चिन्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में अमरीका में ही काफी मत भेद हो रहा है। इस मामले में शास्त्री जी ने ठीक नीति अपनाई थी और उसको आज अनुभव किया जा रहा है। हमने कहा था कि इस मामले का हल राजनीतिक ही हो सकता है। इस समस्या का हल युद्ध क्षेत्र में नहीं होगा। जनेवा समझौते के आधार पर इस समस्या को हल किया जा सकता है। हमें किसी भी पक्ष को परेशान नहीं करना चाहिये। समय आयेगा कि यह समस्या उसी आधार पर हल होगी, जिसका सुझाव हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने दिया था। सारे का सारा मामला अन्तोगत्वा वहां के लोगों पर छोड़ देना चाहिए।

आर्थिक स्थिति के बारे में मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बारे में सारे मामले पर बड़े साहस से पुनः विचार करना होगा। गत 17 वर्षों में हमने जो सबक सीखें हैं उन्हें भी अपने सामने रखना होगा। 21 दिन का जो युद्ध हुआ है उससे भी हमारा गौरव बड़ा है। परन्तु इस युद्ध से हमारी कुछ कमज़ोरियां भी सामने आई हैं। हमें अपनी अर्थ व्यवस्था का पुनः निर्माण करना होगा। अपने आपको आत्म-निर्भर बनाने के लिये सम्भव कार्यवाही करनी होगी। इस प्रकार की स्थिति निर्माण करनी होगी कि हमारे कारखाने बिना किसी प्रकार की विदेशी सहायता से ठीक ढंग से चलते रह सकें। निर्यात वस्तुओं के लिये कोई पर्याय ढुंढना होगा। मेरे विचार में कितना कठिन आपात क्यों न हो हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं।

खाद्य स्थिति के बारे में मेरा विचार यह है कि जितना भी व्यवहारिक ज्ञान हमारे पास है उसके आधार पर हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। परन्तु मेरा विचार यह है कि इस दिशा में प्रशासन का कार्य काफी ढीला रहा है। प्रयास करने पर प्रति एकड़ उपज बढ़ सकती है। मेरा विचार तो यह है कि उत्पादन में 5 सौ प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। मुझे कोई सन्देह नहीं कि गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में दो वर्ष की अवधि में ही तीस प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। जरूरत इस बात की है कि कुछ किया जाय।

भारत प्रतिरक्षा नियमों के बारे में मेरे बड़े निश्चित विचार हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इन्हें अब हटा देना चाहिये। इनका अब कोई औचित्य नहीं है। मुझे श्री सीतल वाड़ का उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं कि इससे संवैधानिक तानाशाही स्थापित कर दी गयी है। मेरा विचार तो सीधा है कि चार हजार व्यक्तियों को जेलों में डाल देने को उचित नहीं कहा जा सकता। फिर हमारे पास निवारिक नजरबन्दी का कानून भी है। मेरे विचार में तो इसे जारी रखना सरकार की कमजोरी है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो सरकार ऐसे कानूनों के बिना कभी काम कर ही नहीं सकेगी। मैं महसूस करता हूं कि इन नियमों के हटा देने से सरकार का गौरव बड़ेगा कम नहीं होगा। इस लिये मेरा कहना है कि इस मामले पर बड़ी गम्भीरता पूर्वक सरकार को विचार करना चाहिये और इन नियमों को हटा देना चाहिये।

आज कल हमारे विश्वविद्यालयों में जो कुछ हो रहा है उसे देख कर मुझे बहुत दुख होता है। अब समय है कि हमें इस दिशा में कुछ करना चाहिये। कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में राजनीतिक प्रभाव चल रहेहैं। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामने यह कहा भी था कि ऐसे उपकुलपति नहीं नियुक्त किये जाने चाहिये जिनके कुछ नीहित स्वार्थ हों। विद्यार्थियों और अध्यापिकों की दल बन्दी में पड़ जाना देश के हित के लिये काफी हानिकारक है। शिक्षा का वातावरण तो इससे भयंकर रूप में दूषित हो जाता है। अतः मेरा कहना है कि हमें गम्भीरता से इस ओर ध्यान देना चाहिय। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि देश का भविष्य युवकों के हाथ में ही होता है। और उनकी भावनाओं की ओर ध्यान देना सरकार का कर्त्तव्य है। यदि सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर सकती तो यह समझ लेना चाहिये कि शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बिलकुल बेकार हैं। अतः इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिये।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I am very grateful to you for the time you have given to me. I have read the President's Address many times, but I could not understand what arrangements have been made to defend our country. There is no provision for introducing compulsory military training in the country. It is a first pre-requisite for the defence of our country. Moreover it is most astonishing and surprising that licenses for guns and rifles are given to those persons, who do not at all know, how to handle them. The licences are issued on the basis of their social status and not on the basis of their physical competence and courage to defend the country.

It is totally against the principles of socialism, for which this Government is raising so many slogans.

The record of this Government during the last 18 years has not been creditable. It has been a record of defeatism and humiliation. We have suffered humiliation at the hands of a handful of hostile Nagas, we have suffered humiliation at the hands of Pakistan and we have suffered humiliation at the hands of China. China has captured 38 thousand square miles of our territory in Thagla region. They are humiliating us and abducting our soldiers. The Government has not fixed any target date to vacate our territory. No date has been fixed to get Mansarowar vacated, to get Kailash vacated and to get our 38 square miles of land vacated. This Government is a weak Government.

The decision of Government to withdraw our forces from Hagipur, Kargil and Tithwal is wrong and humiliating. If Government had to to do that then there was no fun in sacrificing so many precious lives and wasting huge amounts of money. I want to remind that last time, when the whole house was wishing good speed to Shri Shastriji to go to Tashkent, I was the only member to warn him that no useful purpose would be served by his going there and that it would be against his honesty, integrity and selfrespect. The Government is claiming Soverignty over Kashmir, then why should we withdraw our forces in the name of this Tashkent Agreement. It amounts to our surrender and if we have to surrender, whatever we have achieved with such a great sacrifice, this could have been possible at Rawalpindi also. There was no sense in going to Tashkent. The Government should reverse its wrong decision to vacate the areas of Kashmir. If we take a lesson from Mahabharat, then we would understand that it is always useful to reverse the wrong decisions. Lord Krishna had given this advice to Arjuna.

The behaviour of this Government towards the Muslims of India is prejudicial and unjust, for instance Shri Syed Badruha a member of this House, has been detained only because he is a Muslim, without any charges against him. He is most honestman and his integrity can not be suspected. The Government on the other hand is always appeasing the Muslims living in Pakistan.

The Government has done nothing to eradicate hunger and to remove unemployment . The farmers are facing great diffculties these days. Seeds are not given to them and their tubewells are not working for shortage of power. No power is being supplied for their tubewells. I am saying this on the basis of my knowledge that there is not a single cinema house, which is not working because there is power shortage or electical connections has not been given but then a thousands and thousands of tubewells which are not working because no power connection has been given to them. The Government is wasting money on luxuries like, song, drama, dance etc. and no attention is being paid to the real requirements of the country. The Government should take steps to make agriculturists self-reliant. It is most shameful that funds are being collected in the streets of Holland to feed the hungry children of India. We have taken to begging.

We are begging from America, we are begging from Australia and we are begging from all other smaller nations. We have spent 240 crores of rupees on importing foodgrains. Had we spent 20 crores for the development of our agriculture, we would have been surplus in food. The Government should provide seeds, fertilizers, power connections and irrigation facilities to the agriculturists. This is the only way for increasing farm production. It is contrary to democratic principle that Government is talking about socialism and at the same time working in a fasion which is wholly capitalistic. The problems, which we are facing to-day are not natural calamities, but they are manmade.

Once again I would say that the defence of the country is being neglected. I would warn the Government that if they want to defend the honour of the nation, compulsory military training must be introduced.

Development and defence are national issues and they are not party works. I would again remind the Government that party system of Government is not only not democracy, but it strikes at the root of democracy. The present ruling party is proud of its power and is working against the interests of the country. I want to assure the party in power that I do not heat myself as an opposition member but I extend my full support to them for the betterment of the nation. In the past, I have worked with them, but because at present they are working against the interests of the country, they are saying day in and day out that we do not want even an inch of foreign land, but they are saying nothing about our land which has been taken away by foreign country, they are raising the slogans of socialism, but they are working against it, I have been compelled to leave them. But I am always there well wisher and they must pay heed to our advice.

So much is being said about corruption, but I would say that those who do not do their duty are most corrupt. I would urge the Government that it would be better if instead of raising a slogan against corruption, an attempt is made to increase production.

It is most objectionable that sterilisation is being propagated as a means of family planning in order to check growing population. Self control should be practised to check growing population.

श्री टे० सुब्रह्मण्यम (बेल्लारी) : ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का अन्तिम संदेश था कि अब हमें शांति के लिये उसी वीरता का प्रदर्शन करना है, जिसका कि पाकिस्तान से युद्ध के समय किया था। ये शब्द उस महान व्यक्ति के हैं जिस ने अपना जीवन देश की सेवा के लिये बलिदान कर दिया। यह कहना बिल्कुल अनुचित है कि स्वर्गीय श्री शास्त्रीपर दबाव डाल कर उन से ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कराये गये थे। स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिस पर इस प्रकार दबाव डाला जा सके। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिये बड़े सुचारु रुप से कार्यवाही की जा रही है। हमारी सेना ने जिस कर्तव्य परायणता से युद्ध के समय कार्य किया था, उसी कर्तव्यपरायणता से सैनिकों की वापसी आदि का कार्य किया जा रहा है। वास्तव में यह समझौता उनकी बहुत बड़ी सफलता है अतः इस का पूर्णतया पालन किया जाना चाहिये।

घटनाओं ने यह पूर्णतः सिद्ध कर दिया है कि देश की गुट निरपेक्षता की नीति सफल सिद्ध हुई है। स्वतंत्र पार्टी के एक माननीय सदस्य ने रुस के प्रधान मंत्री श्री कोसिजिन के प्रति आभार प्रकट करते हुये हमारी गुटों से अलगाव की नीतिकी आलोचना की है, परन्तु वास्तव में वह श्री कोसिजिन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते समय हमारी गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन

[श्री टी० सुब्रह्मण्यम]

कर रहे थे। गुट निरपेक्षता की हमारी नीति ने संसार की बहुत बड़ी सेवा की है। ऐशिया तथा अफ्रीका के नये स्वतंत्र हुये बहुत से राष्ट्रों ने हमारी गुट निरपेक्षता तथा शांतिपूर्ण अस्तित्व की नीति को अपनाया है तथा इस की प्रशंसा की है। सेन्टो तथा सिएटो जैसे सनिक संगठन अब लोक प्रिय नहीं है। पाकिस्तान को इन का सदस्य होने से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। सैनिक गुटबन्दी की प्रवृति अब समाप्त हो रही है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि चीन के साथ हमारे सम्बन्ध अभी तनावपूर्ण है तथा हमें इस बारे में सतर्क रहना है। इन शब्दों की आलोचना करते हुये श्री दांडेकर ने कहा है कि यह शब्द बहुत नर्म है तथा इन से स्थिति का कम अनुमान लगाया गया है। वास्तव में यह हमारी नीति रही है कि नर्म भाषा का प्रयोग किया जाये। हमारे नेता महात्मा गांधी, श्री जवाहर लाल नेहरू तथा श्री लालबहादुर शास्त्री सदा नर्म भाषा का प्रयोग किया करते थे। हमारी नीतियों की सफलता हमारी शक्ति, दृढ़ संकल्प तथा ऊंचे मनोबल पर निर्भर है न कि कड़ी भाषा पर। मैं दक्षिण पूर्व ऐशिया के देशों में गया हूं। वहां चीन के विस्तारवाद के प्रति बड़ा विरोध है तथा भारत के प्रति व मित्रता एवं प्रशंसा की भावना रखते हैं। चीन के विस्तार वाद को रोकने के लिये हमें कार्यवाही करनी चाहिये। मलेशिया तथा सिंगापूर जैसे दक्षिण-पूर्वी एशिया के देश हमारी ओर सहायता तथा पथप्रदर्शन के लिये देख रहे हैं।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में वियतनाम की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिन्ता प्रकट की है तथा उन्होंने कहा है कि इस समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के हर प्रयत्न का हम समर्थन करेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रणआयोग ने वियतनाम में सराहनीय कार्य किया है। ब्रिटन तथा रुस इस आयोग के सहसभापति हैं तथा ब्रिटेन के प्रधान मंत्री आजकल मास्को गये हुये है। इस समस्या का शांति पूर्ण हल ढूंढने के लिये हम सदा यह सुझाव देते रहे हैं कि जेनेवा सम्मेलन जैसा एक सम्मेलन बुलाया जाये। मैं आशा करता हूं कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रुसी नेताओं की इस बात पर सहमत करने का पूरा यत्न करेंगे। यदि ऐसा हो गया तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। पिछले सप्ताह अमरीका के उपराष्ट्रपति, श्री हम्फ्री यहां आये थे तथा उन्होंने यह अपील की थी कि वियतनाम में भारत से एक चिकित्सक दल भेजा जाये। यह एक महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि इस की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया होने की संभावना है। परन्तु हमें इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि रोगियों के सहायता आदि मानवीय कार्य करने में हम सदा आगे रहे हैं, तथा यदि यह अपील हमें उत्तर वियतनाम से प्राप्त हुई होती तो भी इस पर पूर्ण विचार किया जाता, रोगियों तथा घायलों की सहायता के लिये भारतीय रेड क्रास का एक दल वियतनाम भेजने की अपेक्षा पर अनुकूल विचार किया जाना चाहिये। इस मामले पर विचार करते समय दूसरे पहलूओं पर भी विचार किया जा सकता है।

अब मैं घरेलू समस्याओं के बारे में कुछ बातें कहूंगा। यह हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है। हम अपने उत्पादन लक्ष्य में पूर्णतः सफल नहीं हुये हैं, तथा हर क्षेत्र में उत्पादन में कुछ न कुछ कमी रही है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1965-66 में खाद्यान्न में 12.6 मिलियन टन की कमी रहेगी। यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 18 वर्ष बाद भी हम खाद्यान्न में आत्म निर्भर नहीं हो सके हैं। हाल ही में, मैंने बरेली जिले में संदूर में कुछ निजी फार्मों को देखा है, जहां पर संकर ज्वार, संकर गेहूं तथा संकर मक्की बोई हुई है। यह फसल बहुत बढ़िया है तथा मुझे बताया गया कि इसकी उपज सामान्य किस्म से चार गुणी अथवा पांच गुणी है। बैजापुर जिले में भी इस प्रकार के परिक्षण किये जा रहे हैं तथा वे सफल सिद्ध हुये हैं। मैं सरकार से अपील करूंगा कि

खाद्य की समस्या को हल करने के लिये वे हर राज्य में कृषि विभाग की सेवाओं का उपयोग करें तथा उनसे कहें कि हर तालुक अथवा हर जिले में प्रदर्शन फार्म स्थापित किये जायें। कृषि विभाग में केवल कागज़ पर काम हो रहा है, तथा इस से कोई लाभदायक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। अतः व्यवहारिक काम किया जाना चाहिये।

उर्वरकों के बारे में भी हमारी स्थिति संतोषजनक नहीं है। हमारी उपज निर्धारित लक्ष्यों से बहुत कम है। अतः उर्वरकों के उत्पादन के लिये निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किये जाने चाहियें। अधिक सिंचाई सुविधाओं और अच्छे बीजों तथा कीटनाशक दवाइयों से हम खाद्य की समस्या हल कर सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका ने हमारी वर्तमान कमी को पूरा करने के लिये जो कि 12.5 मिलियन टन है, जो उदारता पूर्वक सहायता देने का वचन दिया है, उसके लिये हमें अमरीका का कृतज्ञ होना चाहिये। हमें उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिये। हमें इस सहायता का स्वागत करना चाहिये।

चौथी योजना में हर क्षेत्र में कारखानों का विस्तार करने का उपबन्ध किया जा रहा है तथा नये इस्पात कारखाने स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि चौथी योजना के दौरान होसपेट में इस्पात कारखाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। वह सभी आवश्यक शर्तें अर्थात् लौह अयस्क, विद्युत, अक्षारीय जल तथा भूमि पूरी करता है। यदि यह कारखाना स्थापित नहीं किया गया तो इस का अर्थ होगा कि हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं।

Shri Bade (Khargone) : It has been stated in the President's Address that the Country should be strong and vigilant, but no indication is made in his Address about the ways and means by which we can become strong and vigilant. The rising prices, low industrial output, critical food situation, acute shortage of foreign exchange and our wrong economic policy have posed very serious problems before us and we are facing famine conditions everywhere in the country. The country is on the brink of disaster.

First of all I would draw your attention to the prevailing food situation in the country. The shortage of food grains in the country would be made known from the fact that we have to import 636 lakhs tons of foodgrains, costing Rs. 2,634 crores during the year, 1965. It is undesirable that we should import foodgrains despite the fact that 70 per cent of our population is comprised of agriculturists and are unable to increase our production. The main reason for this non-increase is that no attention is being paid by the State Governments for the betterment of agriculture. The Chief Ministers of the States are not interested in having agriculture department under their charge, because they treat it a department of third rate importance.

Regarding Madhya Pradesh I would state that out of 43 districts, 23 or 21 districts have been declared famine striken districts. But it is more unusual that while on one hand these districts have been declared as famine striken areas, on the other hand levy is being enforced with undue strictness. It has been ordered that in case any farmer refuses the levy, he will be sentenced for three years imprisonment. This is most distressing state of affairs. The revenue authorities are not at all concerned whether any production has been there in a particular piece of land or not. They are only concerned that in case a particular farmer has sown five or ten acres of jowar, he will have to give 50 kilos of jowar as levy,

7—22 L.S./66

[Shri Bade]

whether there is any production or not. The farmers are fear striken and finding no other alternative, they have sometimes to mortgage their ornaments and then deposit the levy. The administration right from the Chief Minister at the top to the Naib Tehsildar are quite unconcerned about the requirements of the people. They have nothing to eat, but levy is being imposed upon them. To make the situation worse the Naib Tehsildar has imposed restrictions of the movement of coarse grains from one Taluka to another. Whenever any Sarpanch approaches the District Magistrate in order to make a demand for food grains the District Magistrate refuses to meet him. The situation there is very grave.

The food grain crops are not ripe and the B.D.Os etc. are asking the farmers to sow cotton and groundnut under the package programme. How these commodities can be sown, when no seed is available. The Government there is giving no food to those persons who are living outside Municipal areas, despite the fact that they have nothing to eat. It is after great efforts that the Chief Minister has agreed to give 7 kilos of Jowar per month to every family. But it is meaningless. In case a family consists of 10 members then not a gram is given to the each member. People are hungry and no food is being given to them, they are now in a agitating and violent mood, and there had been cases particularly in Adivasi areas where people have to go without food not for a day or two but days together. One of the possible reason for the Governments apathy in their case seems to be that they are not vociferous enough in their demands in the same way as the people of Kerala and West Bengal had been. But if things continued to be like that for long, the situation there may also take an ugly turn and the people may resort to violent acts such as stone throwing, firing etc. and thus pose a problem for law and order.

The Government have been saying that advances would be made available for sinking tube well and irrigation facilities will be provided. It has also been propagated that people would be allotted land from the areas which are lying uncultivated so that the production of food grains may be increased. But nothing has been done. No advances have been made available to the farmers and whenever they approach the banks for credit they are told that no funds are available. No land has been given to the farmers, not even an inch, I can say this in case of Madhya Pradesh. I am of the opinion that restriction imposed on the movement of foodgrains from one district to another may be lifted, it would ease the situation, because the surplus districts would be in a position to send foodgrains to deficit districts.

So far as the question of hoarding is concerned I may say that there has been no hoarding in Madhya Pradesh by the farmers and in case the traders have hoarded why no action is being taken by the Government against them? The Government should take action against them.

Now I would refer to the Tashkent declaration. It has been said that it will be followed in letter and spirit. But there is no spirit in the Tashkent agreement. It has been signed under critical circumstance by our late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri.

The decision of the Government to withdraw our forces from Hajipir, Kargil and Tithwal is totally against the assurances given by the late Prime Minister that whatever the circumstances may be, we may live or not, this Government may live or not, and whatever the world may say, we will not withdraw our forces from Hajipir, Kargil and Tithwal. Is it the same spirit? If the Government had to take this decision, then there was no fun in sacrificing so many young lives.

We have lost so many young sons of India, the mothers have lost their sons, and the wives their husabands. When it is being claimed that the area which was liberated belongs to us by law and is an integral part of India, then why this withdrawal has been agreed upon. We are living under constant danger from China and Pakistan. Strong and persistent efforts are, therefore, required to increase our country's military strength to meet the challenge from China and Pakistan. While one of them has been feverishly preparing for war for the last 16 years and have come to acquire vast military potential, including the Atom Bomb, the other had been receiving massive military aid from the United States of America over a long period of 12 years. We should also have atom bomb. Our late Dr. Bhaba had said on 4 October, 1964 at Geneva that he is competent to manucture an atom bomb within 18 months and arrangments for its delivery can also be made. But the Government has taken no steps in this direction. In case we want to defend our country, we should have the atom bomb. The arrangements for imparting military training to all ablebodied persons in the country, should be made. The President's Address do not mention any steps intended to be taken in that direction and that is why I have moved an amendment to the President's Address. The double menace from China and Pakistan is very much true by the fact that China had recently made incursions into the demilitarised zones in Ladakh, while the Pakistani leaders have started repudiating the Tashkent spirit even before the ink on Tashkent agreement was dry. Pakistan has clearly stated that Kashmir is a disputed territory. They have also stated that Tashkent agreement do not include the infiltrators. Keeping in view the present circumstances, we should try our best to strengthen our armed forces. Our approach on international problems should be based on national interests for instance we should take such attitude towards the problem of Viet Nam, which may not lead to any reactions in America and other countries of the world.

Once again I would say that the central government is underestimating the food shortage in Madhya Pradesh and Rajasthan. The Government should rush adequate quantities of food grains to these States.

Shri A. P. Sharma (Buxar) : I support the motion of thanks moved on President's address. The biggest problem before our country today is the shortage of foodgrains. We have to think over this problem and evolve a policy in this regard. We find that people are agitating in various States. The examples of Kerala and West Bengal are before us. We have to increase our production. In my area there is great scope of increasing production if irrigation facilities are provided there. The production can go up by about 36 thousand tonnes. Had Government taken some steps to provide irrigation facilities in my State, it would have become a surplus State. It is a pity that Government is spending huge sums of money on import of foodgrains from other countries and no proper steps are being taken to provide facilities in the country. I had raised this question in the executive Committee of Congress Parliamentary Party and the late Prime Minister Shri Shastri had also recommended that all irrigation facilities should be provided in U. P. and Bihar.

I request that we should lay more emphasis on irrigation facilities instead of on fertilizers. Government should streamline the distribution machinery regarding foodgrains. The Surplus states Should help deficit States. There should be equitable distribution. The facilities for agriculture should also be provided to all States on equitable basis. There should not be any discrimation against any part of the country. This is one country. We should import foodgrains in minimum possible quantity. Every endeavour should be made to increase food production in our own country.

[Shri A. P. Sharma]

Our plans should be formulated at lower levels. The Gram Panchayat of a particular village should be associated with formulation of plan of that particular village. In this, masses will take great interest in the implementation of plans. I have to say that bureaucrats do take that much interest which they ought to and as a result thereof plans become successful. Thus we should see that our plans are labour-oriented and peasent-oriented.

The public sector is increasing day by day. It is going on according to the policy of Government, but no machinery has been evolved for redressal of grievances of labour. Government should take necessary steps in this matter.

The President has mentioned the rising prices. Government have given some assistance by way of increase in dearness allowance to their employees. Thir meagre incresase is not of much help. Government should make arrangements to supply essential commodities at fair price. This has been demanded by various organisations of Government employees. It is pity that Government has not given this assistance according to the recommendations of Second Pay Commission. Government will have to bear Rs. 25 crores annually by this increase but it has not satisfied the Government employees. In matters like this Government should convene a meeting of the representatives of employees.

Whenever I find that Government has done something wrong, I deprecate that. I would like to request the opposition parties that they should not try to make capital out of troubled situation. They should not start agitation on false grounds.

श्री मनोहरन (मद्रास-दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मौरिशस के एक कवि ने प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रशंसा की है। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री कहीं चाटुकारिता में फंस न जायें। मैं यह आशा करता हूं कि वह देश के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिये पूरा पूरा प्रयत्न करेंगी और देश को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने में सफल होंगी।

मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण से बहुत निराशा हुई है। उसमें भाषा समस्या के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। हम इस बारे में आंदोलनों को भूल नहीं सकते। मद्रास में लगभग 150 व्यक्तियों को गोली का निशाना बना दिया गया था। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस समस्या के महत्व को समझें।

खाद्य स्थिति पर बहुत बातें कही गई हैं और केरल के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। हम केवल आंकड़े प्रस्तुत कर के लोगों की भूख समाप्त नहीं कर सकते। सरकार को वास्तविक स्थिति समझनी चाहिये और लोगों को खाद्यपदार्थ उपलब्ध करने चाहिये।

केरल के भूतपूर्व राज्यपाल श्री ए० पी० जैन ने जिस गैर-जिम्मेदाराना व्यक्तित्व का परिचय दिया है उस के लिये उनको दण्ड मिलना चाहिये। उन्होंने अपने पद से उस समय त्यागपत्र दे दिया जब राज्य में खाद्य स्थिति बहुत गम्भीर थी। उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। मेरा प्रधान मंत्री से सुझाव है कि राज्यपाल के पद को ही समाप्त कर दिया जाये। इस की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि हमने जो ज्ञापन भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री ति० त० कृष्णामाचारी के विरुद्ध दिया था उसपर क्या कार्यवाही की गई है? श्री कृष्णमाचारी के इस्तीफे से ही यह काम समाप्त नहीं होनी चाहिये। मेरी मांग है कि इस बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस बारे में अदालती जांच करायी जाये और आगे की कार्यवाही की जाये।

श्रीमान्, अब मैं आप का और सरकार का ध्यान मद्रास से प्रकाशित होने वाली एक प्रमुख पत्रिका "कलायमागल" में प्रकाशित लेख की ओर दिलाना चाहता हूं। यह पत्रिका वहां की अच्छी पत्रिका मानी जाती है। इस लेख को प्रसिद्ध सम्बाददाता श्री के० श्रीनिवासन ने लिखा है। मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय गृह-कार्य मंत्री कुछ बतायेंगे। इस लेख में उनपर आरोप लगाया गया है कि श्री ति० त० कृष्णामाचारी के त्यागपत्र के लिये श्री नन्दा जिम्मेदार है और उत्तरी भारत के मंत्री अपने दैनिक कामों के लिये ज्योतिषियों से सलाह लेते है।

श्री राधेलाल व्यास : श्रीमान् यह एक नियम है कि यहां पर किसी के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उनकी सरकारी हैसियत के बारे में कहा जा रहा है। सरकार इस का उत्तर देगी।

श्री मनोहरन : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं तो पत्रिका की बात ही कह रहा हूं। इस में लिखा है कि श्री हवेली राम उन के ज्योतिषी हैं। और श्री हवेली राम के पुत्र श्री चमन लाल आयात-निर्यात का कार्य करत हैं। आगे लिखा गया है कि श्री नन्दा को श्री चमनलाल अनुचित लाभ पहुंचाना चाहते थे परन्तु जब श्री कृष्णामाचारी ऐसा करने के लिये तयार नहीं हुए तो श्री नन्दा ने यह ज्ञापन दिलाया।

श्री वासुदेवन नायर : श्री नन्दा को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

श्री मनोहरन : मैं श्री नन्दा का बहुत सम्मान करता हूं।

श्री कपूर सिंह : श्रीमान, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या श्री हवेली राम और उनके लड़के श्री चमनलाल के विरूद्ध इस प्रकार आरोप लगाये जा सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : इस में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है।

श्री मनोहरन : श्री नन्दा से मेरी किसी प्रकार की शत्रुता नहीं है। मैं तो उनके भ्रष्टाचार के दो वर्षों को समाप्त करने के संकल्प की सराहना करता हूं। परन्तु खेद है कि इस समय मे भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। मेरा प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि इस लेख में उल्लिखित बातों पर ध्यान दें और इस सम्बन्ध मे कार्यवाही करें। अब ताशकन्द घोषणा के बाद सरकार को आपत्कालीन स्थिति समाप्त कर देनी चाहिये। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रस पार्टी को अपने लाभ के लिये ही इसे जारी नहीं रखना चाहिये।

मद्रास राज्य के सेलम जिले में इस्पात कारखाना स्थापित होना चाहिये। राष्ट्रपति के अभिभाषण इसका उल्लेख नहीं है। भाषा के प्रश्नपर हम आशा करते हैं कि प्रधान मंत्री सफल होंगी।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में खाद्य स्थिति पर ठीक ही जोर दिया है और उन्होंने बताया है कि खाद्यान्न तथा अन्य कृषि जन्य वस्तुओं की उपज बढ़ाने के लिये उत्तम किस्म के उर्वरकों, उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग किया जायेगा तथा उत्पादक विधि में सुधार करने के प्रयत्न किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में, मैं यह महसूस करता हूं कि मलमूत्र का प्रयोग करने और गोबर की खाद बनाने के लिये पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई है और न ही की जाने वाली है। यदि इस दशा में प्रयत्न किये जायें तो बहुत बड़ी मात्रा में वह खाद प्राप्त किया जा सकता है तथा उपज के बढ़ाने में इस का बहुत बड़ा महत्व है।

[श्री० अ० कु० सन]

हम रसायनिक उर्वरकों की आयात पर तथा देश में उन की उपज को मात्रा को बढ़ाने पर अधिक जोर देते रहे हैं, तथा हम ने स्वदेशी खादों की उपज की बढाने में जो कि हर गाव से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किये जा सकते हैं तथा जिनका कृषि उपज को बढ़ाने में बहुत महत्व पूर्ण योग है कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। अतः मैं सरकार और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।

खाद्य उत्पादन में बढ़ातरी न होने तथा वर्तमान स्थिति उत्पन्न होने का एक कारण यह है कि हम आयात पर जोर देते रहे हैं। इसलिये हमने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। हम ने न तो उत्पादन बढ़ाने की ओर ही ध्यान दिया है और नही वितरण को सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दिया है। निर्यात पर निर्भर रहने के कारण हमारी उपज की बढ़ोतरी में बाधा आई है। यह बात सर्वविदित है कि देश में इतनी कमी नहीं है जितनी की अनुभव की जा रही है।

कमी इस कारण हुई कि जो लोग वितरण करते थे उन्होंने इसे रोक लिया। चावल के मिलों पर नियन्त्रण न होने की कारण उनकी गति विधियों पर नजर नहीं रखी गई तथा जो लोग वितरण के उत्तरदायी थे उन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं किया गया। खाद्य निगम वितरण व्यवस्था को सुचारु करने के लिये बनाया गया था, परन्तु खाद्य निगम जिस प्रयोजन से बनाया गया था उन्होंने वह कार्य छोड़ कर अन्य कार्य करने आरम्भ कर दिये।

हमारे सामने भुगतान शेष, औद्योगिक उत्पादन में ढील, निर्यात व्यापार में स्थिरता जैसी गम्भीर समस्यायें है। समूचा आर्थिक दृष्टिकोण अस्पष्ट एवं निराशवादी है। रुपये का मूल्य बहुत गिर गया है। हमारी भुगतान क्षमता प्रतिवर्ष अधिक खराब होती जा रही है। देश के उद्योगों, कृषि तथा निर्यात सब की अवनति हुई है। यह सब कैसे हुआ इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

हमें अपने देश को उन्नत बनाने के लिये, स्पेन, पश्चिम जर्मनी तथा जापान जैसे देशों के इतिहास पर दृष्टि डालनी होगी। हमें यह देखना होगा कि वही स्पेन जो 1956 में तानाशाही के चूंगल में फंसा हुआ था, 6 वर्ष की अल्प अवधि में इतना उन्नत एवं वैभवशाली कैसे बन गया।

जर्मनी तथा जापान ने विगत युद्ध में विनाश का तांडव नृत्य देखा था तथा इन देशों को पूर्णतः विध्वंस कर दिया गया था। यदि हम इन देशों की वर्तमान उन्नत स्थिति को देखें तो आश्चर्य चकित रह जाते हैं। यदि हम इन देशों की उन्नति के कारणों की ओर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने अनुशासन तथा आत्मिक बल द्वारा ही कैसे कठिनाइयों पर काबू पाया था। यदि हमारे विचार संगठित होते तो कार्यकुशल प्रशासन होता और कल्पनाशील नीतियां अपनाई होती तो हमारा इतना पतन नहीं होता, जितना अब हुआ है।

आपात की उद्‌घोषणा अक्तूबर नवम्बर, 1962 में उस समय की गई थी जब कि चीन के आक्रमण के कारण देश की स्वतंत्रता को गंभीरतम खतरा उत्पन्न हो गया था। अब फरवरी, 1966 है तथा आपातकालीन स्थिति को लागू हुये तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया है। इस तीन वर्ष की अवधि में पाकिस्तान से भी हमें गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा है। अतः मेरे विचार में आपात के इन तीन वर्षों में किसी ने संसद में तथा इस के बाहर यह आवाज नहीं उठाई कि आपतकालीन स्थिति समाप्त की जाये परन्तु अब समय आ गया है कि आपतकालीन स्थिति को समाप्त किया जाये। चूँकि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हो गये है और वातावरण में परिवर्तन हो गया है, तो इस बात की शंका उत्पन्न हो गई है

कि आपात काल बनाये रखने का क्या औचित्य है। हमारा देश प्रजातंत्रात्मक सरकार के पक्ष में है, तथा जनमत इस पक्ष में है कि कार्यपालिका को अधिक शक्तियां न दी जायें। देश के कई प्रमुख व्यक्तियों ने जिन में उच्चतम न्यायालय के मुख्यन्यायधीश ने भी यह मत व्यक्त किया है कि यदि आपत की आड़ में कार्यपालिका ने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य से किया तो इससे लोकतंत्र को आघात पहुंचेगा। अतः संसद में न केवल विपक्षीदल के सदस्यों ने बल्कि सत्ताधारी दल के सदस्यों ने भी यह मत व्यक्त किया है कि आपात को समाप्त किया जाये। अतः अब हमें उस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि क्या हमें उन बाधाओं पर, जिनका आज हमें सामना करना पड़ रहा है, काबू पाने के लिये आपतकालीन शक्तियों की आवश्यकता है अथवा इन शक्तियों की अनुपस्थिति में भी हम उन बाधाओं पर काबू पा सकते हैं। हमारे पास अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम तथा निवारक विरोध जैसे अधिनियम हैं, जिन का उपयोग हम उन लोगों के विरुद्ध कर सकते हैं जो राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कार्य करते हैं। अब समय आ गया है जब कि लोग चाहते हैं कि वे स्वतंत्र वायु में सांस ले तथा कार्यपालिका को केवल विधियों और विनियमों के अधीन उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार हो। प्रतिरक्षा नियमों के जारी रखे जाने से उनके दैनिक जीवन में सरकार अधिक हस्तक्षेप करने की स्थिति में है। अतः सरकार को लोगों तथा संसद को संतुष्ट करना होगा कि अबिलम्बनीयता ऐसी है कि हमें भारत प्रतिरक्षा नियमों को अभी जारी रखना चाहिय।

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारी विदेश नीति तथा उसकी सफलता का उल्लेख किया गया है। वैदेशिक कार्य मंत्री, श्री स्वर्ण सिंह इस बात के लिये बधाई के पात्र है कि उन्होंने देश में तथा विदेशों में हमारे सम्बन्ध को सुधारा, जिस के फलस्वरूप ताशकंद समझौता हुआ, मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम ने विदेशों में बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। संसार अब यह विश्वास करता है कि हम शांति चाहते हैं, संसार अब यह जानता है कि हम प्रजातंत्रात्मक पद्धति में विश्वास रखते हैं, तथा स्वतंत्रता का सम्मान करते है और संसार को अब यह विदित हो गया है कि हम उपनिवेशवाद, जातिवाद, तथा सैनिक संगठनों का विरोध करते हैं।

रोडेशिया के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि लागोस में हुये राष्ट्रमंडलीय प्रधानमंत्रीयों के सम्मेलन में मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। इस अवसर पर हम ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ब्रिटेन द्वारा किये गये आर्थिक बहिष्कार का रोडेशिया की विद्रोही श्वेत सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हालांकि ब्रिटेन का मत था कि आर्थिक बहिष्कार के कारण दो सप्ताह में श्वेत सरकार घुटने टेक देगी। कई सप्ताह व्यतीत हो चुके हैं और श्वेत सरकार के रवैये में कोई अन्तर नहीं आया है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि भारत को वे सब संभव प्रयत्न करने चाहिये जिन के फलस्वरूप वहां श्वेत जातिवाद को समाप्त किया जा सके। आशा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये भरसक प्रयत्न करेगी कि अफ्रीका में उपनिवेशवाद के अन्तिम चिह्न समाप्त किया जाये।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खेद के साथ कहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के सम्मुख प्रस्तुत गंभीर समस्याओं के हल के बारे में कोई संकेत नहीं किया गया है। अतः यह भाषण असंतोषजनक है। इस में कोई सार नहीं है तथा जो कुछ भी कहा गया गया है वह महत्वहीन है।

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि भूतपूर्व विधि मंत्री ने सरकार को आपातकालीन स्थिति को समाप्त करने के बारे में विचार करने को कहा है। वास्तव में यह मत कि आपातकाल को समाप्त किया जाये दिन प्रतिदिन शक्ति पकड़ता जा रहा है। देश में आपात काल बनाये रखने के लिये अब कोई औचित्य नहीं है। समस्त राष्ट्र आपात को समाप्त करने की मांग कर रहा है। अतः सरकार को यह मांग स्वीकार करनी चाहिये और आपत काल को खत्म करना चाहिये।

[डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी]

वास्तव में, संविधान के अन्तर्गत सरकार का यह कर्तव्य है कि यथासंभव शीघ्र आपत की स्थिति को समाप्त किया जाये। ताश्कंद समझौते के बाद हमें कोई ऐसा खतरा दिखाई नहीं देता जो निकट भविष्य में आने वाला हों। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि देश को सतर्क और सुदृढ़ रहने की आवश्यकता है। देश को सदा के लिये सुदृढ़ तथा सतर्क रहने की आवश्यकता है, परन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि भारत रक्षा नियम सदा के लिये लागू रहे।

आपात की स्थिति अनिश्चित काल के लिये जारी रखना संविधान के प्रतिकुल है। संविधान में यह सुनिश्चित रूप से कहा गया है कि आपात की स्थिति किसी सीमित समय के लिये किसी विशेष उद्देश्य को दृष्टि में रख कर लगाई जाये। इस का यह अर्थ नहीं कि किसी राजनीतिक दल के हाथ में सदा के लिये शक्ति सौंप दी जाये कि वे चाहें जब तक इस का अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिये लाभ उठाते रहें। यह सर्वथा अनुचित है। भारत रक्षा नियम जारी रहने से विधि की सत्ता का उल्लंघन होता है और यह हमारी लोकतंत्रात्मक प्रणाली के लिये खतरा है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों ने इस मामले पर अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किये है। उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में कहा है कि ऐसे मामलों को महत्वहीन समझने के, ऐसे परिणाम हो सकते हैं कि ऐसी निरंकुश शक्तियों और अन्ततः उन के निरन्तर प्रयोग के परिणामस्वरूप उन मूलभूत आदर्शों के लिये गंभीर खतरा पैदा हो जायेगा जिन पर इस देश के लोकतंत्रात्मक जीवन की आधार शिला रखी गई है। संविधान का निर्वचन करने वालों तथा अपनी प्रणाली के आधार का आदर करने के लिये सरकार को इस मामले पर पुनः विचार करना चाहिये और आपत स्थिति समाप्त की जानी चाहिये।

राज्य सभा में भी इस संबंध में कि आपात स्थिति को जारी रखने का क्या औचित्य है बहुत से प्रश्न पूछे गये है, परन्तु खेद है कि उन के संतोषजनक उत्तर नहीं दिये गये।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि हमारे आर्थिक विकास की गति धीमी रही है। उसमें कहा गया है कि हमारी राष्ट्रीय आय की वृद्धि जो योजना के पहले दो वर्षों में मंद थी अब गतिमय होकर तीसरे वर्ष में 4.5 प्रतिशत और चौथे वर्ष में 7.3 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह वृद्धि पूर्वअनुमानित 11 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में बहुत कम है तथा यह संभव है कि भविष्य में कई वर्षों तक हमारी वृद्धि की दर 4 से 5 प्रतिशत तक रहेगी, जो कि बहुत असंतोषजनक है। मैं सभा सभा का ध्यान एक गवेषणा निकाय के निष्कर्षों की ओर दिलाता हूं जिस में कहा गया है कि एशिया में इन्डोनेशिया के अतिरिक्त हमारे विकास की गति सबसे धीमी है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। यह कोई पार्टी का मामला नहीं है अतः सब राजनीतिक दलों को इन निष्कर्षों के आधार पर सरकार की आलोचना करनी चाहिये। सरकार को सभा तथा देश के समक्ष इस बात के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिये कि यहां न केवल कमी ही है अपितु हमारी अर्थव्यवस्था के सभी मुख्य क्षेत्रों में अधिकांशतः हम सभी मोर्चों पर असफल रहे हैं।

यह कहा जा रहा है कि योजना की प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करते समय, उसे उन्नतिशील बनाया जायगा और कृषि को उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी। यह भी कहा गया जा रहा है कि हमें खाद्य में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। परन्तु खेद है कि खाद्य मंत्री ने आधुनिक तरीकों तथा उन्नत उपकरणों की सहायता से कृषि की उपज बढ़ाने के बारे में जो स्पष्टीकरण दिये है, वे पूर्णतः असंतोषजनक हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे देश में कृषि संबंधी कार्यों के हर सम्भव क्षेत्र में समन्वय तथा दृढ़ इरादे का अभाव है तथा इस सबंध में योजनायें भी कम बनाई गई है। राजनीतिज्ञों के लिये यह कहना सरल है कि यदि सम्मिलित पूँजी वाले समवायों को कृषि क्षेत्र में प्रवेश होने की अनुमति दी गई तो वे सत्याग्रह कर देंगे, परन्तु उनके लिये इस के पक्ष में महत्वपूर्ण तर्क देने इतने सरल नहीं है।

[श्री शामलाल सर्राफ पीठासीन हुये
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair*]

सरकार की भूमि संबंधी नीतियां सदा अस्पष्ट एवं उलझन वाली रही है। संविधान में 17 वां संशोधन इस आश्वासन पर लाया गया था कि इससे भारतीय कृषि क्षेत्र में शताब्दियों से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो जायेगा। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या इस आश्वासन के एक छोटे से भाग को भी पूरा किया गया है।

हमारी वर्तमान आवश्यकता यह है कि कृषि के सारे ढांचे को एक आधुनिक तथा अधिक कार्य-कुशल रूप दिया जाये। हमारी आवश्यकता यह है कि कृषक को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जायें एवं उसे शिक्षित किया जाये तथा शिक्षित हो जाने पर, कृषि के बारे में जो कुछ उस ने ज्ञान प्राप्त किया है उस का लाभ उठाने का अवसर दिया जाये। आज स्थिति यह है कि जो भी कृषक सम्पन्न हो जाता है, वह अपने बच्चों को स्कूलों तथा कालेजों में शिक्षा ग्रहण करने के लिये भेज देता है और यह शिक्षित युवक कभी खेत पर वापस नहीं जाते। इसका कारण स्पष्ट है कि हम उन्हें न तो पर्याप्त प्रोत्साहन ही देते है और न ही काफी लाभकारी मूल्य दिया जाता है। इस में दो मत नहीं हो सकते कि हमें खाद्य में आत्म निर्भर होने की आवश्यकता है। हमें भूख तथा गरीबी पर विजय प्राप्त करनी है, परन्तु इसे प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय मनोबल, नये दृष्टिकोण, नये प्रोत्साहन तथा नये साहस की आवश्यकता है। विजय केवल वही प्राप्त कर सकते है जिन्हें विजय प्राप्त करने का विश्वास है। मुझे खेद है कि इन सब का अभाव है तथा सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है।

सहकारिता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। सहकारिता उन देशों में भी बहुत सफल नहीं हुई है, जहां इस ने जन्म लिया था तथा पृथ्वी पर स्वर्ग लाने के स्वप्न दिखाये थे, उदाहरणार्थ रुस ने औद्योगिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की है, परन्तु कृषि के क्षेत्र में वह इतनी प्रगति नहीं कर सका। इसका कारण यह है कि कृषि कार्यक्रम कृषकों की मनोवृति के अनुकुल नहीं था। रुस तथा पोलैंड आदि देशों में जहां सहकारिता ने जन्म लिया था, वहां भी इस पर मूलतः पूर्व विचार किया गया है। हमें कम-से-कम उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहिये और अधिक उत्पादन करने के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये कृषि संबंधी नीतियों को पुनः बनाना चाहिये। उनको कोरे सिद्धांतों में नहीं उलझा देना चाहिये। खेद है कि किसानों को वे प्रोत्साहन देने तथा आधुनिक प्रौद्योगिकीय औजार देने की ओर हमने बल नहीं दिया है। फार्मों को समृद्ध होने से पहले, हमने उनकी सीमाओं आदि पर बल दिया था। अनुभव से पता चला है कि हमारे देश में बड़े पैमाने पर सहकारिता से बहुत ही कम लाभ हुआ है। सहकारी समितियां हमारे देश में समाज की समाजवादी व्यवस्था करने का माध्यम नहीं हैं। हमारे देश में सहकारिताओं द्वारा दिये जाने वाले ऋण का दुरुपयोग किया जा रहा है। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के अध्ययन के अनुसार सहकारिताओं द्वारा दिये जाने वाले 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत ऋण का दुरुपयोग किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि संसद् के चार वर्षों की अवधि में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये कोई महत्वपूर्ण कार्यवाही नहीं की गई है। आश्वासन तो बहुत दिये गये थे परन्तु जहां तक कोई लाभ होने का संबंध है कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने हमारी शिकायतों का निवारण करने के लिये अन्यमनस्कता से एक आयुक्त की नियुक्ति की है, उसके पास न कोई जांच करने की शक्ति है और नहीं अपील सुनने का अधिकार है और न ही न्यायिक कार्यवाही करने की कोई शक्ति है। सरकार को यह समझ लेना चाहिये कि लोगों की शिकायतों तथा उन का उचित रुप से निवारण करने के बारे में जो समस्यायें हैं, उन्हें हल करने के लिये "ओम्बुड्समैन" जैसी संस्था के बिना काम नहीं चलेगा।

श्री पी० रा० रामकृष्णन् (कोयम्बटूर) : मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपति ने देश के दो संकटों का उल्लेख अपने अभिभाषण में किया है। एक खाद्य संकट और एक विदेशी मुद्रा संकट। मेरे विचार में यह दोनों प्रश्न एक दूसरे पर आश्रित है। भारत संसार भर का सब से बड़ा लोकतंत्र है जिसका आर्थिक विकास का आयोजन चल रहा है। उद्देश्य यह है कि देश की राष्ट्रीय आय में 7 प्रतिशत का लाभ हो। पिछले वर्षों में हमारी राष्ट्रीय आय में निरन्तर वृद्धि हुई है। हमारा औद्योगिक क्षेत्र काफी व्यापक हुआ है। देश का तकनीकी ज्ञान भी बढ़ा है। सभी प्रकार का माल देश में बन रहा है। इस प्रगति पर देश वास्तव में नाज कर सकता है। अणु-शक्ति की दिशा में भी हमारी प्रगति आशातीत है। देश भर में प्रयोग शालाओं का व्यापक जाल बिछ गया है। परन्तु इस सब के बावजूद हमारी अर्थ व्यवस्था नीचे को जा रही है। उद्योग कोई लाभ नहीं दिखा रहे। अभाव की स्थिति सर्वत्र दिखाई देने लगी है। कीमतें बढ़ गयी। आयात शुल्क भी 45 प्रतिशत बढ़ गया हैं। विदेशी व्यापार में भी कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। नये उत्पादन के लिए हमें विदेशी मुद्रा भी उपलब्ध नहीं हो रही। विदेशी आयात को कायम रखने के लिए हमें विदेशी मुद्रा चाहिये। मुझे यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि योजनाओं को व्यवहारिक आधार पर नहीं बनाया गया। उन्हें बनाते हुए पदासीन दल ने अपनी विचारधारा का ध्यान ज्यादा रखा है।

योजनाओं को कार्यान्वित करते हुए भी काफी भूले की गयी है। हमारे सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनायें ठीक प्रकार से नहीं चल रही। काम काफी देरी से हो रहा है। हमने ऐसे काम नहीं किये जिससे विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। लोगों में आत्म विश्वास का अभाव हो रहा है। विभिन्न उद्योगों में समन्वय का भी नितान्त अभाव ही है। पूंजीगत व्यय का कोई लाभ नहीं हो रहा। कर्मचारी भी जरूरत से ज्यादा भरे हुए है। विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में। भिलाई में 30,000 लोग काम कर रहे है, रूस में यह काम केवल 7,000 लोगों से चल सकता है। इस श्रम का उपयोग भी अयोग्यता से हो रहा है। यह हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए भारी खतरा है। हमें सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं को व्यापारी लिहाज से चलाना होगा। चीन के आक्रमण के बाद तो हमें अपने आयोजन में विकास और प्रतिरक्षा दोनों चीजों का ध्यान रखना हैं। अपने स्वाभिमान को कायम रखना है तो हमें आत्मनिर्भर भी बनना होगा, अपनी अर्थ-व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना होगा। अपनी औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाना होगा। अतः उत्पादिकता पर जोर दिया जाना चाहिए।

कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़े इसके लिए हमें अच्छे बीजों और सुधरे हुए औजारों की व्यवस्था करनी होगी। उर्वरक और सिंचाई की सुविधा उन्हें देनी होगी। लोगों को कृषि के वैज्ञानिक ढंग सिखाने होंगे। और इन सब के लिए भी हमें देश को आत्मनिर्भर करना होगा। एक दम तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, परन्तु आहिस्ता आहिस्ता हम कुछ कर पायेंगे। 1250 लाख टन का जो लक्ष्य हमने चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया है, उसे प्राप्त करना कठिन नहीं हो। इस समय तो प्रति एकड़ उपज बहुत कम है परन्तु इसमें शीघ्र ही 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने की आशा है। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी और दक्ष प्रबन्ध की अपेक्षा है। उसमें उत्पादन व्यय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कपड़ा उद्योग में कुछ ढील रही है। कई जगह कारखानें बंद हुए और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमें कपड़ा उद्योग में लगे हुए कर्मचारियों को आश्वस्त करना होगा कि उन्हें स्थायी नौकरी उपलब्ध होगी। और इसके साथ ही मूल्यों को भी स्थायी करना होगा। इन सब तत्वों का सम्बन्ध उत्पादिकता से हैं। उद्योग क तकनीकी विकास के साथ पग मिला कर चलना होगा। हम विदेशी प्रवीणों पर अधिक आश्रित नहीं रह सकते, अतः हमें इस दिशा में भी अपनी व्यवस्था करनी होगी। अधिक देर अधिक मात्रा में हमने विदेशी सहयोग पर आश्रित रहना चाहा तो विदेशी मुद्रा की स्थिति उत्तरोत्तर कमजोर और बिकट होती जायेगी। फिर भी हमें विदेशी सहयोग को बिलकुल ही नहीं त्याग देना है। एसा करने से हम तकनीकी क्षेत्र में बिलकुल अलग अलग हो जायेंगे। अच्छा है कि विदेशी सहयोग

के लिए एक समिति डा० रामास्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में बना दी गयी है और निकट भविष्य में वह समिति इस दिशा में सहयोग के कुछ सिद्धान्त निश्चित कर देगी। सरकार भी इस दिशा में काफी जागरूक है। और यहां तक सम्भव होगा हमारी अर्थ-व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया ही जायेगा।

श्री करुथिरमण (गोबीचेट्टिपलयम) : ताशकंद करार और खाद्य मंत्री के वॉशिंगन्टन के मिशन में हुई सफलता को हम श्री जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की सफलता कह सकते हैं। उस विदेश नीति के बिना हम इस दिशा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते थे। कुछ विरोधी पक्ष के लोग इसे भीख मांगने वाली बात का नाम देते हैं। परन्तु ऐसी कोई बात नहीं है। पी० एल० 480 के अन्तर्गत तो अमरीका रूस की भी सहायता को तैयार था। युगोस्लाविया एक साम्यवादी देश है परन्तु अमरीका से खाद्य सहायता प्राप्त कर रहा है। जरूरत पड़ने पर सहायता प्राप्त करनी ही पड़ती है। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में सब से अधिक महत्व खाद्य और कृषि नीति को दिया है। अच्छी बात है कि किसान की सुध ली जा रही है, नहीं तो वह बेचारा तो प्रायः उपेक्षित ही रहा है। खाद्यान्नों की कमी के कारण हमने उसका महत्व समझा है। हमें वे सब प्रयास करने हैं, जो कि खाद्यान्नों के उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी है। तबतक प्रस्ताव लाने और भाषण करने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। मेरे विरोधी पक्षों के माननीय मित्रों को खेतों में जाकर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। विरोधी पक्ष तो चाहते है कि कमी और अभाव रहे ताकि वे मनमानियां कर सके। मेरा मत यह है कि जो भी सरकार की आलोचना की जाती है, वह बहुत ही अस्वस्थ है। मंत्रियों और सरकार के पास कोई अल्लादीन का चिराग तो है नहीं जो एकदम कमाल हो जाय। विरोधी पक्ष के हाथ में भी यदि सरकार आ जाये तो वे यह समस्या को सुलझा नहीं सकते।

क्षेत्रों का जहां तक प्रश्न है, उस बारे में भूल 10 वर्ष पूर्व की गयी थी। उस भूल का सुधार हमें करना है। इससे काफी हानि हुई है। इसी लिए मेरा कथन यह है कि अब जो नीति अपनाई जा रही है, उसका हमें स्वागत करना होगा। खाद्य स्थिति पर विचार करते हुए हमें उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों के हितों का ध्यान रखना होगा। सरकार जिस चीज के 1000 रुपये दे रही है उसका उपभोक्ताओं से 700 रुपया लिया जा रहा है। हमें मूल्यों के बारे में पूरा ध्यान रखना होगा, इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सिंचाई का व्यय भी 300 प्रतिशत बढ़ गया है। सरकार द्वारा जो कीमत निर्धारित की जाती है उससे व्यय भी पूरा नहीं होता। यदि इसी तरह के हालात रहे तो कृषि उत्पादन में वृद्धि कैसे हो सकेगी। प्रत्येक बजट में हम कर बढ़ा देते हैं। डीजल तेल और विद्युत जनरेटरों पर भी कर निरन्तर बढ़ रहा है, तो उत्पादन व्यय कैसे कम होगा। हमें मूल्यों का निर्णय अनुपात के अनुसार रखना चाहिए। मेरा विचार यह है कि यदि यही नीति रही तो कृषि उत्पादन की वृद्धि नहीं हो सकेगी। सरकार को उत्पादकों को सभी सुविधायें देनी चाहिए। खाद्यान्नों की खेती करने वालों को उचित मूल्य मिलना चाहिए। और साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि क्षेत्रों को भंग करना चाहिए। इसके बिना काम नहीं बन सकता। देश भर का एक ही क्षेत्र होना चाहिए। देश की भावनात्मक एकता की दृष्टि से भी यह बड़ी जरूरी बात है। देश के जिस भाग में भी जो सम्पदा उपलब्ध है, वह सारे देश की है। अन्त में मैं पुनः इस बात पर जोर देता हूं कि किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दना चाहिए, ताकि वे इस दिशा में क्रियाशील हो सके।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण को मैंने बहुत ही दिलचस्पी से पढ़ा है। बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेकारी का कोई उल्लेख नहीं किया है। तीसरी योजना के अन्त में 120 लाख के लगभग लोग बेकार हैं। इसे दूर करने का कोई ठोस ढंग अपनाया जाना चाहिए। कम से कम बेकारी को कम तो किया ही जाना चाहिए। बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि भारत रक्षा नियमों और आपात को हटा देना चाहिए। पदासीन दल इसका अनुचित प्रयोग कर रहा है। यह तो लोकतंत्र का बलात्कार है। शायद हमारे गृह-कार्य मंत्री यह समझने

[श्री स० मो० बनर्जी]

लगे है कि बम्बई और कानपुर में स्थिति इनके द्वारा ही नियन्त्रण में रखी जा सकती है। वह उस महा ब्राह्मण का पार्ट अदा कर रहे है जिसकी आवश्यकता उसी समय होती है जब कोई मरता है। मैं इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि इन नियमों को वापिस ले लिया जाय। और यदि वह इनके बिना राज्य नहीं चला सकते तो त्याग पत्र दे दे। सभी विरोधी दल मिलकर इसके बारे में भारी आन्दोलन करने वाले है।

अभिभाषण में श्रमिकों की मजदूरी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। 16 फरवरी को 20,000 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है, इसी लिए कि उनका वेतन बढ़ाया जाय, क्योंकि कीमतें काफी बढ़ गयी है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

वित्त मंत्री ने कह दिया है कि उनके पास देने के लिए कोई पैसा नहीं है। हम अपने आश्वासन इतनी शीघ्रता से भूल जायेंगे, यह देख कर बहुत ही दुःख होता है। सरकार अपने पंचाटों की पदिगता को भी स्वीकार नहीं करती। कृषि श्रम का भी बुरा हाल हो रहा है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से कहा जाता है कि देखो तो राज्य सरकारों के कर्मचारियों की क्या हालत है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को निकाय कर्मचारियों का घर दिखाया जाता है, और इस तरह यह सरकार चलती है। यह ठीक ढंग नहीं है। कम से कम प्रत्येक व्यक्ति का वेतन 125 रुपये होना चाहिए, यह हमारी मांग है। जो भी त्रिदलीय समझौते होते हैं, उन्हें सरकार अथवा नियोजकों द्वारा भंग कर दिये जाते है।

कपड़ा उद्योग में संकट हो रहा है। बहुत से कारखाने बन्द हो गये हैं, मोटा कपड़ा बनाने वाले अन्य कारखाने बन्द होने जा रहे हैं। हमें विदेशों में कोई ग्राहक मिल नहीं रहे, हमारे निर्यात गिर रहे हैं। धारीवाल, कानपुर और अमृतसर का ऊनी कपड़ा उद्योग भी आयात पाबन्दियों के कारण संकटग्रस्त होने वाला है। इस संकट को दूर करने का कोई उपाय किया जाना चाहिए। 5000 लोग कानपुर में बेकार होंगे, 2000 लोग धारीवाल में काम से अलग कर दिये जायेंगे, परन्तु ऊन बम्बई में पड़ी है और उसका वितरण नहीं किया जाता। कितनी खेदजनक बात है। मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिए ताकि श्रमिक भखों मरने से बच सके। कहा गया था कि चौथी योजना में किसानों की स्थिति सुधर जायेगी, परन्तु ऐसा नहीं हो पा रहा। सरकार अपने कोई आश्वासन भी पूरे नहीं कर पाई। देश में एकाधिकारों की काफी वृद्धि हो गयी है।

पंजाब सरकार ने बिरला को 1000 एकड़ भूमि देने का निश्चय किया है। यह नहीं होना चाहिए। क्या वहां कृषक नहीं है। अच्छा है कि इस निर्णय को रुकवाने के लिए श्री के० दे० मालवीय अनशन कर रहे हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध जांच की जानी चाहिए। श्री ति० त० कृष्णमाचारी को भी जांच से भागना नहीं चाहिए। अन्त में मेरा यही निवेदन है कि हमें किसी से भीख नहीं मांगनी चाहिए।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तमा (खम्मम): राष्ट्रपति जी ने जो अपना भाषण संसद की दोनों सभाओं में दिया है उसके लिये हम सब उनके आभारी हैं। इस समय देश के समक्ष सब से बड़ी बात श्री शास्त्रीजी का निधन है वह उस समय हमें छोड़ गये जब कि वह अपनी सफलता की चरम सीमा पर थे और सारा राष्ट्र उन्हें वीरोचित स्वागत करने के लिये आखें बिछाये बैठा था। शास्त्री जी भारत की पवित्र भावनाओं और गौरव का प्रतीक थे। गरीबी से उठ कर वह इस पद तक पहुंचे। वह स्वामी तीर्थ के शिष्य थ और एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते थे। हमारे प्रधान मंत्री का जो नैतिक स्तर था उसे देखत हुए उनका मुकाबला किसी भी दूसरे राष्ट्र के प्रधान मंत्री से नहीं किया जा सकता। शास्त्री जी भारतीय नैतिकता और चरित्र के सबसे ऊंचे प्रतिनिधि थे।

शास्त्री जी के सामने भीषण समस्यायें आई और उन्होंने बड़ी वीरता और धीरता से उनको सुलझाया और एक कर्मयोगी को तरह गांधी और नेहरू के विचारों का प्रतिनिधित्व किया। जो कुछ वह अपने अल्प काल में कर गये वह भारतीय इतिहास में हमेशा अभूतपूर्व रहेगा। कच्छ समस्या भी उन्होंने शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझायी और फिर समय आने पर ताशकन्द समझौता करके यह सिद्ध किया कि वह वास्तव में शांति के देवता हैं। ताशकन्द समझौता करने के बाद ही अचानक उनका अन्त आ गया।

ताशकन्द समझौते के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा गया है। अल्प समय होने के कारण मैं सारी बातों का उत्तर नहीं दे सकती। हो सकता है कि इस समय भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में ऐसे लोग हों जो ताशकन्द समझौते के बारे में भिन्न भिन्न राय रखते हों। परन्तु मेरा निवेदन है कि इस सारे मामले को सामूहिक दृष्टि से और शांति की पृष्टभूमि में देखा जाना चाहिये। हालात सामान्य बन रहे हैं और शांति की स्थापना हो रही है। लोग विवादों को हल करके दोनों देशों को निकट लाना चाहते हैं। लोगों की विचारधारा में काफी परिवर्तन आ रहा है। सभ्य जगत के लिये यह बड़ी ज़रूरी बात है। इस दुनिया में हम अंधे होकर नहीं चल सकते। अतः मेरा निवेदन है कि हमें ताशकन्द समझौते का आदर करते हुए उसे बड़ी ईमानदारी के साथ कार्यान्वित करना चाहिये।

इस दिशा में सब से बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस और अमरीका ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। उनके अतिरिक्त भी कई देशों ने इस की सराहना की है। चीन इस समझौते पर काफी नाराज़ है और चाहता है कि यह सफल न हो। इससे स्पष्ट है कि चीन एशिया में शान्ति की स्थापना को नहीं देख सकता। सारे राष्ट्र आज विश्व शांति चाहते हैं भारत को भी इस दिशा में पग उठाना चाहिये। हमारी गुटों से अलग रहने की नीति का मतलब यह है कि हम शांति की शक्तियों को प्रोत्साहन दें।

वियतनाम के मामले में हमारी नीति बिलकुल स्पष्ट है। यदि युद्ध जारी रहता है तो हम देखते नहीं रह सकते। हम विश्वशांति के हित में दोनों पक्षों को निकट लाने का प्रयास कर सकते हैं। जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो किसी देश ने भी किसी को गलत या ठीक नहीं कहा। उसी प्रकार हम भी निर्लेप रह कर रचनात्मक नीति अपना सकते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधीजी ने इस दिशा में जिस धीरता और साहस का परिचय दिया है उसका अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा महत्व है। वीयतनाम के मामले में रूस और चीन भी अपने अपने ढंग से चल रहे हैं। अतः हमें किसी का पक्ष लेने की कोई ज़रूरत नहीं।

राष्ट्रपति जी ने नयी पीढ़ी की नयी सरकार का उल्लेख अपने अभिभाषण में किया है। यह नई पीढ़ी उन लोगों की है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिये लड़ाई लड़ी है। श्रीमती इंदिरा गांधी केवल प्रधान मंत्री ही नहीं हैं, केवल महिला प्रधान मंत्री ही नहीं हैं, प्रत्युत संसार के सबसे बड़े लोकतन्त्र की प्रधान मंत्री हैं। महिला होने के नाते सारे संसार की महिलाओं को इस पर प्रसन्नता हुई होगी। परन्तु यह तथ्य है कि उनका दर्जा बड़ा ऊंचा है। गांधी, नेहरू, शास्त्री, इंदिरा इन सब में पन्द्रह से बीस बरस का अन्तर रहता चला आया है। यह नेतृत्व के स्वस्थ्य विकास का प्रतीक है। लोकतन्त्र को भी इस पर गौरव हो सकता है हमें आशा है कि नयी सरकार सारी समस्याओं को उचित रूप से सुलझाने का प्रयास करेगी। लोगों को यह भी आशा है कि नयी सरकार पुराने ढंगों को छोड़ कर नये ढंगों और साधनों से समस्यायें सुलझायेगी।

खाद्य स्थितिने आज हम सब को चिन्तित किया हुआ है। यह कहा गया है कि कमी के समय हमें किसी पर आश्रित रहना ही पड़ता है। परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जब लोक खाद्य के लिये मांग कर रहे हों तो उनसे सहानुभूति व्यक्त करने के स्थान पर उन पर गोलियां चलाई जाये और उन्हें मारा पीटा जाये। यह कहना कि हमें आयात नहीं करना चाहिये और सभी

[श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा]

लोगों को अनाज़ देना चाहिये। यह कैसे हो सकता है? कोई जादू के प्रभाव से तो अनाज़ पैदा नहीं हो सकता। इस लिये जब हम अन्य देशों से अनाज़ लेते हैं तो यह नहीं कहा जाना चाहिये कि हम भिक्षा मांग रहे हैं। राष्ट्र एक दूसरे की समस्याओं को हल करने के लिये परस्पर सहायता लेते देते ही रहते हैं।

वितरण का प्रश्न कोई प्रयोगात्मक बात नहीं है। इस समय राष्ट्रव्यापी संकट है। सारी जिम्मेदारी सरकार पर है और इस कमी के वातावरण में सरकार को भारी काम करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रख सकती हैं।

अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दहाणु रोडपर रेलवे दुर्घटना

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : श्रीमन्, मैं रेलवे मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

22 फरवरी, 1966 को दहाणू रोड स्टेशन पर गुजरात मेल और एक मालगाडी के बीच उस टक्कर का समाचार, जिससे तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कई व्यक्तियों को चोटें आयीं।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 21 और 22 फरवरी, 1966 के बीच आधी रात के थोड़ी ही देर बाद, एक अप मालगाड़ी, जो पश्चिम रेलवे के बम्बई-सूरत दोहरी लाइन वाले खण्ड पर स्थित दहाणू रोड स्टेशन की अप लूप लाइन पर ली जा रही थी, एक दूसरी मालगाड़ी के पिछले हिस्से से बगल से टकरा गयी। यह दूसरी मालगाड़ी कुछ ही मिनट पहले उस स्टेशन की अप मुख्य लाइन पर ली गयी थी। इस टक्कर के कारण खड़ी हुई मालगाड़ी के पिछले कुछ डिब्बे पटरी से उतर गये और डाउन मुख्य लाइ न अवरुद्ध हो गयी।

इस घटना के लगभग तुरन्त बाद जब गाड़ी नं० 1 डाउन गुजरात मेल दहाणू रोड स्टेशन से गुजर रही थी तो उसकी बगली टक्कर उन मालड़िब्बों से हो गयी जो पटरी से उतर गये थे और डाउन लाइन को अवरुद्ध किये हुए थे। इस टक्कर के कारण गुजरात मेल का इंजन और अगला ब्रेकवान पटरी से उतर कर उलट गये और ब्रेकवान के पीछे लगे पांच डिब्बे भी पटरी से उतर गये।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस दुर्घटना में 4 रेल कर्मचारी मारे गये, जिनमें गुजरात मेल का ड्राइवर और एक फायरमैन तथा खड़ी हुई मालगाड़ी का गार्ड शामिल है। 22 आदमियों को चोटें पहुंचीं, जिनमें छ: रेल कर्मचारी थे।

दुर्घटना के तुरन्त बाद, रेल चिकित्सा यान और सहायता गाड़ी दुर्घटना-स्थल को भेजी गयी। घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए दहाणू रोड के सिविल और सैनिक अस्पताल ले जाया गया। घायल सोलह व्यक्तियों में से तेरह को मामूली चोटें पहुंची थीं। उन्हें अब अस्पताल से जाने दिया गया है।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक और अन्य वरिष्ट अधिकारियों ने दुर्घटना-स्थल और घायल व्यक्तियों को देखा है।

बम्बई स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त, इस दुर्घटना की साविधिक जांच करेंगे।

Shri Yashpal Singh : May I know whether there was nobody to give the information regarding the derailment of the train? Scmebcdy ought to be there to give some imformation, I want to know whether there was scme hurdle in it.

Dr. Ram Subhag Singh : I feel about it. The difficulty was the difference of timing between the arrivals of the three trains. Due to this there is some inconvenience to the employees there.

Shri Ram Sewak Yadav : Whether some action will be taken against the person responsible for this accident?

Dr. Ram Subhag Singh: I have not thrown the responsibility upon anybody, we shall take action whenever it is needed.

राज्यों में अकाल की स्थिति के बारे में
आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION
RE : FAMINE CONDITIONS IN STATES

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : 15 फरवरी को मैंने और कुछ अन्य संसद सदस्यों द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था। उसका सम्बन्ध दुर्भिक्ष की दिशा में पैदा हो रहे हालात थे। प्रश्न का उत्तर औपचारिक तौर पर दिया गया। मुझे इससे बड़ा दुःख हुआ। उत्तर यह था :

> "कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सूखा पड़ने के हालात पैदा हो रहे हैं।"

बड़ा अव्यवहारिक सा उत्तर है जो कि भारत सरकार और खाद्य मंत्रालय की ओर से दिया गया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मामलें का सीधा सम्बन्ध राज्यों से है। परन्तु इस पर यह भी माना गया है कि यह ऐसे मामले हैं जो कि राज्यों की सीमाओं को पार कर जाते हैं। और भारत सरकार इस तरह से ऐसे मामले में उपेक्षित और अव्यावहारिक नीति नहीं अपना सकती। यह समस्यायें ऐसी है जिनका राष्ट्रव्यापी प्रभाव है, उनके प्रति उदासीन होकर भारत सरकार उस प्रकार का उत्तर नहीं दे सकती जैसा कि उपरोक्त प्रश्न का दिया गया। जिस प्रकार से उत्तर दिया गया उसके लिए उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। इससे बहुत से सदस्यों की भावनाओं पर ठेस लगी है।

यह देख कर मुझे हर्ष हुआ है कि सचिवों की समिति ने यह सिफारिश की है कि दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में कार्य करने के लिए एक सैल (भाग) बनाया जाना चाहिए। यह सल बना दिया गया है। यह पग वास्तव में ही स्वागत योग्य पग है। परन्तु मुझे इस बात का पता नहीं कि समन्वय समिति ने जो सिफारिशें प्रस्तुत की है उनका क्या बना है। इस संक्षेप से उत्तर में उसका कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस कमी वाले क्षेत्रों का उल्लख है। और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा था कि इस क्षत्र में सहायता कार्य चलाया जायगा। मेरा इस

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

दिशा में निवेदन यह है कि मेरे राज्य में ही कमी के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे प्रत्युत बहुत से अन्य राज्यों में भी इसी तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। यह देश के सामने बहुत बड़ा संकट है, जिस पर कि किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होता। क्या सरकार का यह उत्तरदायित्व नहीं कि वह इस दिशा में कुछ करे? जोधपुर में मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि पुराने दिनों में तो बहुत कुछ किया जाता है, परन्तु अब तो कुछ भी नहीं किया गया। कुछ मास पूर्व इसका उल्लेख आचार्य कृपलानी ने भी किया था कि लोग कहते है कि स्वतन्त्र हो जाने के बावजूद भी लोगों की हालत सुधरी नहीं है। मुझे आशा करनी चाहिए कि यह सरकार भी अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करेगी और सहायता कार्य को चलायेगी। आज से एक सौ साल पहले के स्तरों से सरकार नीचे नहीं आयेगी ।

सरकार सदन को इस बात का विश्वास दिला देगी कि वह दुर्भिक्ष क्षेत्रों के लिए एक अलग प्राधिकार बनाना ठीक समझती है। ताकि इन क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जा सके। हालात यहां तक बिगड़े है कि पंजाब जैसा राज्य जहां कि अनाज हमेशा फालतू होता था, आज दुर्भिक्ष के चक्कर में है। राजस्थान में तो हालात खराब हो ही रही हैं। लगभग 55 लाख लोगों पर इसका प्रभाव हुआ है। 60 लाख पशु चारे के अभाव से तड़प रही हैं। मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान नहर का कार्य तेज करना चाहिए। सरकार को लोगों के सन्देह दूर करने चाहिए।

Dr. Ram Manohar Lohia: I want to ask whose responsibility it is to feed the people? Is it a responsibility of the Centre or of the States? What, according to the Food Minister, is the quantity of calories normally required by a person to be able to live, a fall below which can be considered to indicate the existance of famine conditions?

Shri Madhu Limaye: In view of the famine conditions prevailing in the various States, how many of the States Government have been instructed by the Central Government to suspend the recovery of revenue, water tax and the instalments of loans advances and the interest thereon?

Shri Kishen Pattnayak : I want the food Minister to state the quantity of food grains produced in Orissa during the current year and the amount of existing surplus?

Shri Ram Sewak Yadav: It may be stated that how many calories do the daily food given to the people in the current year fall short of the normal essentials required for the living and how it is compared with the food available in the earlier in normal days.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): उत्तर की भाषा चाहे कैसी भी रही हो, परन्तु यह बात तो स्पष्ट है कि भारत सरकार देश की दुर्भिक्ष सम्बन्धी स्थिति के प्रति जागरूक है। देश की स्थिति के बारे में मैंने कई बार यहां अपने विचार प्रकट किये है। सरकार को इस बात का पता है कि देश में कमी के हालात चल रहे हैं। समन्वय समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें सिफारिश की गयी है कि एक भाग का निर्माण किया जाय। यह भाग बना दिया गया है और वह अपना काम बहुत अच्छी प्रकार से कर रहा है।

सहायता कार्य के बारे में मेरा निवेदन यह है हमने कमी वाले राज्यों से पूछा था, जहां कि वर्षा समय नहीं हुई कि वह यह कार्य आरम्भ करे। इस प्रकार प्रभावित होने वाले छः राज्य है। इनमेंसे जहां पर बहुत कमी महसूस की गयी, वहां सहायता कार्य आरम्भ कर दिया गया। इन कमी वाले क्षेत्रों को हमने विभिन्न श्रेणियों में बांटने का प्रयास किया। प्रथम श्रेणी वह बनाई गयी, जहां कि

खराब फसल के बाद पुनः खराब फसल हुई। दूसरी श्रेणी वह रखी गयी जहां आधी फसल के बाद बुरी फसल हुई। तीसरी श्रेणी में वह क्षेत्र आया जहां बुरी फसल के बाद अच्छी फसल हुई। जिन क्षेत्रों में बुरी फसल के बाद पुनः बुरी फसल हुई, वहां हमें सहायता की जरूरत है।

माननीय सदस्य ने कहा है कि पिछली बार सहायता कार्य काफी अच्छी प्रकार से चला था। और आज जो कुछ स्थिति है उसको देखते हुए काफी प्रभावशाली रहा था। परन्तु मुझे खद है कि माननीय सदस्य के इस विचार से मैं सहमत नहीं हो सकता। ब्रिटिश राज में लोगों को भुखमरी के लिए कुछ मुआवजा दिया जाता था। उन्हें एक वक्त का खाना भी सरकार की ओर से दे दिया जाता था। अब हम उनको 90 प्रतिशत मजूरी दे देते हैं। और यह उन्हें उन्ही क्षेत्रों में दे दी जाती है, जहां पर कि सहायता का कार्य हो रहा होता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमने अपने ढंग के नियमों का निर्माण किया है। हम ने यह भी व्यवस्था की है कि सस्ती दूकानों से लोगों को 10 किलोग्राम प्रतिमास का राशन भी दिया जाय। जिन राज्यों में सहायता कार्य चलता था, उनके लिए विभिन्न राज्यों को विशेष खाद्यान्नों का कोटा दिया गया है।

चारा भंडार भी हमने बनाये है और उसके लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया गया है और उन्हें बड़े सामरिक महत्व के स्थानों पर बनाया गया है। उद्देश्य यह है कि उन्हें आवश्यकता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाय। मिलों इत्यादि अनाज की व्यवस्था हम पशुओं के लिए कर रहे हैं। हम इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छे पशुओं पर सूखे का अधिक प्रभाव न हो और पानी की कमी कारण उन्हें अधिक परेशानी न उठानी पड़े।

राजस्थान नहर का हमारी दृष्टि में बहुत ही महत्व है। हमारे मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालयने इस सम्बन्ध में स्थिति का पूरा परीक्षण किया है। मुझे ऐसा है कि इसके लिए शीघ्र ही कोई विधान प्रस्तुत किया जायेगा और इसके लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाया जायेगा। केवल नहरों के खोदने के काम से ही मामला बस नहीं हो जायेगा। महत्वपूर्ण बस्तियों का पूर्ण रूप से विकास किया जायेगा। भूमि का सुधार किया जायेगा और लोगों को इस दिशा में अपेक्षित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि हम अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभाया है। श्री मधु लिमये के प्रश्न के उत्तर में मेरा निवेदन है कि छः राज्य ऐसे हैं जहां कमी की स्थिति पाई जाती है।

राजस्व संहिता में यह व्यवस्था है कि जैसे कि किसी क्षेत्र को कमी वाला क्षेत्र घोषित किया जाता है तो भूमि राजस्व इकट्ठा करना बंद कर दिया जाता है। कर्जों की वसूली भी बन्द कर दी जाती है। सहकारी संस्थाओं तथा तकवी कर्जे भी वसूल नहीं किये जाते। इसके साथ और भी सम्बन्धित कार्य आरम्भ हो जाते हैं। कहा गया है कि मुझे खाद्य स्थिति का कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है मैं सारी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा हूं। और अपनी योग्यता के अनुसार अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि खाद्यान्नों को अच्छा बनाये। मेरा अनुमान यह है कि इस कमी से लगभग छः करोड़ लोगों पर प्रभाव पड़ा है। हम अपने प्रयास जारी रख रहे है और मुझे आशा है कि इस कमी के कुप्रभाव को दूर करने का पूरा यत्न किया जायेगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है मैंने पूछा था कि दुर्भिक्ष भाग की रचना और कार्य की स्थिति क्या है? दूसरा प्रश्न यह था कि चारा भंडार की स्थिति क्या है? और तीसरा यह कि सरकार ने राज्य वार दुर्भिक्ष का मुकाबला करने के लिए जो सहायता दी है, उसकी मात्रा क्या हैं?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम तुरन्त दुर्भिक्ष कार्य के लिए रुपया स्वीकृत नहीं करते। वित्त आयोग ने उस आधार को निर्धारित किया है जिसके अनुसार सहायता कार्य किया जा सकता है। राज्यों को एक सीमा तक ही सहायता का भार वहन करना पड़ता है उसके आगे केन्द्र की जिम्मेदारी

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

है। यह आधार अन्ततोगत्वा 50 प्रतिशत जा फैलता है। 75 लाख रुपये की सीमा पार हो जाये। अलग अलग राज्यों का अनुपात भिन्न भिन्न हो जाता है। आंध्र 75, आसाम 25, बिहार 100, गुजरात 40, जम्म और काश्मीर 10 और केरल 10 मान निर्धारित है। इस वर्ष इस कार्य के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

जहां तक दुर्भिक्ष भाग का सम्बन्ध है यह एक संयुक्त सचिव के अधीन कार्य कर रहा है। इसका कार्य सारे राज्यों की गतिविधि का समन्वय करना होता है और उन्हें सभी प्रकार की सुविधायें देना होता है। इस सैल (भाग) का काम बच्चों और गर्भवती नारियों की देख भाल करना होता है। यह सैल अपना कार्य कर रहा है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 23 फरवरी, 1966/4, फाल्गुन 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, February 23, 1966. *Phalguna* 4, 1887 (*Saka*).

जी आय पी एन—वि 2-22 लोक सभा/66—6-7-67—600.